लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 14, गुरुवार, 28 नवम्बर, 1968/7 अग्रहायण, 1890 (शक)
No. 14, Thursday, November 28, 1968/Agrahayana 7, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
391. पश्चिम बंगाल में कोयला खान मजदूर	Coal Mines Workers in West Bengal	511—513
392. सोयाबीन तेल की कीमतें	Prices of Soyabean Oil	513—520
393. संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध	Prohibition in Union Territories	520—527
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
394. गुजरात में बिजली से पम्प चलाने के लिये विशेष सहायता	Special Aisistance for Operating Pumps with Electricity in Gujarat	528
395. बिहार के जिला बोर्ड	District Boards of Bihar	528
396. उर्वरक उत्पादों की विक्री में कठिनाइयां	Difficulties in Selling Fertilizer Products	529
397. अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार	Land Ownership Right to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	529
398. रासायनिक उर्वरकों के क्रय विक्रय के लिये निगम	Corporation for Marketing Chemical Fertilizers ..	529—530
399. झरिया खान क्षेत्र	Jharia Mining Area ..	530
400. फिलीपीन से चावल की खरीद	Purchase of Rice from Phillippines ..	530—531
401. उपग्रह संचार व्यवस्था	Satellite Communication ..	531

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
ता० प्र० सख्या S. Q. Nos.		
402. दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गयी योजनाएं	Schemes sent by Delhi Administration	531—532
403. दिल्ली में डाक और तार विभाग के खजानें	Posts and Telegraph Treasuries in Delhi	532
404. उड़ीसा में बाढ़ तथा सूखा	Floods and Drought in Orissa	532—533
405. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा संकर बाजरे के बीज की सप्लाई	Supply of Hybrid Bajra seed by National Seeds Corporation	533
406. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural Universities for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	533—534
407. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन	Chief Electoral Officers Conference	534—536
408. राज्यों में अधिक उपज देने वाले खाद्यानों की किस्मों की खेती	Cultivation of High-yielding varieties of foodgrains in States	536—537
409. खाद्य स्थिति	Food Situation	537—538
410. उत्तर प्रदेश में गन्ने का रोग	Sugarcane disease in U. P.	538—539
411. वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि	Rise in Vanaspati Prices	539
412. उड़ीसा को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Orissa	539—540
413. नलकूपों को बिजली के कनेक्शन	Electric Connections to Tube-wells	540
414. भारी वर्षा के फलस्वरूप बिहार में फसलों को क्षति	Damage to Crops in Bihar due to Excessive Rains	540—541
415. मार्डन बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) Limiied	541—542
416. चीनी का उत्पादन	Sugar Production	542
417. डाक तथा तार विभाग में नई भर्ती	Fresh Recruitment in P. & T. Department	542—543
418. चीनी का उत्पादन	Sugar Production	543
419. केन्द्रीय रक्षित भंडार के लिये हरियाणा से चावल	Rice from Haryana for Central Reserve	544

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
420. भारत में रोजगार की स्थिति	Employment situation in India	544—545
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2380. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भारतीय विशेषज्ञों द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Indian Experts in I. C. A. R.	545
2381. साउथ सिटी डिवीजन (बम्बई) में क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद	Vacancies of Clerks and other staff in the South City Division (Bombay)	545—546
2382. महाराष्ट्र में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	Post-matric Scholarships to Scheduled Tribes in Maharashtra	546
2383. महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण फसलों को क्षति	Damage to Crops due to Floods in Maharashtra	546
2384. महाराष्ट्र में बेरोजगारी	Unemployment in Maharashtra	547
2385. वैश्यावृत्ति में वृद्धि	Increase in Prostitution	547
2386. विश्व चीनी करार	World Sugar Agreement	547—548
2387. दिल्ली दुग्ध योजना में घाटा	Loss in Delhi Milk Scheme	548—549
2388. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विदेशी ट्रालरों और जहाजों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign exchange spent on foreign trawlers and ships for Deep Sea Fishing	549—550
2389. अमरीकी ईसाई एजेन्सी द्वारा उपहार में दिये गये गेहूं का पकड़ा जाना	Seizure of wheat gifted by an American Christian Agency	550—551
2390. कालका कालोनी दिल्ली में विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of refugees in Kalkaji Colony, Delhi	551
2391. हड़ताल की अवधि में जमा हुई डाक का वितरण	Distribution of mail accumulated during strike period	552
2392. डाकू ग्रस्त क्षेत्रों के पुलिस स्थानों में तार और टेलीफोन	Telegraphs and Telephones connections for Police Stations in dacoit infested Areas	552
2393. बांदा जिला उत्तर प्रदेश में परती भूमि	Fallow Land in District Banda (U. P.)	552—553

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2394. खान मालिकों के पास बिना चुकाई बकाया रकम	Unpaid amount lying with the Mine Owners	553
2395. नसली (स्टड) घोड़ों का आयात	Import of Stud-Horses	553—554
2396. उत्तर प्रदेश राज्य अभिरक्षक संगठन के कर्मचारी	Employees of U. P. State Custodian Organisation	554—555
2397. मद्रास में नलकूप लगाना	Installation of Tube-wells in Madras	555—556
2398. हरिजनों के कष्टों के बारे में उपमंत्री का वक्तव्य	Statement of Deputy Minister on suffering of Harijans	556
2399. दिल्ली की दुकानों में दुहरी पारी	Double shifts in shops in Delhi	556—557
2400. दिल्ली में भीख मांगने वाली लड़कियां	Girl Beggars in Delhi	557
2401. गुजरात के लिये कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural University for Gujarat	557—558
2402. गरीब लोगों के कल्याण के सम्बन्ध में नीति	Welfare Policy towards the Poor	558
2403. आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में नलकूप	Tube-wells in Azamgarh, Uttar Pradesh	358—559
2404. ट्रैक्टरों का आयात करने के हेतु किसानों के लिये वित्त की व्यवस्था करना	Financing of Agriculturists to import Tractors	559
2405. चीनी का उत्पादन बढ़ाने का नया तरीका	New Process for raising Sugar Production	560
2406. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स द्वारा निर्यात	Export of Hindustan Teleprinters	560—561
2407. भविष्य निधि की जमा राशि	Provident Fund Deposits	561
2408. रेडियो लाइसेंस	Rrdio Licences	561—562
2409. राजस्थान के रेगिस्तान के विस्तार को रोकना	Check of spreading of Desert of Rajasthan	562
2410. दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज व्यक्ति	Persons registered with the Employment Exchanges in Delhi	562—563

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/ Pages
2411. दिल्ली के लिये हिन्दी टेली-फोन निदेशिका	Hindi Telephone Directory for Delhi	563
2412. नलकूप लगाने के लिये भूमि का सर्वेक्षण	Soil Survey for Tube-well Constructions	563—564
2413. रायलसीमा, आन्ध्र में सूखा	Drought in Rayalseema, Andhra Pradesh	564—565
2414. आटा मिलों को लाइसेंसों का दिया जाना	Licencing of Flour Mills	565
2415. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों में बेरोजगारी	Unemployed trainees of Iudustrial Training Institutes	565
2416. संसद अथवा विधान सभा के क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जमानत की राशि	Security Deposit of Candidates seeking elections to Parliamemtary or Assembly Constituencies	565—566
2417. बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed persons ..	566
2418. अधिक उपज देने वाली धान की किस्में	High-yielding variety of Paddy ..	566—567
2419. खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उपलब्धि	Production of Foodgrains and its availability ..	567
2420. कर्मचारी भविष्य निधि का उपयोग	Utilization of Employees Provident Fund ..	567—568
2421. अनाज का उत्पादन तथा आवश्यकता	Production and Requirment of Food-grains	568—569
2422. धान की खेती	Paddy Cultivation	569—570
2423. चीनी का निर्यात	Export of Sugar	570
2424. बेरोजगार व्यक्ति	Unemployed Persons	570—571
2425. हिन्दी में कार्य	Work in Hindi	571
2426. भूमि अर्जन समिति	Land Acquisition Committee	571..572
2427. उत्तर प्रदेश में गन्ने की पेराई	Crushing of Sugarcane in U. P.	572
2428. उड़ीसा के लिये चीनी का नियतन	Allotment of Sugar to Orissa	572

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2429. पटमोहन कोयला खान	Patmahona Colliery	572—573
2430. पटमोहन कोयला खान	Patmahona Colliery	573—574
2431. पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation of Hilly Tracts	574
2432. जोधपुर में भूमिगत जल की धारा	Underground Water Stream in Jodhpur	574
2433. रहट के स्थान पर प्रयोग के लिये पम्प का आविष्कार	Invention of a Pump to Replace Persian Wheel	574
2434. बिहार में कृषि का विकास	Agricultural Development in Bihar	575
2435. हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड	Hindustan Teleprinters Limited	575—576
2436. खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in the Ministry of Food, Agriculture, Community development and Cooperation	576—577
2437. पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	577—578
2438. मंत्रालय में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले	Corruption and Bribery Cases in the Ministry	578—579
2439. शिलांग में संचार सेवा में गड़बड़ी	Disruption of Tele-Communication Services in Shillong	579—580
2440. भारत, जापान और फारमूसा में भूमि की जोतें	Land Holdings in India, Japan and Formosa	580—581
2441. शक्ति चालित हलों का प्रयोग	Introduction of Power Tillers	581
2442. हड़ताल में भाग लेने के कारण डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों पर लाठी प्रहार तथा गोली	Lathi-charge and firing on P. &. T. employees due to participation in strike	582
2443. पिछली सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारी	Employees who participated in the last token strike	582
2444. मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Madhya Pradesh	582—583
2445. आन्ध्र प्रदेश में रिगों (बर्मों) की सप्लाई	Supply of Rigs for Andhra Pradesh	583—584

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2446. बिहार की खाद्य स्थिति	Food situation in Bihar	584
2447. देश में बूचड़खानें	Slaughter-houses in the country	584—585
2448. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये गोसदन	Gosadans set up by Central Government	585
2449. कपास की खेती का उत्पादन	Cotton crop production	585—586
2450. ज्वालामुखी में टेलीफोन-एक्सचेंज	Telephone Exchange at Jawalamukhi	586
2451. जम्मू तथा कश्मीर के चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध टीका टिप्पणी	Strictures against J. and K. Returning Officer	586—587
2452. खेती के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र के लिये अनुसंधान योजनायें	Reserach Schemes for unirrigated area under cultivation	587—588
2453. कोयला खानों के मजदूरों को उपदान	Gratuity for Coal Mines workers	588
2454. कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करने से इन्कार करने वाली कोयला खानों से कोयले की खरीद के लिये सरकारी टेंडर देने बन्द करना	Stopping of giving Government tenders for coal purchase to collieries refusing to implement coal Wage Board Award	588
2455. भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Heavy Chemicals and Fertilizer Industry	589
2456. कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Coal Wage Board's Recommendations	589—590
2457. भूतपूर्व संसद सदस्यों और मंत्रियों पर टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि का जमा होना	Accumulation of Telephone Arrears with former M. Ps. and Ministers	590
2458. हरियाणा ओर पंजाब को गेहूं की सप्लाई	Supply of Wheat to Haryana and Rajasthan	590—591
2459. गामीण क्षेत्रों के डाकघरों में टेलीफोन सेवा	Telephone Service in Post Offices in Rural Areas	591

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2460. राज्यों में कारखाना अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Factory Act in the States	591—592
2461. उत्तर प्रदेश में भूमि वितरण	Distribution of land in U. P.	592
2462. उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को क्षात्रवृत्तियां	Scholarships to Students in U. P.	592
2463. आखेट शरण स्थानों का राष्ट्रीय पार्कों में बदला जाना	Convertion at Game Sanctuaries into National Parks	592—593
2464. पंजाब विनियोजन अधिनियम के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय	Supreme Court's Pronouncements on Panjab Appropriation Act	593
2465. केन्द्रीय सरकारी फार्म	Central State Farms	594
2466. पी. एल. 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains under PL 480	594—595
2467. काजीरंग आखेट निषिद्ध क्षेत्र	Kaziranga Game Sanctuary	595
2468. मांस के पदार्थ तैयार करने का कारखाना	Meat Processing Factory	595—596
2469. अनाज को जमा करने के लिये गोदामों का निर्माण	Construction of Storage Godowns for Foodgrains	596—597
2470. तारों की कमी का टेलीफोन सेवा पर प्रभाव	Effect of the Shortage of Cables on Telephone Service	597
2471. समाक्ष (को-एक्सियल) तारों आदि की कमी	Shortage of Co-Axial Cables Etc.	597—598
2472. पैकेज कार्यक्रम	Package Programme	598—599
2473. उड़ीसा में अमरीकन सन (सिसल) का उत्पादन	Production of Sisal in Orissa	599
2474. काजू के बागान	Cashew Plantation	599—600
2475. उड़ीसा में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Projects in Orissa	600—601
2476. काठागुडियम कोयला खानों के श्रमिकों को पीने का जल उपलब्ध कराना	Supply of Drinking Water to Kothagudem Colliery Workers	601
2477. औद्योगिक रोजगार	Industrial Employment	601

विषय ता० प्र० संख्या . S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2478. पश्चिम बंगाल में अधिक उपज वाले धान की खेती	High-Yielding Paddy Cultivation in West Bengal	602
2479. पश्चिमी बंगाल को उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertilizer to West Bengal	602—603
2480. पश्चिमी बंगाल द्वारा उठाऊ सिंचाई के लिए मशीनों का खरीदा जाना	Purchase of Irrigation of Machinery for Lift Irrigation by West Bengal	603—604
2481. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल की कम उपज के बारे में जांच	Investigation into low yield of rice in Madhya Pradesh, U. P. and Bihar	604
2482. चावल में लगने वाले रोगों के लिये जापान से विशेषज्ञों की सेवायें	Services of experts from Japan on diseases in rice	604—605
2483. अधिक उपज वाले धान की किस्म की मांग	Demand for High-yielding varieties of paddy	605
2484. राज्यों में कृषि विकास के लिए विदेशो सहायता	Foreign Aid for Agricultural Development in States	605—606
2485. विदेशी सहयोग से चावल अनुसंधान समन्वित योजना	Co-ordinated Rice Research Scheme with Foreign Collaboration	606
2486. कौशलपुरी कोआपरेटिव सोसाइटी फार्म अछाल्दा, इटावा	Kaushalpuri Cooperative Agriculture Farm, Achhalda, Etawah	606—607
2487. अशोकपुरी कोआपवेटिव एग्रिकल्चर फार्म, इटावा	Ashokpuri Cooperative Agriculture Farm, Etawah	607
2488. प्रादेशिक निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुजरात का कार्यालय	Office of Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Gujarat	607—608
2489. आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों की खपत तथा उत्पादन	Consumption and Production of Fertilizers in the Next Five Years	608—609
2490. दुग्ध पाउडर पर विलम्ब शुल्क	Demurrage of Milk Powder	609
2491. पटना में मीठापुर में कृषि फार्म में स्टोर किया गया गेहूं का बीज	Wheat seed Stored in Agricultural farm at Meethapur, Patna	610

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2492. व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पैकेज योजना	New Package Scheme to Boost Production of Commercial Crops	610
2493. दुग्ध चूर्ण का दुरुपयोग	Misappropriation of Milk Powder	611
2494. औद्योगिक स्वास्थ्य योजना	Industrial Health Scheme	611
2495. उर्वरक उद्योग के प्रति केन्द्र का समान दृष्टिकोण	Uniform Central Approach to Fertilizer Industry	612
2496. नलकूप खोदने के लिये भूमिगत जल विकास निगम स्थापित करना	Setting of an Underground Water Development Corporation for Digging Tube-wells	612—613
2497. एग्रीकल्चर कालिज, पालमपुर को अनुदान	Grant to the Agricultural College, Palampur	613
2498. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों तथा मजदूर संघ के बीच समझौता बैठक	Conciliation Meeting between Management and Union of Durgapur Steel Plant	613—614
2499. मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी और इसके कर्मचारियों के बीच समझौता	Agreement between M/s. Bengal Immunity and its Workers	614—615
2500. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons in Panna District M. p.	615—616
2501. कार्टर पूलर कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता का बन्द किया जाना	Closure of Carter Pooler Co. (Pvt.) Ltd., Calcutta	616—617
2502. बोनहुगली मकान योजना	Benhoogly Tenements Scheme	617
2503 उत्तर प्रदेश में विधान सभा के बबेरू निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पत्रों पर मुहर का निशान	Stamp Impression on Ballot Papers in Baberu Vidhan Sabha Constituency, (U. P.)	.. 617—618
2504. चम्बल नदी के साथ की भूमि का कटाव	Erosion of Land along Chambal River	618
2505. पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from East Pakistan	618—619
2506. पारासिया कोयला खान में हड़ताल	Strike in Parasia Colliery	619—620

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या . S. Q. Nos.		

2507. मेनधामो कोयलाखान का बन्द होना	Closure of Maindhamo Colliery	620
2508. आयकर अपीलीय न्यायालय	Income-Tax Appellate Benches	620—621
2509. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण न्यायालय	Income-tax Appellate Tribunal Benches	621—622
2510. तम्बाकू पैदा करने वाले राज्यों को सहायता	Assistance to Tobacco Growing States	622—623
2511. सघन कृषि विकास कार्यक्रम	Programme for Intensive Agricultural Development	623
2512. केरल में बागान कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Plantation Workers in Kerala	623
2513. सरकारी ट्रांसमीटर	Government Transmitter.	623—624
2514. होटलों में शराब पीने के बारे में आबकारी नियमों का उदार बनाया जाना	Liberalization of Excise Rules on Serving Liquor in Hotels ..	624
2515. ढमोमेन कोयला खान आसनसोन	Dhemomain Colliery, Asansol	624—625
2516. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	625
2517. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को राज्य सरकारों द्वारा जानकारी देना	Furnishing of Information by State Governments to Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled tribes	626
2518. मनीपुर में चुनावों में प्रयोग में लायी गयी जीपों पर व्यय	Charges for Jeeps used in Elections in Manipur	626—627
2519. दिल्ली और बम्बई के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialling between Delhi and Bombay	627
2520. चान्दा जिले में महाबली कोयला खानें	Mahabali Coal Mines in Chanda District	627—628
2521. राज्यों के बिजली बोर्डों के कर्मचारियों के लिए बोनस .	Bonus for Employees of State Electricity Boards	628
2522. पत्रकारों को अन्तर्राष्ट्रीय केबल भेजने के अधिकार पत्र	International Cable Bearing Authorities to Newspaper Men	628—629

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2523.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of the office of the Regional Provident Fund Commissioner, Patna	629
2524.	पटना में दूध की सप्लाई	Supply of Milk at Patna	629—630
2525.	चुनावों से पहले मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Ministers before Election	630—631
2526.	खाद्य तथा कृषि संगठन का कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural Development Programme of Food and Agriculture Organisation	631—632
2527	तिलहन की मांग	Demand of Oil seeds	632—633
2528.	स्कलों तथा कालिजों में प्रतिमा संसद	Mock Parliaments in Schools and Colleges	633
2529	दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनमान	Pay scales of Stenography Instructors in I. T. I., Delhi	633—634
2530.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, फुलवाड़ी शरीफ, पटना	Central Potato Research Centre, Phulwari Sharif, Patna	634
2531.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र फुलबाड़ी शरीफ पटना	Central Potato Research Centre, Phulwari Sharif, Patna	634—635
2532.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विदेशी सहायता	Foreign assistance for drought-affected areas	635
2533.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम विधियों का लागू किया जाना	Applicability of Labour Laws to Public sector Undertakings	636
2534.	फसल के सुधारने के लिये रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग	Use of Radio Isotopes for Crop Improvements	636
2535.	पंजाब में खाद्यान्नों को रखने के लिए गोदाम	Godowns for Storage of Foodgrains in Punjab	637
2536.	दिल्ली में आयातित गेहूं के आटे की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Imported wheat flour in black market in Delhi	637—638
2537.	बंगलौर में माडर्न बेकरी का संयन्त्र	Modern Bakery Plant at Bangalore	638

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
2538. इन्डिया शूगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड होसपेट	India Sugar and Refineries Ltd., Hospet	638—639
2539. शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भारतीय चाय संस्था की योजना पर समिति	Committee on Indian Tea Association Scheme for Rehabilitation of Refugees	639
2540. आसाम के मिजो जिले में आकाल	Famine in Mizo District of Assam	639
2541. गैर-सरकारी सार्थों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for workers employed in private firms	640
2542. पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में कांडा मेले में पशुबध	Slaughtering of animals at Kanda Fair in Pauri Garhwal (U. P.)	640
2543. पौड़ी (उत्तर प्रदेश) में शराब की दुकान	Wine Shop in Pauri (U. P.)	640—641
2544. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	Employees State Insurance Scheme	641
2545. फैजाबाद में कृषि ऋण सहकारी समितियां	Agricultural Credit Co-operative Societies in Faizabad	641
2546. ग्रामीण क्षेत्रों में विमान द्वारा कीटनाशक औषधियों का छिड़काव	Aereal spraying of Pesticides in Rural Areas	641—642
2547. पशुओं का सीमापार कर पाकिस्तान चले जाना	Crossing of animals into Pakistan	642—643
2548. उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में डाक तथा तार के कार्यालय	P. and T. Offices in Faizabad District, U. P.	643
2549. केरल को चावल के सम्भरण के लिए राज सहायता	Subsidy on Rice allocated to Kerala State..	643
2550. राज्यों के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी	Need-based minimum Wages for state Government Employees	643—644
2551. कार्यकारी दल की भूमि सुधार सम्बन्धी सिफारिशें	Working Group's Recommendations for Agrarian reforms	644
2552. बोनस की अधिक दर	Higher rate of bonus	644—645

विषय अता० प्र० संख्या S.N.Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
2553. आसाम में किसानों के लिए बोनस	Bonus for Cultivators in Assam	645
2554. एक दिन (19-9-1968) की हड़ताल के सम्बन्ध में केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Post and Telegraph workers in Kerala in connection with one-day strike (19-9-68)	645—646
2555. केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतन में कटौती	Cut in the salary of P and T workers in Kerala	646
2556. भारतीय औद्योगिकी संस्था उपभोक्ता सहकारी समिति कानपुर	Indian Institute of Technology eonsumers co-operative Society, Kanpur	646—647
2557. पश्चिमी बंगाल में कृषि विस्तार अधिकारी	Agricultural Extension Officers in West Bengal	647
2558. पश्चिमी बंगाल में कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थायी करना	Confirmation of Agricultural Extension Officers of West Bengal	647
2559. पश्चिमी बंगाल में कृषकों को बीजों का वितरण	Distributions of seeds to farmers in West Bengal	647—648
2560. कोयले के अतिरिक्त आय खनन उद्योगों में मजूरी बोर्ड के पंचाटों की क्रियान्वित	Implementation of Wage Board Awards in Mining Industries other than coal	648
2561. ममुद्री खाद्य उद्योग	Sea Food Industry	649
2562. जिन सम्बन्धियों से विवाह होना निषिद्ध है, उनसे विवाह	Marriages among prohibited Relation-ship	649—650
2563. मनीपुर में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation Work in Manipur	650
2564. पुरानी लाजपत राय मार्केट दिल्ली में दुकानें	Shops in Old Lajpat Rai Market, Delhi	650—651
2565. बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान का लाभ	Gratuity Benefits to the Workers of Bombay Co. (P) Ltd., Delhi	651

विषय ० प्र० संख्या . Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Page
566. बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Bombay Co. (P) Ltd., Delhi	651—652
567. बम्बई में चीनी के स्टाक जमा करना ।	Hoarding of Sugar Stocks in Bombay	652
2569. मनीपुर में सहकारी खेती	Co-operative Farming in Manipur	652—653
2570. मनीपुर में पंचायतों के प्रधान	Panchayat Pradhans in Manipur	653
2571. त्रिपुरा में आसामी प्रणाली के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि	Cultivable Land under Tenant-cultivation system in Tripura	654
2572. सूरतगढ़ तथा जेतसर में केन्द्रीय पंजीकृत फार्म	Central Mechanised Farm Suratgarh and Jetsar	654
2573. केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़	Central Mechanised Farm, Suratgarh	654—655
2574. उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पम्पों के लिये अनुदान	Grants for Pumping Sets in Agra District U. P.	655
2575. कोलार (मैसूर) में डाक तथा तार विभाग के कार्यालयों के लिये भवन का निर्माण	Construction of Building for Post and Telegraph Offices at Kolar (Mysore)	655
2576. शिमोगा (मैसूर) में डाक तथा तारघरों के लिये स्थान	Accommodation for Posts and Telegraphs Offices at Shimoga (Mysore)	655—656
2577. कारखानों में तालाबन्दी	Lockouts in Factories	656
2578. डाक तथा तार विभाग में हड़ताल के पश्चात नई भर्ती	New Recruitment after Strike in P and T	656
2579. भविष्य निधि की बकाया राशि	Provident Fund Arrears	656—657
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance —	
रावलपिण्डी को समाचार प्रसारित करने वाले गुप्त ट्रांसमीटरों का हैदराबाद में होना	Existence of secret Transmitters in Hyderabad Broadcasting news to Rawalpindi	657—660
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	660—662
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में	Re : Proposed LIC strike	662
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	662

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक,	Indian Railways (Amendment) Bill	662—672
खण्ड 3, 4, 5 और 1	Clause 3, 4, 5 and 1	662—664
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	664
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	664—665
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendra Nath Dwivedy	665—666,667
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	668—669
श्री सीता राम केसरी	Shri Sitaram Kesri	669
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	669—670
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	670
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	671
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	671—672
गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में	Re: Reported arrest of sugarcane growers	666
रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव	Resoluton Re: Parliamentary Committiee to review rate of Dividend payable by Railway Undertaking to General Revenue	673—681
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	673,679—681
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	674—675
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayan Rao	675—676
श्री जि० मो० (बिस्वास)	Shri J. M. Biswas	676—677
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	677
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	677—678
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	678
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fernandes	679
राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	State Agricultural Credit Corporations Bill Motion to Consider	681—689 681
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	681—683
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	684—696
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	686—687
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	687—688

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	688
श्री जार्ज फरनेंडीज	Shri George Fenandes	688—689
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Siagh	689
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	690
25वां प्रतिवेदन	Twenty-Fifth Report	690

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 28 नवम्बर, 1968/7 अग्रहायण, 1890 (शक)
Thursday, November 28, 1968/Agrahayana 7, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में कोयला खान मजदूर

*391. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **डा० रानेन सेन :**
श्री जनार्दनन : **श्री जि० मो० विस्वास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में कोयला खान मालिक मजदूरों के विरुद्ध गैर कानूनी और हिंसात्मक तरीके प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें खानों का बन्द किया जाना, कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ताओं पर आक्रमण करने के लिये गुण्डागर्दी करने वाले लोगों को रखना तथा बड़ी संख्या में मजदूरों की बर्खास्तगी सम्मिलित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन तरीकों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल के कोयला-खान मालिकों द्वारा व्यवहृत ऐसी सामान्य कार्य रीति का सरकार को ज्ञान नहीं है। सरकार को केवल एक कोयला खान, जिसमें लगभग 1850 कर्मचारी काम करते थे, के बन्द होने की

जानकारी मिली है। समझौते के लिये मामले पर विचार किया गया था। इस दिशा में प्रयत्नों के विफल हो जाने पर सरकार ने मामले को न्यायाधिकरण को सौंप दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सरकार को केवल एक मामले का ही पता है। क्या सरकार को 'धेमों मेन' कोयला खान के बन्द होने के बारे में पता नहीं है जिसमें लगभग 2000 श्रमिक काम करते थे और जो प्रबन्धकों द्वारा गैर कानूनी रूप से अक्तूबर से बन्द कर दी गई है। वे पुराने श्रमिकों को निकाल कर नये श्रमिकों की सहायता से उसे पुनः चलाना चाहते हैं। सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री हाथी : जिस कोयला खान का मैंने अभी जिक्र किया है वही 'धेमो मेन' कोयला खान है जिसमें 1850 श्रमिक काम करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह भी सच है कि उस खान के जनरल मैनेजर ने फर्म के निजी हथियारों से श्रमिकों पर गोली चलाई थी जिसके परिणाम स्वरूप दो श्रमिक मर गये थे और उक्त खान के मैनेजर सहित कुछ अधिकारी पकड़े गये थे जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है और मुकदमें की कार्यवाही में बाधा डालने के लिये उन्होंने खान को बन्द किया है और पुराने श्रमिकों को निकालने की सोच रहे हैं ?

श्री हाथी : मूल प्रश्न का सम्बन्ध खानों में सामान्य कार्य प्रणाली से है। इस कोयला खान में कुछ गड़ बड़ हुई थी जिसका मैंने जिक्र किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस कोयला खान को खुलवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है, जो यह देखेगा कि खान को बन्द किया जाना उचित है अथवा नहीं। इसके अतरिक्त मैं उन्हें खान खोलने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

श्री वेणी शंकर शर्मा : जहां तक पश्चिमी बंगाल के कोयला खानों का सम्बन्ध है वहां पर अलग अलग श्रमिक संघों के बीच झगड़े हुए थे। गत दो वर्षों में ऐसे झगड़ों में जो व्यक्ति मरे या जिन्हें गम्भीर चोटें लगीं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री हाथी : प्रश्न का सम्बन्ध प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों के प्रति की गयी हिंसात्मक कार्यवाही से है, श्रमिक संघों के बीच हुए संघर्ष से नहीं। तथापि, ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं। ऐसी एक दुर्घटना में श्रमिक संघ के एक नेता की मृत्यु हो गयी थी।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं नाम जानना चाहता हूं।

श्री हाथी : मुझे नामों का पता नहीं है।

Shri Deven Sen: May I know whether it is a fact that Shri Jalan, a major partner of Shri Soorajmal Nagarmal, gave notice of closure one night and fled away from the colliery and he did not even attend the conciliation proceedings, when called for; whether he purchased three collieries—West Jamuria, Akhalpur and Ghirjumomen—from Mechnilvery, which have also been closed and he ordered three months' compensation to be paid to the workers; whether it is also a fact that the Workers' Union of West Jamuria Colliery has submitted an application against it to the Supreme Court, which gave judgment to the effect that they will have to pay full compensation to the workers? Do the Government propose to make a special law in order to put a control on such colliery owners, who flee away deserting the collieries?

अध्यक्ष महोदय : ये सभी सुझाव मात्र हैं।

श्री हाथी : माननीय सदस्य ने सच ही कहा है कि उक्त खान के मालिक ने समझौता कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। इसलिये उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय लिया और मामला न्यायाधिकरण को सौंप दिया। दूसरे प्रश्न के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। जहां तक कानून बनाने का सम्बन्ध है, वह एक सुझाव है।

सोयाबीन तेल की कीमतें

*392. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में राज्य व्यापार निगम ने किस कीमत पर सोयाबीन तेल का आयात किया ;

(ख) यह तेल किस कीमत पर बेचा गया ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने अगस्त, 1968 के महीने में गुजरात में अभूतपूर्व बाढ़ से मूंगफली की फसल नष्ट होने के फलस्वरूप मूंगफली की कीमत में वृद्धि होने के बाद सोयाबीन तेल की कीमत में वृद्धि कर दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसका मूंगफली और वनस्पति घी की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 में सोयाबीन के तेल का आयात मूल्य जिसमें सीमा-शुल्क और प्रासंगिक खर्चे शामिल हैं, इस प्रकार हैं :

आयात की अवधि	आयात मूल्य (रु०/मी० टन)
जनवरी-मई, 1968	2525
अगस्त-सितम्बर, 1968	2139

(ख) बिक्री की अवधि	मूल्य (रु०/मी० टन)
9 जुलाई—26 जुलाई	2025 से 2460
27 जुलाई— 8 अगस्त	2145 से 2635
9 अगस्त—31 अक्तूबर	2550 से 2850

(ग) समय-समय पर सोयाबीन के तेल के मूल्य विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे मूंगफली के तेल के अनुपात में निर्धारित किये गये थे। तथापि, अगस्त के दूसरे सप्ताह में निर्धारित किये गये मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है जबकि उस तारीख के बाद मूंगफली के तेल के मूल्यों में और वृद्धि हुई है।

(घ) वनस्पति के निर्माण में सोयाबीन के तेल के प्रयोग से मूंगफली के तेल के मूल्यों में और होने वाली वृद्धि रोकने और वनस्पति के मूल्य उचित स्तर पर स्थिर करने में सहायता मिली है।

Shri George Fernandes: Mr. Speaker, the 1966-67 Report of the State Trading Corporation states about soyabean oil as follows :

"The production of oilseeds in the country fell to extremely low levels during the 1966 agricultural season and Government came to the conclusion that a serious situation would threaten the country, if urgent measures were not taken to import edible oils on a large scale. Accordingly, in June, 1966, the Corporation was called upon by Government to make arrangements at short notice for the import of soyabean oil from the US under PL-480 and sunflower oil from the USSR and to undertake planned storage thereof at key centres for distribution to vanaspati factories so as to relieve the prevailing acute shortage and to arrest the rising prices of vegetable oils in the country."

It appears from the above that Government's policy about import of soyabean is to have a check on rising prices of groundnut oil resulting in the increase of vanaspati oil. On July 9 the rates of soyabean oil per ton was Rs. 2130, which increased to Rs. 2760 on 9th August. It means that there was increase of Rs. 630/- or 30% in the prices of soyabean in 16 days' period. May I know the reason for this increase?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सोयाबीन तेल के विक्रय मूल्य का सम्बन्ध मूंगफली के तेल के चालू मूल्यों से होता है। मूंगफली के कम उत्पादन और सट्टेबाजी के कारण यहां दुर्भाग्य से मूंगफली के उपलब्ध मूल्यों में स्वयं ही बहुत अधिक उतार-चढ़ाव आया। अतः सरकार की उपरोक्त नीति के अनुसार सोयाबीन तेल के मूल्य का मूंगफली के तेल के उपलब्ध मूल्यों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए सरकार को सोयाबीन के मूल्यों में भी परिवर्तन करना पड़ा। हां, 1968 से पहले सोयाबीन का तेल उसके आयातित मूल्य पर ही दिया जाता था। परन्तु उसके बाद उपरोक्त नीति निर्धारित की गयी जिसके अनुसार मूल्यों में परिवर्तन किया गया।

Shri George Fernandes: It goes to prove that Government too favour speculation trading in groundnut oilseeds. May I know the steps being taken by Government to check the rising prices of vanaspati oil, which is closely related to the groundnut oil prices which are high as a result of floods in Gujarat State.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं। सरकार सोयाबीन तेल के मूल्य, मूंगफली के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, एक निश्चित स्तर तक ही बढ़ाती है, और उसके मूल्य उतने नहीं बढ़ाये जाते, जितने की मूंगफली के तेल के बढ़ जाते हैं।

Shri George Fernandes: But why?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कभी-कभी सरकार को सोयाबीन तेल के आयात पर घाटा उठाना पड़ता है, जबकि मूंगफली के तेल के भाव बहुत अधिक गिर जाते हैं। सरकार का इरादा इस सौदे में लाभ कमाने का नहीं होता बल्कि वह घाटे और लाभ में सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास करती है। सरकार को कभी घाटा होता है तो कभी लाभ भी हो जाता है।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात में मूंगफली के तेल के मूल्यों में स्थिरता बनाये रखने के लिये वहां की सरकार यथोचित कार्यवाही कर रही है। गुजरात सरकार अपेक्षित भंडार बनाने के उद्देश्य से एक निश्चित मूल्य पर समाहार कर रही है, जिससे उचित समय पर बाजार में माल भेजकर मूल्य को एक ही स्तर पर रोका जा सके।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इतना अधिक सोयाबीन का तेल बाहर से मंगा लेने के कारण मूंगफली के या उसके तेल के मूल्यों में कितनी गिरावट आयी है? क्या सोयाबीन के तेल का सम्पूर्ण मूल्य विदेशी मुद्रा ही में चुकाया जाता है?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चूंकि यह पी० एल० 480 के समझौते के अन्तर्गत ही मंगाया जाता है, अतः उसी समझौते की शर्तों के अनुसार उसे मंगाया जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is not the first occasion of this type. If every thing imported through STC is sold at the level of prices current in the market, the purpose of stablizing the prices will never be achieved, because it will help the further increase in the market prices. In this context may I know whether Government have made some basis according to which the prices will be fixed; whether any limit has been fixed for the selling prices of imported soyabeean oil and for the difference between the prices of imported oil and its issue price?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram): We have fixed the prices of soyaban oil at a level which will help us in maintaining the prices at a time when there is a spurt in its prices in the market. If the prices of groundnut oil touches the level of Rs. 4000/- or Rs. 4500/-., we never thought of increasing the prices of soyabean oil to that level. At sometimes the increase may be 20% or 25% or 50% but I want to make it clear that it is not our intention to make profit out of it. Moreover, we never incrcase its prices to the current level of prices in the market. We try to have a balance in loss and profit which we have on account of fluctuation in market prices of groundnut oil. But we always try to bring down the prices.

Shri George Fernandes: The percentage of increase was as much as it was in case of groundnut oil. You raised it from Rs. 3100/- to Rs. 4500/-.

Shri Jagjivan Ram: Yes, increase was there, but it is wrong to say that we did it for making profit. Moreover it can easily be imagined as to what effect it will have on market prices, if it is sold at the rate of Rs. 2600/- against the current prices of Rs. 4500/-.

श्री अनन्तराव पाटिल : मूंगफली के तेल का मूल्य सोयाबीन के तेल के आयात और मूंगफली के तेल में वायदा बाजारी पर मुख्य रूप से आधारित होता है। मूंगफली के तेल में सट्टे बाजारी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे मूंगफली के उत्पादकों को हानि न हो।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहिए।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने 26 नवम्बर के अपने उत्तर में कहा था कि सरकार का प्रयास ऐसा होता है जिससे कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले और उत्पादन कार्यक्रम में किसी प्रकार की शिथिलता न आने पाये। क्या राज्य व्यापार निगम ने सोयाबीन के मूल्य निर्धारित करते समय इसी नीति का अनुसरण किया है, जिससे तेलों के स्थानीय मूल्यों में में बहुत अधिक गिरावट न आये और तेल निकालने वालों को मूंगफली उत्पादकों को दिये गये मूल्यों की तुलना में घाटा न उठाना पड़े।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास यह रहा है कि आयातित तेल से मूंगफली के तेल के मूल्यों में आवश्यकता से अधिक गिरावट न आने पाये। जब मूंगफली के तेल के मूल्य में गिरावट आती है तो हम आयातित तेल की सप्लाई बाजार में नहीं करते हैं।

Shrimati Jayaben Shah : May I know whether the import of soyabean oil will have effect on the groundnut oil; if so, the extent thereof?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने अभी कहा है कि आयात से हमारे देश के मूल्यों पर प्रभाव न पड़ेगा। आयात से तो मूल्यों को स्थिर बनाये रखने में सहायता ली जाती हैं।

Shrimati Jayaben Shah : I would like to know that the policy of import at the eve of crop will not affect the farmers in getting the reasonable price for their produce.

Shri Jagjivan Ram : We do not import the soyabean oil whenever there is good crop of groundnut in our country. We do not use the imported oil for bringing down the prices of groundnut oil. We do not release the imported oil when the prices of groundnut oil are unduly depressed. For example, we did not release it last year from our stock. But this year we released the imported oil anticipating the low production of groundnut in Gujarat State on account of floods. To replenish our stock we had to import it. But it is a fact that we have not been able so far to fix the prices of groundnut oil on some scientific basis. Moreover I will make all efforts to see that price level of it in our country is estabilised.

Shrimati Jayaben Shah : May I know whether the time of import is not wrong?

Shri Jagjivan Ram : No, Sir. It will have no affect on internal prices.

Shri Maharaj Singh Bharati : The soyabean oil is used only for making vanaspati oil, because it does not give good taste. In the first instance you sold it at low rates and thereafter you increased its selling prices, which caused the increase in the prices of vanaspati. May I know whether you did so to make profit out of it?

Shri Jagjivan Ram: It is a matter of common sense. It is imported to be used in Vanaspati.

श्री क० नारायण राव : सोयाबीन तेल के आयात का मुख्य उद्देश्य यह है कि वनस्पति उद्योग को मूंगफली तेल के लिये अधिक दाम न देना पड़े, और वनस्पति तेल के देश में दाम न बढ़ने पायें। मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा जान पड़ता है कि सरकार सोयाबीन तेल के व्यापार में कुछ लाभ कमा रही है। इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सम्बद्ध उद्योगों को इस तेल की सप्लाई आयातित मूल्यों पर ही देगी या उससे भी कम और लाभ कम कमाकर उससे भी कम मूल्यों पर देगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह तेल वनस्पति उद्योग को कच्चे माल के रूप में दिया जाता है और उसका विक्रय मूल्य उसके आयातित मूल्य तथा मूंगफली के तेल के बाजार भाव के आधार पर तय किया जाता है। हमारा प्रयास ऐसा होता है जिससे इस तेल को लेकर वनस्पति उद्योग अत्यधिक लाभ न कमाये।

Shri Ishaq Sambhali : It has been mentioned in the House several times that speculation and forward trading causes increase in the dearness of most of the things. The speculation is adversely affecting the production of groundnut in area to which I belong. May I know whether Government intend to put a legal ban on speculation in respect of essential commodities ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। हमने (कृषि) सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं जो इस बात का अध्ययन करेगी कि मूल्य स्तर पर सट्टेखोरी का प्रभाव रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं; और उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। वह इस बात पर भी विचार करेगी कि इसके लिये सुरक्षित भंडार बनाये जायें या अधिक उपज होने पर मूल्य स्थिर रखने के प्रयास किये जायें।

Shri Ishaq Sambhali: Sir, my question regarding putting a ban on forward trading in respect of essential commodities has not been replied.

Shri Bibhuti Mishra : The Minister said that the soyabean oil was imported because of the shortage of groundnut oil in our country. May I know whether Government will make such efforts as will enhance the production of groundnut in our country itself so that there may be no need of importing soyabean oil from abroad.

Shri Jagjivan Ram : All such efforts are being made.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने बताया कि सोयाबीन तेल का सम्बन्ध मूंगफली के तेल से होता है और कई बार सोयाबीन तेल सरकार को घाटे पर बेचना पड़ता है। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने सोयाबीन तेल कभी भी घाटे पर नहीं

बेचा है। राज्य व्यापार निगम ने सोयाबीन तेल कब घाटे पर बेचा और उसे कितना घाटा उठाना पड़ा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत फरवरी में मूंगफली के तेल के दाम एक विशेष स्तर से नीचे गिर गये थे। उस समय राज्य व्यापार निगम को कुछ हानि उठानी पड़ी। ठीक-ठीक आंकड़े बताने के लिए मुझे समय चाहिए। परन्तु कुछ महीने मूंगफली के तेल का मूल्य-स्तर बहुत गिरा हुआ था।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राज्य व्यापार निगम को कितना नुकसान हुआ ? क्या राज्य व्यापार निगम को नुकसान भी हुआ ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उनको कुछ नुकसान उठाना पड़ा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वे इसकी सूचना देंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अगर इसके लिए समय दिया जाये तब ही सूचना देना सम्भव होगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इसके लिए समय दिया जाता है, वे कृपया मुझे इसकी सूचना दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, notice should not be required. The Hon. Minister may give assurance that the imformation will be laid on the table. The question is itself a notice.

श्री जगजीवन राम : साधारणतया जब कोई प्रश्न पूछा जाता है और मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है तो यह आपके निर्णय का विषय बन जाता है, सब मामलों में इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि यह सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगर मंत्री महोदय चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : अगर मंत्री महोदय समय चाहते हैं तो यह उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आश्वासन समिति का सदस्य हूं, मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वे सूचना एकत्रित करके सभा-पटल पर रखेंगे, वे फिर से समय क्यों चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब वे कहते हैं कि सूचना एकत्रित करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी तो इसका तात्पर्य आश्वासन से है, चूंकि मंत्री महोदय ने ऐसा नहीं कहा है और इसके लिए समय मांगा है तो स्पष्टतः ही यह आश्वासन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आपके निर्णय पर छोड़ दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अगर मंत्री महोदय ऐसा करना चाहें तो वे कर सकते हैं।

श्री मनुभाई पटेल : इस देश में विभिन्न प्रकार के स्वार्थी लोग काम कर रहे हैं। कुछ स्वार्थी लोग व्यापारियों का समर्थन करते हैं जबकि कुछ किसानों का समर्थन करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की ऐसे सामान आयात करने की नीति, जबकि फसल खड़ी है और मंडी में लाई जाने वाली है, यह दर्शाती है कि वे कीमतें नीचे गिराना चाहते हैं और इस प्रकार किसानों के हितों को आघात पहुंचाना चाहते हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार वाणिज्य मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालय के दबाव में न झुकने के लिए ऐसे ठोस कदम उठायेगी जिससे किसानों को दिये जाने वाले मूल्य स्थिर रहेंगे और नीचे नहीं करेंगे ? उदाहरण के लिए रुई के मामले में.....

अध्यक्ष महोदय : उन्हें रुई की चर्चा नहीं करनी चाहिए मुख्य प्रश्न केवल मूंगफली के तेल से सम्बन्धित है।

श्री मनु भाई पटेल : यह भी कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है, रुई की गांठें इसलिए आयात की जाती हैं ताकि कीमतें नीचे गिर जायें, मूंगफली के बारे में मंत्री महोदय ने आयात करने का कारण यह बताया है कि बाढ़ के कारण उत्पादन कम हुआ है . . .

अध्यक्ष महोदय : इसको इतने विस्तार से मत कहिए, यह केवल अनुपूरक प्रश्न है।

श्री मनुभाई पटेल : परन्तु मंत्री महोदय का वक्तव्य सही नहीं है, सौराष्ट्र का वह क्षेत्र, जहां मूंगफली का उत्पादन होता है, बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है .....

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए कोई जवाबदेही की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल अनुपूरक प्रश्न पूछना है, परन्तु वह रुई की आयात तथा बाढ़, महामारी और कई अन्य विषयों के बारे में बातें कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही एक विशेष ढंग का प्रश्न पूछा है, जोकि स्पष्ट है, यथा जब मंडी में फसल आ रही थी तब आयात क्यों करने दिया गया ? मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री मनुभाई पटेल : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। यह वास्तव में किसानों के लिए मूल्य के ढांचे को प्रभावित करता है। क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि किसानों को दिये जाने वाले मूल्य प्रभावित नहीं होंगे ?

श्री जगजीवन राम : इस प्रश्न का उत्तर आज एक से अधिक बार दिया जा चुका है। अगर माननीय सदस्य उत्तर को समझने का प्रयत्न करते तो उन्हें यह मालूम होता कि अगर हमारे पास सोयाबीन या सूर्यमुखी का तेल है तो यह तब तक बाहर नहीं निकाला जायेगा जब तक कि मूंगफली के तेल की उचित मूल्य कायम है ताकि उत्पादक को उचित मूल्य मिल सके। मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि इस समय चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि मूंगफली के तेल की कीमत एक अच्छे स्तर पर कायम है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is not a fact that soyabean oil was sold at a very high price with the result that the prices of Vanaspati oil rose high and the people could not get it. The soyabean oil was available in less quantity for the production of Vanaspati oil and the price rose high on account of this. If so, then what are the reasons of it. Whatever the agriculturists bring groundunts in the market, the traders purchase them in a very low prices. Will the Government fix the rates in this respect, so that the groundnuts and other items for the production of oil may not be sold in low prices.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : क्या मैं भ्रांति को दूर करने के लिए स्थिति स्पष्ट कर दूं। मूंगफली के तेल की कीमतें जुलाई में 4,000 रुपये से 4,250 रुपये प्रति टन से सितम्बर के मध्य तक बढ़ीं, तबसे उनकी कीमतें 3,250 से 3,500 रुपये प्रति टन से नीचे गिरीं, परन्तु सोयाबीन तेल, जो कि जुलाई में और अगस्त में बाहर लाया गया था, की कीमतें मेरे कहे गये आंकड़ों की तुलना में जुलाई में 2145 रुपये से 2635 रुपये और अगस्त में 2550 रुपये से 2850 रुपये प्रति टन थीं।

संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध

*393. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी संघ राज्य क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के परिणामों पर विचार किया है; और

(ग) सभी संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध को कब तक पूरी तरह लागू किया जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उस समय की ओर इंगित करना सम्भव नहीं है जब कि सारे देश में, संघ राज्य क्षेत्र सहित, पूर्ण निषेध लागू कर दिया जायेगा।

डा० सुशीला नैयर : मुझे आश्चर्य है क्योंकि मैंने खुद ही इसके बारे में लिखा था और दूसरे लोगों ने भी कहा था कि कम से कम संघीय राज्य क्षेत्रों में जो कि भारत सरकार के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, सरकार मद्य निषेध को लागू करने के लिए ठोस कदम उठायेगी, क्योंकि उन्होंने इस सभा में बार-बार यह कहा है कि वे मद्य निषेध की नीति का समर्थन करते हैं।

श्री वासुदेवन नायर : उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की हैं।

डा० सुशीला नैयर : मुझे सरकार पर माननीय सदस्य से अधिक विश्वास है। मेरा विश्वास है कि जब सरकार कुछ कहती है तो इसका तात्पर्य करने से होता है। वे कभी-कभी अधिक समय भी ले लेती है। परन्तु मुझे इस बात का सन्देह नहीं है कि जब वे कहते हैं तो उसे पूरा करेंगे।

स्वयं गृहमंत्री ने इस विषय पर चर्चा करते समय जो आश्वासन दिया था कि सरकार मद्य निषेध का समर्थन करेगी, उसको देखते हुए, क्या राज्य सरकार इसे लागू करने में शिथिलता बरतेगी ? क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार कम से कम संघ राज्य क्षेत्र में पूर्ण नशाबंदी लाने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाने में क्यों असमर्थ हो रही है।

श्रीमती फूलरेणु गुह : जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मद्यनिषेध पर एक प्रस्ताव पारित किया है। डा० नैयर ने यह प्रस्ताव पेश किया था। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस पर एक ठोस कदम उठायेगी और तब इसका अनुसरण किया जायगा।

डा० सुशीला नैयर : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि संघीय राज्य क्षेत्र पांडीचेरी और गोवा से आयातित शराब की मात्रा इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली मात्रा से अधिक है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सभा वहां हुई थी।

डा० सुशीला नैयर : क्या मैं माननीय सदस्य को बता सकती हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की वहां एक बार बैठक हुई थी, परन्तु हर वर्ष शराब का आयात बढ़ता जाता है ? क्या मैं यह भी कह सकती हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों के शराब पीने के बारे में प्रचार मनगढंत है। (**व्यवधान**)

Shri George Fernandes : The wine was specially brought for the delegates of A. I. C. C. and wine worth seven lakhs of rupees was sold.

श्री स० कुण्डू : अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के बाद गोवा में शराब पूरी बंद हो जायेगी।

डा० सुशीला नैयर : यह एक गम्भीर मामला है। मैं सभा से निवेदन करूंगी कि वे इसको गम्भीरता से लें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मद्यनिषेध की चर्चा से इतने लोग उत्तेजित हो क्यों जाते हैं ? मैं नहीं जानता कि इसमें कोई बात है। (**व्यवधान**) पहले वे अपना प्रश्न पूछें।

डा० सुशीला नैयर : क्या मैं यह कह सकती हूं कि यह गम्भीर मामला है। यह एक ऐसा मामला है जो साधारण व्यक्ति के हित से संबन्धित है जिसका नाम लेकर ये सब महानुभाव कसम

उठाते हैं और अब वे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिससे पांडिचेरी और गोवा में शराब के आयात पर नियंत्रण लग सके जिससे यह उन क्षत्रों के आवश्यकता के अनुरूप हो सके और इसको आस-पास के क्षेत्रों को चोरी-छिपे न ले जाया जा सके।

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह कार्य-रूप देने के लिए एक सुझाव है।

श्री रा० की० अमीन : वित्त मंत्री ने यह कहा है कि जो राज्य मद्यनिषेध लागू करेगा, उसकी हानि का पचास प्रतिशत वे पूरा करेंगे, इसका अर्थ यह है की संघीय राज्य क्षेत्रों की शत प्रतिशत हानि को वे पूरा करेंगे अतएव क्या मैं जान सकता हूं कि संघीय राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास शत प्रतिशत नुकसान पूरा करने के लिए धन नहीं है अथवा सरकार मद्यनिषेध में विश्वास नहीं करती है अथवा उसका विचार है कि इसको लागू करना असम्भव है ? क्या मैं जान सकता हूं कि स्थिति क्या है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह एक अनुमान है, परन्तु मैं कहना चाहूंगी कि संघीय राज्य क्षेत्रों के साथ, जहां कि विधान है, अन्य राज्यों की भांति व्यवहार किया जाता है।

श्री वीर भद्र सिंह : मैं इस प्रश्न के गुण-दोष की चर्चा नहीं कर रहा हूं कि क्या मद्यनिषेध लागू करना चाहिए अथवा नहीं परन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि संघीय राज्य क्षेत्र के लोगों के साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिक के समान व्यवहार किया जाता है तो मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन लेना चाहता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू करने से पहले सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से सलाह मशविरा लिया जायेगा ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : जी, हां।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को देखते हुए कि अगर मद्यनिषेध लागू किया गया तो इससे कुछ राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों को राजस्व की हानि उठानी पड़ेगी तो क्या सरकार मद्यनिसेध के कारण राजस्व में हुई हानि को पूरा करने के लिए कोई योजना बना रही है और इस तथ्य को देखते हुए कि इस देश के कुछ क्षेत्रों में शराब पूजा का एक अंग है, विशेषकर आदिमजाति क्षेत्रों में, तो क्या सरकार मद्यनिषेष लागू करते समय इन सब तथ्यों का ध्यान रखेगी ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हेम बरुआ : क्या हम यह समझें कि मद्यानिषेध का समय अभी नहीं आया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मद्यनिषेध का आरम्भ मेरे राज्य गुजरात से आरम्भ हुआ और मैं 1935 से सामाजिक सेवा करता आ रहा हूं और मेरा अब भी विश्वास है कि समस्त देश को इसका अनुसरण करना चाहिए। मुझे भारत सरकार की अस्थिर नीति पर आश्चर्य है क्योंकि

संघीय राज्य क्षेत्रों में वे इसको लागू नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस नीति पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या आप इसे समाप्त कर देंगे ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : मुझे विश्वास है कि हम इस विचार को ध्यान में रखेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मै नहीं समझता कि मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर अथवा आश्वासन दे सकते हैं जबकि उच्चस्तर पर वे ऐसा नहीं कर सके थे ।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, Dr. Sushila Nayar has raised a very important and serious question of which a mention has been made in our Directive Principles. So it would have been proper if some senior Minister had answered it. I think they are not doing justice with Shrimati Phulrenu Guha as she is being compelled to answer of this question.

I entirely agree to with you on the question of prohibition. I want that there should be prohibition. But I want to ask three questions in this connection.

You have talked about Union territories. I want to know whether it is not a fact that the tourist department of Central Government repeatedly asked the Delhi Administration that certain hotels may be permitted to sell wine openly because tourist visit that places and for the expansion of tourist trade it is necessary that there should be relaxation to sell wine in Delhi ?

Secondly, whether it is correct that there is excessive wine selling in the surrounding areas of Delhi like Haryana and Uttar Pradesh. And if you go ahead of Delhi in Badarpur, you will find contract of wine and the same is cheap. So when there is no prohibition in the surrounding areas, then how it can be implemented in Union territory which lies in the middle.

Thirdly, you talk about Prohibition. Doctor Sushila Nayar has mentioned of common man. I want to say to her that she is a senior member of a big party so whether she would ask the senior members of her party to stop drinking so that the common man may follow them ? The common man follows great people. You ask them to stop drinking and we will ask the common man for not doing the same.

श्रीमती फूलरेणु गुह : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूँगी कि वे पर्यटन विभाग से कहें ।

श्री बलराज मधोक : आपके पास उत्तर नहीं है । आप 'हां' या 'नहीं' कहिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या पर्यटन विभाग ने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि कुछ होटलों के लिये शर्तों में ढील दे दें क्योंकि वहां पर्तटक आते हैं ।

श्रीमती फूलरेणु गुह : मुझे समय चाहिए ।

श्री बलराज मधोक : मेरा जो प्रश्न आस-पास के क्षेत्रों के सम्बन्ध में है उसका क्या हुआ ।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, I personaly and firmly believe in Prohibition. I belong to that area where the Prohibition was in force for ten years. During those ten years, when to-day the Prohibition has been lifted, wine used to be consumed three times more. It is unfortunate that drinking will not be stopped at least in those families to which the officers and Jawans belong unless substitute of wine is not provided to the Jawans in the army where drinking is necessary to maintain the morale and spirit of war. So I want to ask from the Hon. Minister what steps they are going to take to enforce Prohibition particularly in the army so that the wine may be consumed less in Haryana and other such places.

श्री सेझियान : माननीय सदस्या डा० सुशीला नैयर ने जो यह कहा है कि गोवा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेसी सदस्यों के शराब पीने की बात मनगढ़न्त है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि मद्रास के एक प्रमुख कांग्रेसी सदस्य को जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य भी है, परमिट दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री सेझियान : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक सदस्य ने समाचार-पत्र में यह खुला लिखा है कि उसे शराब पीने की अनुमति मिली हुई है।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक छोटी सी बात है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसको सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह इस सभा का सदस्य नहीं है। कृपया नाम मत लीजिए।

श्री सेझियान : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को ऐसे परमिट-धारक के बारे में मालूम है जिन्हें यहां तक कि कांग्रेस पार्टी में शराब पीने की अनुमति मिली हुई है।

अध्यक्ष महोदय : सभी निषिद्ध क्षेत्रों में परमिट दिये जाते हैं चाहे वे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी। परमिट दिया जाना कानून के अन्तर्गत आने वाला मामला है। परमिट बीमारी के आधार पर दिये जाते हैं। मंत्री महोदया को इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। वह इसका क्या उत्तर दे सकती हैं ?

श्री हेम बरुआ : ऐसे बीमारी के आधार क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, श्री कार्तिक उरांव।

श्री कार्तिक उरांव : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जाति के लोगों की भलाई के लिए पिछले 20 वर्षों से आदिम जाति क्षेत्रों में भूमि की प्राप्ति बड़े पैमाने पर की जा रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पलामऊ में, जहां कि भयावह सूखा पड़ा था, शराब की बिक्री आदिम जाति लोगों में बड़े पैमाने पर हुई। इससे मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि

आदिम जातियों और अन्य जातियों में शराब की छूट देकर हम उनकी भलाई के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं अपितु जो कुछ हम कर रहे हैं उसे ही बिगाड़ा जा रहा है, इससे परिणाम कुछ भी नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इसे वांछनीय समझेगी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में अवैध शराब बनाने को रोककर कठोरता के साथ मद्यनिषेध को लागू किया जाय ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : मैं समझती हूं कि कार्यरूप देने के लिये एक सुझाव है ।

Shri Shinkre : Every member knows the results where the prohibition was implemented. People started drinking where the prohibition was implemented. When the big States could not continue prohibition in their States then how can the small Union territories continue the same. Will you give such assurance that firstly the States adopt prohibition in their States and after the five years the Union territories will adopt the same ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : शुरू में मैंने यह कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया है और सरकार इस पर निर्णय ले रही है, मुझे विश्वास है कि इस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मेरा विचार है कि जब आखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में जब यह प्रश्न उठाया गया था तो कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र देने की धमकी दी थी, अतएव मैं जान सकता हूं कि क्या यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से सरकार इसे लागू करने में हिचक रही है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकतीं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : अगर विरोधी दल के सदस्य शराब पीना चाहते हैं तो इससे मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है परन्तु उनको हमारे विरुद्ध यह झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए कि हम शराब पीते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये । (**व्यवधान**)

श्री हेम बरुआ : वे अपमान पूर्ण वक्तव्य दे रहे हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री तिवारी बिना और कुछ कहे प्रश्न पूछिये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जब वे इसे मजाक में ही नहीं ले सकते तो उन्हें मजाक नहीं करना चाहिए ।

श्री क० लकप्पा : इसका प्रमाण है कि एक कांग्रेसी ने पुलिस से यह शिकायत की थी कि तीन शराब की बोतलों की चोरी हो गई है। इसकी शिकायत की गई थी और इसका प्रमाण पुलिस स्टेशन में है।

श्री स० मो० बनर्जी : वे बोतलें कहा हैं ? (**व्यवधान**)

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार मद्यनिषेध की नीति के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव पर कायम रहेगी ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : मैंने पहले ही दो बार यह कहा है कि यह विचाराधीन है।

श्री ई० के० नायनार : इस अनुभव के परिणामस्वरूप, कि मद्यनिषेध की नीति असफल हो गई है, केरला, मैसूर और महाराष्ट्र ने इस नीति में छूट दी है। केरला ने इस नीति को समाप्त कर दिया, जब यह समाप्त कर दिया गया तो माननीय सदस्य केरला आये और मद्यनिषेध लागू करने के लिये सत्याग्रह आरम्भ किया परन्तु फिर भी कांग्रेसियों ने उनका समर्थन नहीं किया। गोवा में प्रस्ताव पारित करने के बाद भी महाराष्ट्र बम्बई में 2100 शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं, यहां तक कि श्री निजलिंगप्पा ने कहा है कि "मैं मद्यनिषेध के पक्ष में नहीं हूं परन्तु यह बहुमत से पारित कर दिया गया है।" इन सब तथ्यों को देखते हुये मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार संघीय राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू करने के बजाये इसे समस्त भारत में समाप्त कर देगी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह सर्वविदित है कि भारत सरकार का कुछ भी दृष्टिकोण क्यों न हो, मद्यनिषेध के बारे में राज्य सरकार अपनी नीति बनाने के लिये स्वतंत्र है क्योंकि यह पूर्णतया राज्य का विषय है। इसमें कांग्रेसी अथवा गैर-कांग्रेसी का प्रश्न नहीं उठता। (**व्यवधान**)

Shri Valmiki Chaudhary : Whether the Government have such a proposal by which prohibition may be brought firstly among ministers and members of the Parliament ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : इसका कोई जवाब नहीं है।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, this question must be replied to.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं ? आप कांग्रेसी सदस्य हैं और आप व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं।

Shri Valmiki Chaudhary : Mr. Speaker, the record should be available.

Shri Prakashvir Shastri : I want to know from both the Law Minister and the Home Minister that it appears from the attitude of the present Government that they stick to the name of Gandhiji but at the same time they do not want to follow them, just as by placing

time limit for fifteen years the question of Hindi was hanged on fire, just as the question of Kashmir was hanged on fire in the name of Plebiscite, in the same way whether the present Government also want to hang this question on fire for a big period by taking the decision of All India Congress Committee as a basis. They do not want to follow them and declare to satisfy the people that they favour Prohibition.

श्री गोविन्द मेनन : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि संघीय राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, जहां कि विधान है, हम उसके साथ राज्यों के समान बर्ताव करना चाहते हैं। इस प्रश्न पर, कि क्या अशोका होटल में इसको रोका जाये, मैं उत्तर देने से पूर्व अन्य मंत्रालयों से सलाह-मशविरा करना चाहूंगा।

श्री लोबो प्रभु: मुझे पांच वर्ष तक मद्यनिषेध का सचिव होने का लाभ है जैसा कि आपको कुछ समय तक मेरा मंत्री बनने का लाभ हुआ है। इसलिये मैं विशेषकर डा० सुशीला नैयर के लिये सब चीज ठीक करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि उन राज्यों में, जहां मद्यनिषेध लागू है, जेल के आधे लोग मद्यनिषेध का उल्लंघन करने वाले हैं और पुलिस और न्यायालय का आधा समय मद्यनिषेध के अपराधों में लग जाता है और अस्पतालों में रोगियों का एक भाग वह है जो शराब के आदी हैं। अन्त में, राज्यों द्वारा राजस्व में हुई हानि पुराने राजस्व से 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वे ऐसी स्थिति को बनाये रखने को तैयार हैं अथवा वे साफ-साफ यह बताएंगे कि मद्यनिषेध असफल रहा है।

श्री गोविन्द मेनन : यह मद्यनिषेध के विरुद्ध वक्तव्य है और ऐसा नहीं है कि इसका प्रश्न काल के दौरान उत्तर दिया जाये।

श्री लोबो प्रभु : वे इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

डा० सुशीला नैयर : मद्यनिषेध कैसे सफल हो सकता है जब श्री लोबो प्रभु जैसे सचिव मद्यनिषेध लागू करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं ? यह सफल नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह बीस वर्ष पहले किया गया था।

डा० सुशीला नैयर : यह तभी असफल रहा। अगर वे इसे कार्य समझ कर लागू करना चाहते हैं तो इसका भार उन लोगों पर छोड़ना चाहिये जिन्हें इसको व्यवहार में लाने का विश्वास है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Liquor was sold more during the session of A. I. C. C.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में बिजली से पम्प चलाने के लिये विशेष सहायता

*394. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली से पम्प चलाने के हेतु गुजरात सरकार को कोई विशेष राशि का नियतन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ने कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली से पम्प चलाने की योजना के लिये गुजरात सरकार को किसी विशेष राशि का नियतन नहीं किया है ।

गुजरात सरकार ने कृषि प्रयोजनों के लिये 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक बिजली की दरों पर राज-सहायता का कुछ भाग देने की केन्द्र-प्रायोजित योजना को 3 जुलाई, 1967 से समाप्त कर दिया था । जब से योजना बनी है तब से लेकर 3 जुलाई, 1967 तक राज-सहायता के रूप में गुजरात सरकार द्वारा किये गये व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़े अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुये हैं । राज्य सरकार से राज-सहायता पर हुये व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़े मिलने पर व्यय का 50 प्रतिशत भाग, जो भारत सरकार का अंश होगा, राज्य सरकार को दे दिया जायेगा ।

District Boards of Bihar

*395. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar had assumed control of District Boards of Bihar years ago ;

(b) whether it is also a fact that the rural people have not been given any representation in these Boards in so far as even rural development works are concerned ; and

(c) if so, the steps being taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Panchayati Raj is a State subject. The Central Government has continued to stress on the State Government the need for early establishment of the full-fledged three-tier Panchayati Raj set-up to cover the entire State, as envisaged under the State's legislation. Organised representation to the rural people in the institutional development agency at the district level and below would follow when the different tiers of Panchayati Raj bodies are constituted.

उर्वरक उत्पादकों को बिक्री में कठिनाइयां

*396. **श्री रा० को० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी विपणन की तीन स्तरीय पद्धति के फलस्वरूप उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी कारखानों को अपने उत्पादों की शीघ्र विक्री में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन करने वाले कारखाने उर्वरकों की शीघ्र बिक्री के लिये इन्हें बिक्रय अभिकरणों को देंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में अन्य किन वैकल्पिक उपायों को वांछनीय समझा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उर्वरक उत्पादक एककों से थ्री-टायर सहकारी-विपणन समितियों की प्रणाली से उर्वरकों के वितरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कठिनाई की शिकायत नहीं आई है ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटें जहां कहीं भी आवश्यक तथा सम्भव हो वहां सहकारी वितरण चैनलों के शेष कार्य को पूरा करने के लिये निजी एजेंसियों का प्रयोग कर रही हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Land Ownership Right to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

*397. **Shri Ranjit Singh:** **Shri Jagannath Rao Joshi:**

Shri Atal Bihari Vajpayee: **Shri Narain Swarup Sharma:**

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give the ownership rights of such land to members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Centrally Administered areas and in the States under President's Rule, on which they are living in Jhonpris for more than five years ; and

(b) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). It is not possible to give ownership rights in such cases. Every case has to be considered on merits taking into account the needs of development of the area.

रासायनिक उर्वरकों के क्रय-विक्रय के लिये निगम

*398. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के क्रय-विक्रय के लिये एक पृथक निगम स्थापित करने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार ने उर्वरकों के विपणन और वितरण का कार्य एक विपणन कारपोरेशन को सौंपने के प्रस्ताव पर भली-भांति विचार किया है। सरकार का विचार है कि इस समय ऐसा करना सम्भव नहीं है। यह अनुभव किया गया है कि उर्वरकों का प्रबन्ध फर्टिलाइजर पूल के माध्यम से होना, जैसा कि इस समय हो रहा है, अधिक लाभप्रद रहेगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना, पोत परिवहन सारिणी, रेलवे संचलन प्राथमिकता तथा दुर्गम क्षेत्रों में लगातार और समुचित वितरण आदि कार्य एक विभागीय संगठन के माध्यम से सुविधाजनक ढंग से हो सकेंगे।

झरिया खान क्षेत्र

*399. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जुलाई, 1968 के संघ श्रम तथा पुनर्वास मंत्री के झरिया खान क्षेत्र के दौरे के समय "सिटिजन्स एसोसियेशन" के प्रतिनिधियों और "एन० ए० सी०" के सदस्यों को खतरनाक ढंग से शहर के नीचे किये जा रहे खनन कार्य को देखने की अनुमति नहीं दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं। नोटिफाइड एरिया कमीटी और झरिया सीटिजन्स एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि पार्टी के साथ शहर के नीचे किये जा रहे खनन कार्य को देखने के लिये गया। ये खनन कार्य खतरनाक ढंग से नहीं किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फिलीपीन से चावल की खरीद

*400. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल की कमी को देखते हुये सरकार ने फिलीपीन से चावल खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना चावल खरीदा जायेगा और उसका मूल्य कितना होगा तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ग) उस चावल के कब तक यहां प्राप्त होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). फिलपाइन गणराज्य के राइस तथा कार्न प्रशासन के साथ 25,000 मीटरी टन चावल जिसमें 163.00 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन लागत तथा भाड़ा सहित मगर जहाज से उतराने रहित पर फिलपाइन के सफेद चावल आई० आर-8 किस्म 35-40 प्रतिशत

टोटा चावल सहित 10,000 मीटरी टन चावल जिसका लदान 15 अक्तूबर, 1968 तक होना है और 158.50 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन लागत तथा भाड़ा सहित मगर जहाज़ से उतरान रहित पर फिलपाइन की सफेद चावल 30-35 प्रतिशत टोटे चावल के साथ 15,000 मीटरी टन चावल जिसका लदान 15 नवम्बर, 1968 तक होना है, शामिल है, की खरीद के लिये 26 सितम्बर, 1968 को एक ठेके पर हस्ताक्षर हुये थे। आई० आर-8 किस्म के चावल में से 9969 मीटरी टन चावल भारत पहुंच चुका है। शेष चावल के दिसम्बर, 1968 में पहुंचने की संभावना है।

उपग्रह संचार व्यवस्था

*401. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-स्थित वाणिज्यिक उपग्रह संचार केन्द्र तथा हिन्द महासागर में उपग्रह स्थापित करने के लिये अपेक्षित उपकरण तथा तकनीकी सेवाएं देश में उपबन्ध नहीं हो सकती थीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आर० एस० ए० विक्टर कम्पनी के अतिरिक्त किन-किन अन्य कम्पनियों ने टेंडर भेजे थे और उनके टेंडरों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं। उपग्रह संचार का पूना के निकट आर्वी में स्थापित होने वाला भूमि-स्थित केन्द्र, यथा-सम्भव अधिक-से-अधिक देश में उपलब्ध-उपकरणों तथा प्राविधिक सेवाओं का उपयोग करके स्थापित किया जा रहा है। केवल उन्हीं हिस्सों-पुर्जों का आयात किया जा रहा है जिनकी रचना भारत में नहीं हो सकती। जबकि उपग्रह संचार का **भूमि-स्थित केन्द्र** भारत द्वारा बनाया जा रहा है, हिन्द महासागर पर **संचार उपग्रह** "अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संघ" (इण्टरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशंस सैटेलाइट कन्सोर्टियम) द्वारा उसकी भूमाण्डलिक उपग्रह दूरसंचार प्रणाली के एक अंग के रूप में, छोड़ा जायेगा। भारत विश्व के अन्य 62 देशों के साथ इस संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है।

(ग) आर० सी० ए० विक्टर कम्पनी, कनाडा के अतिरिक्त दो अन्य फर्मों ने भी निविदा (टेंडर) भेजे थे। उनके टेण्डरों पर इसलिये विचार नहीं किया गया कि आवश्यक विदेशी-मुद्रा-ऋण केवल कनाडा से ही उपलब्ध था।

Schemes Sent by Delhi Administration

*402 **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has under consideration certain Schemes sent by the Delhi Administration ; and

(b) if so, the nature of those schemes and the time by which a decision is likely to be taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A Scheme to advance loan of Rs. 20 lakhs to the breeders in the rural areas of Delhi for the purchase of about 2000 milch animals of good breed for increasing milk production and a scheme to set up a Gosadan-cum-Transit Camp to maintain 100 cattle which will also serve as a transit camp for 50 cattle before shifting to a Central Gosadan at a total cost of Rs. 5 lakhs are under consideration. The decision on both these schemes is expected to be reached within a month.

दिल्ली में डाक और तार विभाग के खजाने

*403. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री दिल्ली में ठेके के आधार पर चलने वाले डाक और तार विभाग के खजानों के बारे में 29 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 780 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक और तार विभाग के इन खजानों को विभागीय खजाने बनाने के मामले पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

(ग) कोई निश्चित अवधि बताना कठिन है । फिर भी यथासंभव शीघ्र निर्णय लेने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में बाढ़ तथा सूखा

*404. **श्री प्र० के० देव :**

श्री रवि राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बाढ़ तथा सूखे के कारण उड़ीसा में खरीफ की फसल का उत्पादन कम होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने पश्चिमी उड़ीसा के कुछ जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 18 नवम्बर, 1968 को देश में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सभा के पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) और (घ). 1967-68 की खरीफ की फसल खराब होने के परिणामस्वरूप उड़ीसा में राहत कार्य चल रहे हैं। एक केन्द्रीय दल ने जून, 1968 में राज्य का दौरा किया था और 31 अक्तूबर, 1968 तक राहत कार्यों पर 5.47 करोड़ रुपये तक खर्च करने का सुझाव दिया था । विशेषतया सम्बलपुर, बोलनगीर, कालाहांडी और सुन्दरगढ़ के कुछ जिलों में संकट की स्थिति बने रहने के कारण हाल ही में राज्य सरकार ने 30 नवम्बर, 1968 तक राहत कार्य चलाए रखने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति मांगी थी । यह अनुमति दे दी गई है । राज्य सरकार को पहले 2.50 करोड़ रुपये दिए गए थे । उन्होंने हाल ही में 1.60 करोड़ रुपये की और राशि देने के लिए कहा था । इसमें से 1.50 करोड़ रुपये दे दिए गये हैं ।

Supply of Hybrid Bajra seed by National Seed Corporation

*405. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Seeds Corporation has supplied hybrid Bajra seed with 37 per cent producing potentiality to Rajasthan whereas it should have 75 per cent producing capacity ;

(b) the reasons for supplying this sub-standard seed ; and

(c) the persons held responsible for the loss that will be sustained by farmers on account of supply of this bad quality seed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिये कृषि विश्वविद्यालय

*406. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पंजाब विश्वविद्यालय जो लुधियाना में अपने मुख्य कैम्पस के साथ 1962 में स्थापित हुआ था अब भी पंजाव हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

हरियाणा राज्य

आजकल पंजाब विश्वविद्यालय अपना एक कैम्पस हिसार में रखे हुये है। हरियाणा राज्य में एक पृथक कृषि विद्यालय स्थापित करने के लिये उस राज्य द्वारा कार्यवाही शुरू करनी है।

हिमाचल प्रदेश

आजकल पंजाब विश्वविद्यालय अपना एक एकक कैम्पस पालमपुर पर रखे हुये है। हिमाचल प्रदेश में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापन का प्रश्न ऐसे समय तक टाल दिया है जब तक कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना साधनों की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं हो जाती। इसी बीच में, यह प्रस्ताव किया गया है कि जो कुछ सहायता जर्मन सरकार से सोलन पर विद्यमान राज्य कृषि महाविद्यालय के विकास के लिये मिले उसका लाभ उठाया जाये।

(ख) पाचवीं पंचवर्षीय योजना तक प्रत्येक राज्य में एक कृषि विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन

*407. **श्री रा० बरुआ :** **श्री मि० सू० मूर्ति :**

श्री नि० रं० लास्कर : **श्री को० सूर्य नारायण :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में उटकमन्ड में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या निष्कर्ष निकाले गये थे ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया और जिस निष्कर्ष पर पहुंचा गया वे संलग्न उपबन्ध में संक्षिप्तरूप में उपदर्शित किए गए हैं।

(ग) निर्वाचन आयोग से ठोस सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

उपबन्ध

1. **निर्वाचक नामावलियों का सर्वदा और निरन्तर पुनरीक्षण करते रहना जिससे कि निर्वाचन, यदि आवश्यक हो न्यूनतम संभव समय के भीतर किये जासकें :**

यह सहमति हुई कि इस प्रयोजन के लिए विधि में यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए। यह विनिश्चित करना कि संशोधन का क्या रूप हो निर्वाचन आयोग पर छोड़ दिया गया।

2. **यथासंभव अधिक पात्र निर्वाचकों का निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया जाना :**

यह सहमति हुई कि उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है यदि अर्हता की एक तारीख, अर्थात् उस वर्ष की 1 जनवरी, जिसमें कि कोई नाम निर्वाचक नामावकि में सम्मिलित किया जाता है, के स्थान पर अर्हता की तारीखें चार अर्थात् 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्तूबर हो जाएं। यदि ऐसा कर दिया जाए तो भारत का कोई नागरिक, जो कि इन चार तारीखों में से किसी को या के पहले 21 वर्ष की आयु पूरी कर ले, निर्वाचक नामावलि में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए हकदार होगा या होगी।

3. **कम दूरी पर मतदान केन्द्र बनाया जाना :**

यह सहमति हुई कि अधिकतम दूरी जिसे मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए किसी मतदाता को चलना पड़े किसी भी दशा में पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों के सिवाय दो मील से अधिक नहीं होनी चाहिए (इस समय अधिकतम दूरी तीन मील है)।

4. **मतदाताओं का अभिप्राय :** अभिन्नास

यह सहमति हुई कि मतदाताओं को, विशेषत: समुदाय के दुर्बल वर्गों के मतदाताओं को, मतदान न करने या मतदान का बहिष्कार करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से, अभित्रस्त करना स्वतंत्र और ऋजु निर्वाचनों के लिए गंभीर अभिशाप ही नहीं है वरन् वह तो प्रतिनिधिक लोकतंत्र पर कुठाराघात है। अत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अन्तर्विष्ट निर्वाचन विधि के उपबन्धों में और यदि आवश्यक हो, भारतीय दण्ड संहिता, अध्याय 9 क, में यथोचित संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे अभित्रास को संज्ञेय अपराध बना दिया जाए।

5. **निर्वाचन सभाओं में विघ्न :**

यह सहमति हुई कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 में अन्तर्विष्ट विधि में यथोजित संशोधन किया जाना चाहिए जिससे ऐसे विघ्न को संज्ञेय अपराध बना दिया जाए।

6. **अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं आदि द्वारा उपबन्धित गाड़ियों में मतदाताओं का मुफ्त प्रवहण :**

यह सहमति हुई कि, यद्यपि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के अधीन भ्रष्ट आचरण और धारा 133 के अधीन अपराध है तथापि इन धाराओं के उपबन्ध इस भ्रष्ट आचरण को रोकने में अधिक प्रभावशील साबित नहीं हुए हैं अतः उस अपराध को संज्ञेय बनाकर, उस दशा में जहां कि अपराध का किया जाना साबित कर दिया गया हो, गाड़ियों के समपहरण के लिए उपबन्ध करके और यह उप-धारणा बनाकर (यद्यपि उसका खण्डन किया जा सकेगा) कि मतदान के दिन और मतदान के घंटों के दौरान मतदान केन्द्र की ओर बहुत से व्यक्तियों को ले जाने वाली गाड़ी ऐसे व्यक्तियों का मतदान केन्द्रों के लिए मुफ्त प्रवहण कर रही थी, विधि को और कठोर बना दिया जाना चाहिए ।

7. **अनिवार्य मतदान :**

इस विषय पर विचार विमर्श किया गया किन्तु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया । यह सहमति हुई कि निर्वाचन के भारसाधक प्राधिकारी के रूप में निर्वाचन आयोग इस विषय पर सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं से, आगे विचार करे ।

राज्यों में अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों की किस्मों की खेती

408. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **कृषि तथा खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा देश के अन्य भागों में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के बारे में कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कितनी-कितनी भूमि में खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की पहले ही खेती की जा रही है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्यान्नों की अधिक उपज वाली किस्मों की खेती की योजना 1966-67 खरीफ से देश में तथा केरल में भी चालू है ।

(ग) सन् 1966-67 के दौरान अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 16.60 लाख एकड़ क्षेत्र आवरित किया गया । अनुमान है कि 1967-68 के दौरान 149.00 लाख एकड़ क्षेत्र आवरित किया जाएगा । 1968-69 के लिये इस कार्यक्रम का कार्यकारी लक्ष्य 238.00 लाख एकड़ है । खरीफ 1968 में लगभग 90 लाख एकड़ में खेती की जाने की

आशा है। गर्मियों में खेती की फसल का पौधे लगाने का मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है। 1968-69 के लिए केन्द्रीय दलों द्वारा बताए गए और राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत खरीफ 1968 में तथा रबी-गर्मी के लिए लक्ष्य, अनुमानत: आवरिक क्षेत्रों का राज्यवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

क्रम-संख्या	राज्य	खरीफ 1968 में अनुमानित क्षेत्र	(हजर एकड़ों में क्षेत्र रबी 1968-69 की गर्मी के लिए लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	258.00	403.640
2.	आसाम	84.00	51.00
3.	बिहार	525.00	931.00
4.	गुजरात	611.00	570.00
5.	हरियाणा	355.00 *	445.00
6.	जम्मू तथा काश्मीर	384.00 *	285.00
7.	केरल	200.00 *	450.00
8.	मध्य प्रदेश	468.00	350.00
9.	मद्रास	1060.40	877.10
10.	महाराष्ट्र	2263.00	1215.00
11.	मैसूर	460.00	335.00
12.	उड़ीसा	216.00 *	289.00
13.	पंजाब	425.00 *	2420.00
14.	राजस्थान	282.00	500.00
15.	उत्तर प्रदेश	981.60	5000.00
16.	पश्चिम बंगाल	710.00	264.00
17.	दिल्ली	11.00	30.00
18.	हिमाचल प्रदेश	25.00*	50.00
19.	पांडचेरी	40.25	6.00
20.	गोवा	15.12	12.00

*वास्तविक रूप से आवरित क्षेत्र की सूचना प्राप्त न होने के कारण उन्हीं लक्ष्यों को पुनः रख दिया गया है।

खाद्य स्थिति

*409. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री द० ब० राजू : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की वर्तमान खाद्य स्थिति कैसी है ; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में खाद्य की स्थिति को सुधारने और अनाज की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यद्यपि इस वर्ष गत वर्ष की भांति मौसम उतना अच्छा और अनुकूल नहीं रहा है और कुछ राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा है फिर भी कुल मिलाकर खरीफ फसल की सम्भावनाएं गत वर्ष जैसी अच्छी दिखायी देती हैं। देश के विभिन्न भागों में सितम्बर और अक्तूबर में जो वर्षा हुई थी उससे भी रबी की बुवाई में सुभीता मिला है । कुल मिलाकर, इस समय देश में खाद्य स्थिति सामान्यत: सन्तोषजनक है ।

(ख) देश में खाद्य समस्या का स्थायी समाधान तभी होगा जब उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप होने लगेगा । अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती कर, सघन खेती, उन्नत सिंचाई, उर्वरक आदि के बेहतर प्रयोग से देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बराबर प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

Sugarcane Disease in U. P.

*410. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of a sugarcane disease prevalent in U.P. on account of which sugarcane dries up and thus large tracts of sugarcane fields are destroyed every year ;

(b) if so, the loss to sugarcane crop this year as a result thereof ;

(c) whether Government have made any research in this respect in order to check this loss ;

(d) if so, the action taken by Government to popularize the preventive measures in this regard ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir. Red rot disease is the main cause of drying up of sugarcane in Uttar Pradesh during the past few years. Ratoon stunting, grassy shoot and wilt diseases are also present in some parts of Uttar Pradesh. This year Pyrilla insect has also appeared in an epidemic form over about 6 lakh acres in 12 districts of Uttar Pradesh which has done considerable damage to the sugarcane crop.

(b) Damage to the affected sugarcane crop may vary from 10 to 25%.

(c) Researches on red rot have been conducted during the past many years at the Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow and other principal sugarcane Stations in North India and methods of checking the disease have been worked out. On other diseases some researches also have been done at the various Institutes.

(d) The remedies for controlling various insect, pests and plant diseases are put into practice over extensive areas every year. Various other measures like cultivation of resistant variety, institution of mechanical, biological and chemical control treatments are also recom-

mended for application by farmers. Besides the IISR also gives technical advice and also technical assistance as far as possible whenever the same is asked for by the State Governments, sugar factories, farmers, etc. The methods of control are also published.

(e) Does not arise.

वनस्पति घी के मूल्य में वृद्धि

*411. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि जब भी वनस्पति घी के निर्माता तथा खुदरा व्यापारी आदि मूल्य बढ़ाना चाहते हैं, वे इस वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं और सरकार को उनकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है ;

(ख) इस वस्तु के विक्रय करने वालों पर लाइसेंस लगाने के स्थान पर उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ग) मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार अब वनस्पति के मूल्यों पर सांविधिक नियन्त्रण रख रही है और इन मूल्यों में ससय-समय पर जो परिशोधन किये जाते हैं, वे पूर्णत: कच्चे तेलों जिनसे वनस्पति बनाया जाता है, के मूल्यों में उतार चढ़ाव पर और न कि वनस्पति की चल रही सप्लाई स्थिति पर निर्भर करते हैं ।

(ख) और (ग). वनस्पति के व्यापार पर अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी रखने और राज्यों में इस माल के वितरण का माध्यम सुलभ करने की दृष्टि से कुछ राज्य सरकारों ने वनस्पति के थोक तथा खुदरा व्यापारियों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की है । देश के सभी भागों में इस माल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

वनस्पति का उत्पादन बढ़ाने के लिए ताकि स्थानीय मांग को पूरा किया जा सके, हाल ही में वनस्पति उद्योग को उद्योग अधिनियम के लाइसेंसिंग उपबन्धों से मुक्त किया गया है । (प्रति दिन 100 मीटरी टन की क्षमता तक) । देश में तेल की सप्लाई बढ़ाने और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सोयाबीन के तेल का आयात जारी रखा जा रहा है ।

ये उपाय वांछनीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं और सरकार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता अथवा औचित्यता महसूस नहीं करती है ।

उड़ीसा को उर्वरकों की सप्लाई

*412. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में अब तक क्रमश:

कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध किया गया ;

(ख) यह किस मूल्य पर राज्य को उपलब्ध किया गया और इसे किसानों को किस मूल्य पर सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या उर्वरक में व्यापार करने वाली सहकारी एजेन्सियों ने सप्लाई करने वालों को लगभग दो करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Electric Connections to Tube-Wells

*413. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tube-wells in the country at present which are to be given electricity connections and the estimated number of new wells likely to be sunk in each year during the Fourth Plan period ;

(b) whether it is a fact that in stoneless soil of plains in the catchment areas of river, where tube-wells can be sunk at cheap rates and in a short period and where there are rich underground water resources, electric connections of only 5 Horse Power are being given for tube-wells ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The number of tubewells and wells in the country at the end of March, 1969 is expected to be 2.70 lakhs Nos. and 57.00 lakh Nos. respectively. Of the total of 59.70 lakh Nos. of Tubewells and wells, it is expected that 10.20 lakh Nos. would have been provided with electricity connections by 31-3-69 while the remaining 49.50 lakh Nos. of tubewells/wells will be without electricity connections. The Fourth Five Year plan has not yet been finalised. The Central Working Group of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operotion, however, has recommended a tentative target of sinking 10.00 lakhs Nos. of wells and 3.75 lakh Nos. of tubewells during the Fourth Plan which would mean that on an average 2.00 lakh Nos. of wells and 75,000 Nos. of tubewells would be sunk in each year.

(b) No, Sir. The quantum of power sanctioned in such of the areas as referred to in the question is generally on the basis of the application made by the owner of the tubewell.

(c) Does not arise.

Damage to Crops in Bihar Due to Excessive Rains

*414. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of damage caused to crops by excessive rains in Bhagalpur, Muzaffarpur,

Champaran and Saran districts of Bihar ;

(b) whether Government intend to provide any facilities to the farmers affected by the damage caused by heavy rains ; and

(c) if so, the details thereof and the time by which they will be provided ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The required information has been called for from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha as soon as received.

माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड

*415. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड की कब स्थापना हुई थी और इसको स्थापित करने के क्या उद्देश्य थे;

(ख) क्या कारखाने की स्थापना और उसके उत्पादन और विकास के लक्ष्य परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में कोई विदेशी सहयोग शामिल था और यदि हां, तो सहयोग देने वाले देशों के क्या नाम थे और विदेशी मुद्रा के रूप के कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(घ) कम्पनी इस समय किस चीज का और कितना उत्पादन कर रही है और क्या वे उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) उत्पादन और बिक्री के वर्तमान आंकड़े क्या हैं; और

(च) क्या कम्पनी को इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार का विचार उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड का पंजीकरण 1-10-1965 को हुआ था। इसका उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर स्वास्थ्यप्रद ढंग से तैयार पौष्टिक डबलरोटी सुलभ करना है।

(ख) पहले सोपान में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से उपहार रूप में प्राप्त 6 बेकरियां स्थापित करना जिनमें से 5 बेकरियां अहमदाबाद, बम्बई, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में चालू हो चुकी हैं और शेष बेकरी के कलकत्ता में 1969 में चालू हो जाने की आशा है। दूसरे सोपान में 3 यूनिट हैदराबाद, कानपुर और बंगलौर में स्थापित किए जाने हैं। आशा है कि ये यूनिट बी 1969 में उत्पादन शुरू कर देंगे।

(ग) इनमें कोई विदेशी सहयोग नहीं है, यद्यपि मूलभूत उपकरण और तकनीकी सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा मुफ्त सुलभ की जा रही है।

(घ) फिलहाल कम्पनी केवल सफेद डबलरोटी तैयार कर रही है । डबलरोटी के लिए अधिकांश देशों के अपने मानक हैं। कम्पनी की डबलरोटी भारतीय मानक निर्दिष्टियों के अनुरूप है।

(ङ) प्रति मास लगभग 23 लाख रोटियां।

(च) जी नहीं।

चीनी का उत्पादन

*416. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

श्री विश्वनाथ राय :

श्री बसुमतारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में 1967-68 में चीनी का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) क्या चीनी के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में चीनी का उत्पादन 22.48 लाख मीटरी टन था जबकि 1966-67 में यह उत्पादन 21.51 लाख मीटरी टन था।

(ख) सम्बन्धित क्षेत्रों में कारखानों के कार्यचालन सम्बन्धी परिणामों पर निर्भर करते हुए 1967-68 में 1966-67 की तुलना में चीनी का नियन्त्रित मूल्य कुछ मामलों में कम और अन्य मामलों में अपेक्षाकृत अधिक था।

Fresh Recruitment in P and T Department

*417. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri S. R. Damani :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some fresh recruitments have been made to replace the Posts and Telegraphs employees who were either suspended or removed from service in connnection with the strike held on the 19th September, 1968 ;

(b) the extent to which normalcy has been restored in P and T Services as a result thereof; and

(c) what other steps Government propose to take to safeguard against such eventuality in future?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) The situation has since returned to normal.

(c) Government trust that P and T Unions will not again take recourse to such action which puts the public to inconvenience. However, in the unfortunate event of such a contingency P and T Department has a scheme to provide the essential P and T services.

चीनी का उत्पादन

*418. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पिराई मौसम में चीनी का अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ था;

(ख) गत तीन महीनों में चीनी के फुटकर भाव क्या रहे हैं;

(ग) चीनी की औसत उत्पादन लागत कितनी है तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा दक्षिण में प्रति टन उत्पादन लागत कितनी-कितनी है; और

(घ) इन तीनों क्षेत्रों के कारखानों को पृथक-पृथक प्रतिदिन कितना औसत लाभ होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 22.48 लाख मीटरी टन।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2356/68]

(ग) और (घ). चीनी के उत्पादन की लागत कई तत्वों पर निर्भर करती है जैसे कि गन्ने की कीमत, वास्तविक उपलब्धि, पेराई अवधि, भण्डार की लागत, वेतन तथा मजदूरी, मूल्य ह्रास, रखरखाव तथा मरम्मत, अन्य ऊपरी खर्चे तथा प्रयुक्त पूंजी पर लाभ। क्योंकि विभिन्न कारखाने तथा क्षेत्र गन्ने का भिन्न-भिन्न मूल्य देते हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न हो सकती है। अन्तिम अध्ययन चीनी जांच आयोग द्वारा 1963-64 के लिए किया गया था। तथापि 1967-68 में सरकार ने नियन्त्रित वितरण के लिए अधिग्रहण किए गए उत्पादन के केवल 60 प्रतिशत का निकासी मूल्य निर्धारित किया था। मूल्य राज्यवार आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य, औसत वास्तविक उपलब्धि और सम्बन्धित क्षेत्रों में कारखानों की पेराई अवधि पर विचार करने के बाद चीनी जांच आयोग द्वारा अभिस्तावित 5 क्षेत्रों के आधार पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। 1967-68 के लिए क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित अन्तिम लेवी मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2356/68]

केन्द्रीय रक्षित भंडार के लिए हरियाणा से चावल

*419. **श्री वे० कृ० दासचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष हरियाणा सरकार केन्द्रीय रक्षित भण्डार के लिये $1\frac{1}{2}$ लाख टन चावल देने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों ने केन्द्र से वर्तमान चावल क्षेत्र (जोन) से जिसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू तथा काश्मीर शामिल है, दिल्ली और चण्डीगढ़ को निकालने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिये केन्द्रीय सरकार कहां तक सहमत हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार 1968-69 में 1.5 लाख मीटरी टन की मात्रा अधिप्राप्त करने का विचार रखती है। इसमें से वे 1.2 लाख मीटरी टन केन्द्रीय पूल को दे सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में रोजगार की स्थिति

*420. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रोजगार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या से प्रगति के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों की तुलना में रोजगार की इस समय जो स्थिति है उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी और ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है और चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स०चु० जमीर): (क) और (ख). मार्च, 1966 से संगठित क्षेत्र के (सरकारी क्षेत्र के सभी संस्थापन और निजी क्षेत्र के ऐसे अकृषीय संस्थापन जहां दस अथवा इससे अधिक कर्मचारी काम पर लगे हों) में रोजगार अवसरों की कुल संख्या में केवल आंशिक प्रगति हुई। यह संख्या मार्च, 1966 में 161.90 लाख थी, मार्च, 1967 में 163.20 लाख थी और मार्च, 1968 में 163.30 लाख थी। देश के बड़े

भाग में लगातार दो वर्षों, अर्थात 1965-66 और 1966-67, में पड़ा सूखा मुख्यतः इस धीमी प्रगति का कारण है। सूखे के ठीक बाद योजना में धन का कम लगाव और औद्योगिक मन्दी भी इसका कारण है।

(ग) 1968-69 और 1969-70 की वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित और प्रस्तवित विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा क्रमशः अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की आशा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भारतीय विशेषज्ञों द्वारा त्याग-पत्र

2380. **श्री रा०रा० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्त कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने सरकार को अपने त्याग-पत्र दे दिये हैं ताकि वे विदेशों में सेवा ग्रहण कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) भारत में कृषिय अनुसंधान का पुनर्गठन करने के लिये सरकार के निर्णय के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियम और उप-नियम परिशोधित कर दिये गये हैं जिससे कि इसको एक वास्तविक कार्यात्मक, तकनीकी रूप से सूक्ष्म और पूर्णतया स्वायत्तशासी अनुसंधान संगठन बना दिया जाय। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों का प्रशासकीय नियंत्रण जो पहले कृषि विभाग के नियंत्रणाधीन थे पुनर्गठित परिषद को अन्तरित कर दिया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन संस्थानों में चालू-अवस्थाओं को सुधारने के लिये और विभिन्न विज्ञानीय एवं तकनीकी कार्मिकों के वेतन-मान को संशोधित करने के लिये सक्रियता से विभिन्न उपायों का अनुसरण कर रही है।

साउथ सिटी डिवीजन (बम्बई) में क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद

2381. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के साउथ सिटी डिवीजन (बम्बई) में क्लर्कों तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरे जाने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने रिक्त पद हैं तथा उन्हें न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (इ० कु० गुजराल): (क) जी हां, क्लर्कों के कुछ रिक्त पद भरे जाने हैं।

(ख) क्लर्कों के 400 मंजूरशुदा पदों में से 25 स्थान रिक्त हैं और इन्हें भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी हां, इस संबंध में पहले से ही सक्रियता बरती जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

2382. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 के लिये महाराष्ट्र में अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां दी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) **फूलरेणु गुह**) : (क) इस सम्बन्ध में, दिनांक 22 अप्रैल, 1968 के प्रश्न संख्या 8016 के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण फसलों को क्षति

2383. **श्री देव राव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में हाल में बाढ़ के कारण फसलों को बहुत क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो फसलों को अनुमानतः कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) सरकार ने कृषकों की सहायता के लिये इस राज्य को कितनी राशि मंजूर की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से लगभग 20 हजार हैक्टेयर से अधिक भूमि में फैली फसलों को हानि होने की सूचना मिली है।

(ख) 130 लाख रुपये।

(ग) केन्द्रीय सहायता की राशि केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर निर्भर करती है जिसने हाल ही में राज्य का दौरा किया है। दल की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

महाराष्ट्र में बेरोजगारी

2384. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 31 अक्तूबर, 1968 को महाराष्ट्र राज्य के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या 3,00,440 थी।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अंग के रूप में, कृषि, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, सिंचाई एवं बिजली, यातायात व संचार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा अधिक मात्रा में रोजगार अवसर प्राप्त होंगे ।

वेश्यावृत्ति में वृद्धि

2385. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि हाल के वर्षों में बंगलौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में खुले रूप में तथा चोरी छिपे वेश्यावृत्ति बढ़ गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम 1956 का समाप्त करने का है क्योंकि यह अनैतिक पण्य का दमन करने के अपने बुनियादी प्रयोजन में असफल रहा है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) वेश्यावृत्ति, जिस पर वास्तव में प्रतिबन्ध नहीं है, सम्बन्धी घटनाओं के आकड़े प्राप्य नहीं हैं।

(ख) सरकार नहीं समझती कि महिलाओं तथा लड़कियों में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, 1956, अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है। व्यापारिक दुर्व्यसन के उन्मूलन में अधिनियम की सारवान सफलता रही है और इसलिए इसे रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व चीनी करार

2386. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व चीनी करार में जो 1 जनवरी, 1969 से लागू होने वाला है, शामिल है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के लिए निर्यात का जो कोटा निर्धारित किया गया है वह भारत के आगामी तीन वर्षों में चीनी की संभाव्य खपत तथा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है; और

(ग) भारत की चीनी की आवश्यकता तथा भारत में चीनी के मूल्यों पर इस करार का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत ने करार पर अभी हस्ताक्षर करने हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत में चीनी के मूल्यों पर निर्यात के प्रभाव और खपत सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखते हुये निर्यात की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा । करार के अधीन कोटा अनुमेय है और अनिवार्य नहीं है ।

दिल्ली दुग्ध योजना में घाटा

2387. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 5 वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना को प्रति वर्ष कितना घाटा आया है;

(ख) इस घाटे के क्या कारण हैं ;

(ग) सबसे बड़े दस अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनका वार्षिक वेतन कितना है;

(घ) क्या कारण है कि दिल्ली दुग्ध योजना ठेकेदारी-पद्धति पर कार्य करती और इस प्रकार बिचोलियों को अधिक मुनाफा दे रही है; और

(ङ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का विचार अपनी एक ढोर-बस्ती स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) गत 5 वर्षों में योजना को प्रति वर्ष जो हानि हुई वह निम्न प्रकार है :

वर्ष	हानि लाखों में
1963-64	23.09
1964-65	97.77
1965-66	39.21
1966-67	14.66
1967-68	146.71

लेखा-परीक्षा किए जा रहे लेखा पर आधारित अस्थायी आंकड़े ।

(ख) हानि के लिए मुख्य कारण ये हैं :

1. दूध के विक्रय मूल्य में निरंतर वृद्धि । सन् 1963-64 में भैंस के दूध का खरीद मूल्य औसतन 54.69 पैसे प्रति लिटर था जब कि 1967-68 और 1968-69 (सितम्बर तक) में 94.06 रु० तथा 104.33 रु० प्रति क्विन्टल था ।

2. उत्पादन मूल्य से कम बिक्री मूल्य निश्चित किया जाना ।

3. दूध के खरीद मूल्यों की वृद्धि और बिक्री मूल्यों में संशोधन करने के समय में अन्तर होना ।

4. 1967-68 तक के वर्षों में स्टोर करने की लागत में सामान्य वृद्धि विशेषतः सप्रेटा दुग्ध-चूर्ण की लागत में ।

(ग) 1967-68 वर्ष के लिए दिल्ली दुग्ध योजना में सबसे बड़े दस अधिकारियों सम्बन्धी विवरण सूची में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2357/68]

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना उन क्षेत्रों से दूध खरीद रही है जहां निजी व्यापार काफी समय से सुचारुरूप से चल रहा है और उसने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अधिप्राप्ति एजेन्सियां स्थापित की हुई हैं ।

(ङ) जी, नहीं ।

1. किसानों द्वारा उत्पादित किए गए दूध के लिए बाजार बना कर ग्रामीण अर्थिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से दिल्ली दुग्ध योजना ग्रामीण क्षेत्रों से दूध खरीदता है ।

2. अतिरिक्त व्यापार के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध की लागत की अपेक्षा विशेषित पशु बस्ती में मजदूरी पर उत्पादित दूध की लागत अधिक होती है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विदेशी ट्रालरों और जहाजों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

2388. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों में हिन्द महासागर में गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिये विदेशी ट्रालरों और जहाजों के प्रयोग पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) क्या निकट भविष्य में हिन्द महासागर में गहरे पानी में मछली पकड़ने के लिए विदेशी ट्रालर और जहाज खरीदने की सरकार की कोई योजनायें हैं;

(ग) यदि हां, तो कब और किन देशों से यह जहाज खरीदने का सरकार का विचार है और प्रत्येक का मूल्य कितना होगा; और

(घ) उन्हें कब प्रयोग में लाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासहिब शिन्दे) : (क) पिछले तीन वर्षों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विदेशी जहाजों के प्रयोग पर कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). सरकार का व्यापारिक रूप से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विदेशी मत्स्य नौकाएं खरीदने का कोई कार्यक्रम नहीं है किन्तु निर्यात के लिये मछली पकड़ने के लिये 30 मत्स्य नौकाओं के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया गया है । नौकाओं तथा किन देशों से वे आयात की जायेंगी के ब्योरे के सम्बन्ध में भी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

फिर भी सरकार ने स्वीडन की सरकार से 2 शिक्षण नौकाएं भेंट स्वरूप प्राप्त की हैं और दो 106 फुट की अन्वेषक जहाजों को प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है जिनमें से एक जर्मन जनवादी गणतन्त्र से और दूसरा फ्रांस से प्राप्त होगा ।

(घ) गहरे पानी में मछली पकड़ने वाली 30 आयातित नौकाएं लगभग $1\frac{1}{2}$ साल में कार्य करना आरम्भ कर देंगी । स्वीडन से भेंट स्वरूप में प्राप्त होने वाली शिक्षण नौकाएं दिसम्बर के अन्त तक भारत पहुंचने वाली हैं । अन्य नौकाओं की अवधि के विषय में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

अमरीकी ईसाई एजेंसी द्वारा उपहार में दिये गये गेहूं का पकड़ा जाना

2389. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हैदराबाद में कुछ व्यक्तियों से एक अमरीकी ईसाई एजेंसी द्वारा उपहार में दी गई दो हजार गेहूं की बोरियां पकड़ी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ व्यक्ति "सामाजिक कार्य के लिए ईसाई एजेंसी" से सम्बन्ति थे, यदि हां तो इस एजेंसी द्वारा क्या कार्य किया गया है;

(घ) क्या अन्य स्थानों में भी गेहूं के इस प्रकार के गैर-कानूनी उपहार पकड़े गये हैं; और यदि हां, तो वे किन व्यक्तियों के पास और किन-किन स्थानों पर तथा कितनी मात्रा में पकड़ी गयी है; और

(ङ) उपहार में प्राप्त अनाज की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापितों का पुनर्वास

2390. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए 3000 से भी अधिक विस्थापितों को कालकाजी, दिल्ली के निकट भूमि के प्लाटों की अलाटमेंट में अनुचित देर हो रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) यह अलाटमेंट किस आधार पर की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि कालकाजी में भूमि के दाम (30 रुपये प्रति वर्ग गज) अत्यधिक हैं जबकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को यह 5 रु० प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विस्थापितों को भूमि के कुल मूल्य पर भूमि का किराया देना पड़ता है जब कि सरकारी अधिकारियों को यह भूमि के मूल्य पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत (पहले दस वर्षों के पश्चात्) देना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, नहीं, कोई अनुचित देर नहीं हुई है । बस्ती में प्लाटों की संख्या 2,000 है, न कि 3,000 ।

(ख) कालकाजी के निकट पूर्वी-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्लाटों की अलाटमेंट की शर्तें प्रेस नोट्स दिनांक 4 जनवरी, 1966 तथा 13 अगस्त, 1967 में जिनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं, दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2358/68]

(ग) यह सच नहीं है कि दिल्ली में किसी भी शरणार्थी को विकसित भूमि 5 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से दी गई है । कालकाजी के लिए अनुमानित आधार पर 30 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से प्रीमियम की जो वसूली की जा रही है, यह ध्यान में रखते हुये कि केवल अर्जन तथा विकास मूल ही इसके अन्तर्गत आयेंगे युक्तियुक्त है ।

(घ) और (ङ). पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए जो योजनाएं मंजूर की जाती हैं उनमें सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों के मध्य कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता । कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को, विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 के अधीन बनाए गये नियमों में निर्धारित हुआ प्रिमियम पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से भूमि का किराया देना पड़ता है ।

Distribution of mail accumulated during Strike period

2391. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the mail despatched during the recent Central Government Employees' strike from different places in the country was not distributed and even after the strike the mail bags belonging to the said period are lying at the main post offices undistributed even now ; and

(b) the arrangements made by the Government for distribution of the said mail ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No. There was some dislocation in the movement and delivery of mails at the time of the strike but subsequently they were cleared without the least possible delay.

(b) The mails were distributed during the strike by Postmen in very large number of cities not affected by the strike and through Home Guards and volunteers at Post Offices where there was strike. Window delivery was always available in every Post Office.

Telegraphs and Telephones connections for Police Stations in dacoit-infested Areas

2392. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had issued orders to the officers concerned to implement the scheme of connecting Police Stations with district headquarters by telephone and telegraph in dacoit-infested areas in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh (Bundelkhand area) as proposed in the Consultative Committee relating to Post and Telegraph Department during the last session of Parliament ;

(b) if so, the action taken by departmental authorities in this regard ; and

(c) if no action has been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) This subject does not appear to have been discussed in the Consultative Committee relating to Posts and Telegrephs Department during the last Session of Parliament. The subject of telephone and telegraph facilities in Police Stations and Post Offices in dacoit-infested areas of Rewa and Gwalior was raised by the Hon. Member through an Unstarred Question No. 987 which was answered on 25th July 1968. A copy of the question and answer is at annexure 'A'. **[Placed in Library. See No. LT-2359/68]**

(b) and (c). The present position in respect of the existing and proposed telecommunication facilities in dacoit-infested areas referred to is given in annexure 'B'. **[Placed in Library. See No. LT-2359/68]**

Fallow Land in District Banda (U. P.)

2393. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that landlords have been appropriating thousands of acres of

fallow land of Jiman-14 in district Banda (U. P.) in collusion with Parganadhish, Gram Pradhans and Government Pleaders under Section 229B, Zamindari Abolition Act of 1951;

(b) whether it is also a fact that the Pradhans allot such land to the children and wives of these landlords by showing them landless and whether he is aware that big sums of money are passed on to the Lekhpals, Kanungos, Pradhans and Parganadhishs secretly for granting lease of such land to them; and

(c) whether Government would take concrete steps to put an end to such malpractices so as to retain the confidence of people in Government?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). Information is being collected.

खान मालिकों के पास बिना चुकायी बकाया रकम

2394. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न राज्यों में प्रत्येक खान मलिक के पास उनके कर्मचारियों की छंटनी अथवा अन्य कारणों से अदावी बोनस, मजूरियों तथा प्रतिकर के रूप में अदत्त पड़ी है और इन खान मालिकों के क्या नाम हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नसली (स्टड) घोड़ों का आयात

2395. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में कितने नसली घोड़ों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) राज्यवार, कितने तथा कितने मूल्य के विभिन्न नसली घोड़े मंगाने की मंजूरी दी गई है;

(ग) इन अश्व-नस्ल सुधार केन्द्रों (स्टड फार्म्स) के क्या नाम हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(घ) क्या जिन राज्यों को यह आवंटन किया गया था, उनमें से किसी राज्य में अश्व-नस्ल सुधार केन्द्र नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क)—

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	नसली घोड़ों की संख्या जिसका आयात करने की अनुमति दी गई है।
1966-1967	23
1967-1968	10
1968-1969 (अक्तूबर 68 तक)	11

(ख)

राज्य का नाम	घोड़ों की संख्या	मूल्य (रुपयों में)
महाराष्ट्र	12	4,73,750
मैसूर	6	1,70,000
मध्य प्रदेश	8	1,26,000
राजस्थान	5	1,67,000
उत्तर प्रदेश	3	96,000
पश्चिमी बंगाल	9	2,62,000
गुजरात	1	15,000

(ग) स्टड फार्मों के नाम और स्थान के विषय में एक विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2360/68] इन फार्मों का नियतन घोड़ों के आयात के लिए किया गया था।

(घ) और (ङ). अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य अभिरक्षक संगठन के कर्मचारी

2396. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के राज्य अभिरक्षक संगठन के कर्मचारियों की सेवाओं को, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय निपटान संगठन की सेवाओं में किन शर्तों पर विलय किया गया था;

(ख) क्या राज्य सरकार के उक्त संगठन का विलय करने से पहले निपटान संगठन के कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को सुरक्षित रखा गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय निपटान संगठन के कर्मचारियों से अपनी अपत्तियां बताने को कहा गया था और उनका निपटान कर दिया गया था;

(घ) इन दोनों संगठनों के विलय के समय दोनों के कर्मचारियों की वरिष्ठता किन नियमों/हिदायतों, के आधार पर निर्धारित की गई थी;

(ङ) क्या इस आधार को गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त हिदायतों के आधार पर स्थायी दर्जा दिया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासंभव समय में सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

मद्रास में नलकूप लगाना

2397: **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में नलकूप लगाने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वर्ष 1968-69 में नलकूप लगाने के लिए कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) व्यक्तिगत रूप से नलकूप लगाने के लिए किसानों को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). मद्रास राज्य सरकार ने अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में 13,500 निजी नलकूपों, 15,000 फिल्टर पाइन्ट नलकूपों तथा 130 राजकीय नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव मिला है। सन् 1967-69 के दौरान राज्य सरकार ने 167.24 लाख रु० की बजट व्यवस्था निम्न प्रकार से की है :-

1.	निजी नलकूपों का निर्माण	130.19 लाख रु०
2.	फिल्टर पाइन्ट नलकूपों का निर्माण	36.55 लाख रु०
3.	राजकीय नलकूपों का निर्माण	0.50 लाख रु०
	कुल	167.24 लाख रु०

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए किसी भी प्रकार का सोधा ऋण देने का प्रस्ताव नहीं है। इस कार्य के लिए ऋण संस्थानिक क्षेत्र एजेन्सियों के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गैर-सरकारी छोटे सिंचाई कार्यों तथा निजी नलकूप, कुओं को गहरा करने, कुओं के खोदने, सामुदायिक कुएं बनाने और फिल्टर-पाइन्ट्स इत्यादि लगाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 65.00 करोड़ रुपये की राशि के अंशदात्री की आशा है। सन् 1968-69 में किये गये 167.24 रुपये के बजट व्यवस्था में से किसानों को निजी नलकूपों के निर्माण के लिए ऋण तथा उपदान के लिए क्रमश: 90 लाख और 16.50 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है। फिल्टर पाइन्ट्स के लिए कृषकों को कोई ऋण देने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह कार्य कृषकों के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे करके उन्हें सौंप दिये जाते हैं। कृषकों को यह कीमत किस्तों के आधार पर अदा करनी होती है किन्तु फिर भी फिल्टर पाइन्ट्स के लिए उपदान का प्रयोजन है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 29.00 लाख रुपये का प्रयोजन किया गया है।

हरिजनों के कष्टों के बारे में उपमंत्री का वक्तव्य

2398. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 1968 को "पेट्रियट" में प्रकाशित हुए उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के एक उपमंत्री द्वारा यह कहा गया बताते हैं कि देश में हरिजनों के कष्ट चरम सीमा तक पहुंच गये हैं;

(ख) क्या उस उपमंत्री की उपरोक्त बात सरकार के विचारों से मेल खाती है; और

(ग) यदि हां तो उक्त कथन का आधार क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) से (ग). इस प्रकार का समाचार सामने आया है। प्रतीत होता है कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा यह बयान उनकी अपनी निजी क्षमता में दिया गया।

दिल्ली की दुकानों में दुहरी पारी

2399. **डा० सुशीला नायर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दुकानों में दुहरी पारी की प्रणाली शुरू करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार ने दिल्ली में एक समिति नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कर्मचारी संघों ने दुकानों में इस दुहरी पारी प्रणाली के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ग). दिल्ली प्रशासन के सलाहकार बोर्ड ने निम्न उप-समिति स्थापित की है :—

1. श्री आर० के० अहूजा, श्रमायुक्त, दिल्ली ।	अध्यक्ष
2. श्री संतोष नाथ 3. श्री गनपत राय 4. श्री वाई० डी० शर्मा 5. श्री हरि कृष्ण पाठक 6. भारत की उपभोक्ता परिषद का एक प्रतिनिधि ।	सदस्य

(ख) जी हां ।

(घ) लगभग दो महीने ।

दिल्ली में भीख मांगने वाली लड़कियां

2400. **श्री हेम बरुआ :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में भीख मांगने वाली बहुत सी लड़कियां आ गई हैं जिन्होंने उत्तेजक पोशाक पहनी हुई होती है और वे मुख्यत: कनाट प्लेस के कार्यालयों में बसों में आने वाले विमान यात्रियों से भीख मांगती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भीख मांगने वाली इन लड़कियों से पूर्व इतिहास की जानकारी प्राप्त कर ली गई है और निर्दोष भारतीयों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) ऐसे दृष्टान्त सरकार के सम्मुख नहीं आए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात के लिए कृषि विश्वविद्यालय

2401. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार, उत्तर गुजरात में किसी उचित स्थान पर एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय की रूपरेखा तथा वित्त-व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार का परामर्श तथा सहायता देने का विचार है; और

(ग) गुजरात राज्य की खाद्य की कमी को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का ऐसे विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) गुजरात सरकार ने राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई है। विश्वविद्यालय के मुख्यालय के बारे में केन्द्रीय सरकार को अभी कोई निर्णय नहीं भेजा गया है। इस विषय पर राज्य सरकार को निर्णय करना है।

(ख) केन्द्रीय सरकार हर सम्भव तकनीकी और ऐसी वित्तीय सहायता देने को तैयार है जो कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय स्वीकृत प्रतिपान के आधार पर दी जा सकती है।

(ग) विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधान सभा के अधिनियम के अनुसार की जायेगी और केन्द्रीय सरकार भवन निर्माण के लिए मांगी गई हर प्रकार की सहायता देगी।

Welfare Policy Towards the Poor

2402. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in his Department special attention is paid only towards the welfare of a particular community;

(b) whether it is also a fact that no attention is paid towards the poor in general ; and

(c) if so, the policy adopted by Government in regard to the welfare of the poor in general.

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) to (c). No, Sir. In view of the directive principles contained in articles 41 and 46 of the Constitution, relatively higher attention is devoted towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

In so far as this Department is concerned, special facilities are provided to other Backward Classes (low income groups) mainly for post-matric scholarships. Many State Governments ; however provide additional facilities for education, allotment of land, and employment.

In a welfare State, the development of 'Low Income Groups' is the concern not merely of this Department, but of all development Ministries. Schemes such as Low Income Group Housing, Slum Clearance, Rural works programme have been devised specially to assist deserving occupational groups such as landless agricultural labour.

आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में नलकूप

2403. **श्री राम सिंह अयरवाल :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी**
श्री टी० पी० शाह : **श्री भारत सिंह चौहान**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अब तक कितने सरकारी तथा गैर-सरकारी

नलकूप लगाये गये हैं ;

(ख) 1968-69 में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितना धन व्यय हो चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

ट्रैक्टरों का आयात करने के हेतु किसानों के लिये वित्त की व्यवस्था करना

2404. **डा० सुशीला नैय्यर :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों का आयात करने के हेतु किसानों के लिये वित्त की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को बिना सीमा शुल्क के ट्रैक्टरों का आयात करने की भी अनुमति देगी ; और

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सरकार द्वारा किसानों को विदेशों से ट्रैक्टरों के आयात करने के लिये आर्थिक सहायता देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । फिर भी सरकार ने किसानों के निजी प्रयोग के लिये विदेशों से भेंट रूप में प्राप्त होने वाले खेती योग्य ट्रैक्टरों की सीमित संख्या के आयात की अनुमति देने का निश्चय पहले ही किया हुआ है । विदेशों में रहने वाले भारतीयों से प्राप्त होने वाली भेंट के रूप में ट्रैक्टरों की आयात नीति का ब्योरा वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 234-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 में दी गई है, जो कि उसी तिथि के भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई है । इसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । 50 डी बी एच पी तक के सभी ट्रैक्टर सीमा शुल्क से मुक्त हैं । 50 डी बी एच पी से अधिक के ट्रैक्टर भी सीमा-शुल्क से मुक्त हैं यदि खेती के उपयोग के लिये हों ।

चीनी का उत्पादन बढ़ाने का नया तरीका

2405. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री ए० श्रीधरन :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में चीनी का उत्पादन बढ़ाने का एक नया तरीका निकाला गया है जिससे चीनी के उत्पादन में 4 लाख 50 हजार टन की अतिरिक्त वृद्धि की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा देश में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस तरीके का इस्तेमाल करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। आयन एक्सचेंज रेजिन द्वारा गन्ने के रस के विखनिजीकरण से चीनी की उपलब्धि बढ़ायी जा सकती है। क्योंकि नये तरीके का पूरे पैमाने पर परीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है कि इस तरीके से कितनी मात्रा में अतिरिक्त चीनी सुलभ होगी।

(ख) इस प्रक्रिया का ब्योरा अनुबन्ध में है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2361/68] इस प्रक्रिया की क्षमता भली-भांति सिद्ध हो चुकी है। देश में कैंटायन एक्सचेंज रेजिन का उत्पादन शुरू किया गया है लेकिन ऋणायन एक्सचेंज रेजिन का आयात करना पड़ेगा। नये तरीके का पूरे पैमाने पर परीक्षण करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स द्वारा निर्यात

2406. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स कारखाने से निर्यात आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो कितने टेलीप्रिंटरों का निर्यात करने का विचार है और किन-किन देशों को ; और

(ग) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की सम्भावना है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में चालू वर्ष के दौरान दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) और उनके अनुसंगी उपस्करों सहित कुल 70 मदों का निर्यात श्रीलंका को किया है।

(ग) निर्यात का मूल्य लगभग 2.4 लाख रुपये है। इन पदों के निर्माण पर व्यय हुए लगभग 0.3 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा घटाने के बाद, इस क्रयादेश से लगभग 2.1 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का उपार्जन होगा।

Provident Fund Deposits

2407. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the respective amounts of provident fund not deposited so far by each of the Swadesi Mills, Kalyan Mills, Malawa Mills of Indore and Hira Mills Company Ltd., Ujjain ;

(b) the amount of arrears of provident fund due from the textile industry at present in the above two districts of Madhya Pradesh ; and

(c) the action proposed to be taken by Government for getting this amount deposited ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The amounts of provident fund dues outstanding against these Mills as on 30.9.1968 are as under

(i) Swadeshi Cotton & Flour Mills Ltd., Indore.	Rs. 14.95 lakhs
(ii) Kalyanmal Mills	-NIL-
(iii) Indore Malwa United Mills Ltd., Indore	Rs. 38.50 lakhs
(iv) Hira Mills Ltd., Ujjain.	Rs. 14.41 lakhs

(b) The arrears of provident fund due from the textile mills in these two districts, as on 30.9.1968, are given below :—

(i) Indore District — Rs. 53.45 lakhs

(ii) Ujjain District — Rs. 14.41 lakhs

(c) The powers to recover dues as arrears of land revenue have been vested in the State Governments. Prosecution of employers under Section 14 of the Employees Provident Fund Act also requires the previous sanction of the State Governments. Revenue recovery proceedings launched for realisation of the provident fund dues under section 8 and prosecution cases launched for defaults under Section 14 of the Employees' Provident Funds Act by the Employees Provident Fund Organisation in consultation with the State Government are in progress. 18 prosecution cases resulted in conviction and fine. In one case, complaint has been filed with the Police authorities, under section 406/409 of Indian Penal Code for breach of trust.

रेडियो लाइसेंस

2408. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में छोटे तथा बड़े आकार के कितने रेडियो सेटों के लाइसेंस, अलग-अलग, जारी किये गये ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : रेडियो सेटों के लिये लाइसेंस उनके आकार के आधार पर जारी नहीं किये जाते। रियायती लाइसेंस ऐसे रेडियो सेटों

के लिये जारी किये जाते हैं जिनका विक्रय मूल्य सभी करों को छोड़कर 125 रुपये से अधिक न हो या जिनका प्रयोग शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों और सामुदायिक केन्द्रों में किया जाता हो। 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक की अवधि के लिये रेडियो सेटों के लिये (जिनमें ट्रांजिस्टर भी शामिल हैं) जारी और नवीकृत किये गये विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों की संख्या इस प्रकार थी :

	नये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या	नवीकृत किये गये पुराने लाइसेंसों की संख्या
घरेलू	14,30,468	44,18,765
रियायती	5,29,998	8,53,474
व्यापारिक	32,008	89,361
प्रदर्शन के लिये	1,309	3,069
विक्रेताओं के पास पड़े सेट	7,150	18,496
गैर-विक्रेताओं के पास पड़े सेट	774	1,168
	20,01,707	53,84,333

Check of Spreading of Desert of Rajasthan

2409. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that negotiations are being conducted for effecting Indo-Pak collaboration in efforts to check the spreading desert of Rajasthan ; and

(b) if so, the progress made in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Persons Registered with the Employment Exchanges in Delhi

2410. **Shri Hardayal Devgun :**

Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons registered with the Employment Exchanges in Delhi for Class III posts as on the 30th October, 1968 ; and

(b) the number of persons out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir). (a) and (b). Registrations at the Employment Exchanges are effected according to occupations and not by class of post. However, based on the information about registration of applicants for various occupations and the minimum pay acceptable to applicants as indicated by them at the time of registration, the estimated number of job seekers registered for class III posts who were on the live register as on 31.10. 1968 was as under :—

Type of applicants	No. on live register as on 31.10.1968
(i) Total number of job-seekers registered for class III posts.	68,307
(ii) Scheduled Castes included in (i) above.	2,314
(iii) Scheduled Tribes included in (i) above.	60

Hindi Telephone Directory for Delhi

2411. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of copies of Hindi Telephone Directory of Delhi printed by Government and the number of demands received for them ; and

(b) the action being taken by Government to popularise Hindi Directory ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Hindi Telephone Directory of Delhi is under print and it is proposed to bring out 20,000 copies. Number of copies for which demand has been received is 13,542.

(b) The General Manager Telephones had addressed all subscribers to indicate their demand for Hindi Telephone Directories. This being the first issue the public reaction has yet to be gauged.

नलकूप लगाने के लिये भूमि का सर्वेक्षण

2412. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नलकूल लगाने के लिये उपयुक्त स्थानों का पता लगाने के लिये भारत सरकार ने भारत में भूमि का कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त स्थानों पर नलकूप लगाने के लिये क्या क्या योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ग) नलकूप लगाने के बारे में गुजरात राज्य की स्थिति क्या है तथा वर्ष 1968-69 में नलकूप लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य को कितनी सहायता दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग के अधीनस्थ समन्वेषी नलकूप संगठन राज्य सरकारों और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के परामर्श से भूमिगत जल संसाधनों और नलकूपों के विकास के उपयुक्त क्षेत्रों का आंकन करने के लिये देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल का समन्वेषण कर रहा हूं ।

(ख) भूमिगत जल के समन्वेषण के परिणाम राज्य सरकारों को सूचित किये जाते हैं जिससे कि वे अपने लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त क्षेत्रों में कुंओं के निर्माण की आयोजनाएं प्रारम्भ कर सकें । खोदे जाने वाले नलकूपों की निश्चित संख्या सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्येक राज्य से वार्षिक योजना के प्रारूप पर किये गये विचार-विमर्श के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(ग) गुजरात में नलकूपों के लगाने के सम्बन्ध में अभी तक निम्न स्थिति है :

खोदे गये नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या	जिन नलकूपों को बिजली प्रदान की गई उनकी संख्या	पंचायत को सौंपे गये नलकूपों की संख्या	टिप्पणी
1261	989	868	849	19 नलकूप पंचायत को सौंपे जा रहे हैं ।

वर्तमान पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'कृषि उत्पादन' लघु सिंचाई आदि विकास के व्यापक शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है, न कि आयोजना के आधार पर । विकास के किसी व्यापक शीर्षक के अन्तर्गत धन का नियतन करना राज्य सरकार का कार्य है । गुजरात के लघु सिंचाई कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण भी आता है, के लिये योजना आयोग ने 1968-69 में 5.45 करोड़ का व्यय स्वीकार किया है । 1-4-67 से लघु सिंचाई योजनाओं के लिये वास्तविक रूप से हुए व्यय के आधार पर 60 प्रतिशत ऋण व 15 प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता मिल सकती है । यह सहायता राज्य सरकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती है ।

रायलसीमा, आन्ध्र प्रदेश में सूखा

2413. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र हमेशा सूखाग्रस्त रहता है ;

(ख) क्या इसका स्थायी हल ढूंढने के लिये सरकार द्वारा इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने का कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या लगातार बने रहने वाले सूखे से इस क्षेत्र को बचाने के लिये राज्य सरकार की सहायता से कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2362/68]

आटा मिलों को लाईसेंसों का दिया जाना

2414 **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कितनी आटा मिलों के लिये लाइसेंस दिये गये, उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन राज्यों में स्थित हैं ; और

(ख) क्या कांगड़ा आटा मिल के लिये जिसकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिफारिश की है, मंजूरी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गेहूं रोलर आटा मिल (लाइसेंसिंग तथा कंट्रोल) आदेश, 1957 के अधीन लाइसेंस प्राप्त मिलों का ब्योरा विवरण में दिया जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2363/68]

(ख) कांगड़ा जिले में छोटे पैमाने के क्षेत्र में एक रोलर आटा मिल स्थापित करने की अनुमति देने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिश मान ली गयी है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों में बेरोजगारी

2415. **श्री हेमराज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि देश में वर्ष 1965 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए बेरोजगार लोगों के बारे में किये गये सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : सर्वेक्षण के परिणाम फरवरी, 1969 तक उपलब्ध होने की आशा है।

संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिभूति निक्षेप

2416. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि संसदीय या सभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन चाहने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिभूति निक्षेपों में वृद्धि कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) इस आशय के सुझाव तीसरे और चौथे साधारण निर्वाचनों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्टों में दिये गये हैं, किन्तु ठोस प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बेरोजगार व्यक्ति

2417. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) इस समय शिक्षित बेरोजगार व्यक्यिों, तकनीकी अर्हता प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है; और

(ग) रोजगार दिलाऊ कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) और (ख). देश में बेरोजगारी के बारे में यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज तकनीकी व्यवसायों में रोजगार चाहने वाले पढ़े-लिखे उम्मीदवारों एवं बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

उम्मीदवारों की श्रेणी	30-6-68 **को चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या** :
पढ़े-लिखे उम्मीदवार (मैट्रिक और इससे अधिक)	11,68,153
तकनीकी व्यवसायों में दर्ज बेरोजगार व्यक्ति	2,67,544

(ग) 31-10-1968 को 30,33,731 थी ।

अधिक उपज देने वाली धान की किस्में

2418. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उपज देने वाली धान की एक नई किस्म का सफल परीक्षण किया गया है, जिससे एक एकड़ भूमि में 100 क्विंटल धान पैदा करना संभव हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसका परीक्षण कहां किया गया है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) धान की इस किस्म को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और अगले वर्ष प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में इस किस्म की खेती की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चावलों की किस्म आई आर 8 (जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक है) से उपलब्ध उत्पादन 10 टन (100 क्वीटल) प्रति हैक्टेयर है न कि प्रति एकड़। आई आर 8 को नवम्बर 1967 से सामान्य कृषि के लिये निर्मुक्त कर दिया गया है।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना द्वारा खरीफ 1967 से सम्पूर्ण देश में इस किस्म के कई विभेदक परीक्षण किये गये। ताइचुंग नेटिव 1 और स्थानीय किस्मों के साथ किये गये 30 तुलनात्मक अध्ययनों के आधार पर यह देखने में आया है कि आई आर.8 की उत्पादन क्षमता ताइचुंग नेटिव 1 से 17 प्रतिशत (रबी 1967) अधिक है। आज तक किये गये परवर्ती परीक्षणों द्वारा भी आइ आर 8 की यह श्रेष्ठता प्रमाणित हुई है।

(ग) भारत के प्रत्येक राज्य ने आइ आर 8 को अपने अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया है। खरीफ 1968 में आई आर 8 की खेती का (राज्यवार) अनुमानित क्षेत्र विवरण में दे दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2364/68]**

खरीफ 1969 में आई आर 8 के प्रसार के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उपलब्धि

2419. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) 1967-68 में देश में अनाज का अनुमानित प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या था;

(ख) उस वर्ष अनाज की ढुलाई में और गोदामों में रखने के कारण कितनी मात्रा की क्षति हुई; और

(ग) इस वर्ष देशी साधनों से देश में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि कितनी है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 182. 4 किलोग्राम (कुल)

(ख) मार्ग और भन्डारण में खाद्यान्नों की वास्तविक कुल क्षति पर सूचना उपलब्ध नहीं है। 1967-68 के दौरान सरकार द्वारा इस्तेमाल मात्राओं के विषय में मार्ग और भन्डारण में खाद्यान्नों की क्षति क्रमशः 8,898 और 2,754 मीटरी टन थी।

(ग) रूढ़ भोज्य, बीज और अपव्यय के लिये आज्ञप्त कर देशी उत्पादन से प्रति व्यक्ति कुल उपलब्धि समस्त वर्ष के लिये 159.6 किलो ग्राम पर आंकी गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि का उपयोग

2420. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि का उपयोग करने के लिए हाल ही में एक नई योजना

बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) पुरानी योजना की अपेक्षा नई योजना में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 1 सितम्बर, 1968 से 31 मार्च, 1968 तक की समयावधि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (दोनों छूट प्राप्त और छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान) में जमा राशि के निवेश के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित प्रतिरूप अधिसूचित कर दिया गया है :—

(i) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई और जारी की गई प्रतिभूतियों में तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत जमा अन्य प्रतिभूतियों में ।

(ii) शेष केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत या अन्य सर्टिफिकेट शामिल हैं ।

(ग) राज्य सरकार तथा सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों में अब जमा राशियों की फालतू राशि का 35 प्रतिशत धन लगाया जा सकता है । इस परिवर्तन से पूर्व छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों को केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में कम से कम 8 प्रतिशत धन लगाना पड़ता था और शेष धन किसी भी सरकारी प्रतिभूति (चाहे वह केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई अथवा जारी की गई हो) में लगाना पड़ता था और गैर-छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों को अंशदानों का निवेश पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना पड़ता था ।

अनाज का उत्पादन तथा आवश्यकता

2421. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की जनसंख्या कितनी है तथा प्रत्येक राज्य की अनाज की आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्ष 1966-67 में प्रत्येक राज्य में कितना अनाज पैदा हुआ था;

(ग) प्रत्येक राज्य में उसकी आवश्यकता से कितना अनाज कम अथवा अधिक था;

(घ) 1968-69 में अब तक प्रत्येक राज्य की अनाज की मांग कितनी रही है;

(ङ) अब तक प्रत्येक राज्य को कितना अनाज सप्लाई नियत किया गया है तथा कितना अनाज सप्लाई किया गया है; और

(च) विभिन्न राज्यों की मांग की तुलना में उनको दी जाने वाली सप्लाई के अनुपात में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े भारतीय जनगणना कार्यालय में उपलब्ध हैं। खपत सम्बन्धी किसी युक्तियुक्त सर्वेक्षण के अभाव में और राष्ट्रीय आय के विवरण, शहरीकरण की रफ्तार, भोजन सम्बन्धी आदतों में परिवर्तन जिन पर खाद्यान्नों की आवश्यकता निर्भर करती है, जैसे तत्वों में घट बढ़ होने से इसका अनुमान लगाने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये सारे देश के लिए भी खाद्यानों की आवश्यकता बताना कठिन है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता बताना तो इससे भी कहीं अधिक कठिन है।

(ख) प्रत्येक राज्य में 1966-67 में खाद्यानों का उत्पादन बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-2365/68]

(ग) क्योंकि किसी राज्य का अधिशेष अथवा कमी वाला होना उसके उत्पादन तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और क्योंकि आवश्यकताओं का अंदाजा लगाना कठिन है इसलिए राज्यवार अधिशेष अथवा कमी सम्बन्धी ब्योरा देना भी सम्भव नहीं है।

(घ) से (च). प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों के सरकारी वितरण सम्बन्धी जरूरतों पर सम्बन्धित राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच विचार-विमर्श होता है और केन्द्र के पास उपलब्धि और सभी कमी वाले राज्यों की जरूरतों के आधार पर सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। दूसरे शब्दों में आवंटन प्रत्येक राज्य की मांग का मापक है।

विभिन्न राज्यों को 1968 (नवम्बर तक) में खाद्यान्नों का किया गया आवंटन और अक्तूबर, 1968 तक वास्तव में सप्लाई की गयी मात्राएं बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2365/68]

धान की खेती

2422. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल पैदा करने वाले राज्यों से धान की खेती की वर्तमान स्थिति, खेती वाले क्षेत्र की प्रतिशतता और धान की अनुमानित फसल के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये हैं;

(ख) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या धान की खेती के लिये समस्त सिंचित क्षेत्र का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में धान की खेती की जा रही है; और

(ङ) फसल के लक्ष्य से कितना कम होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चावलों के क्षेत्र और उत्पादन के 1968-69 के निश्चित अनुमान राज्य सरकारों से फरवरी 1969 के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगे ।

(ख) से (ङ). 1968-69 की चावलों की फसल का कोई ब्योरा देना अभी संभव नहीं है ।

चीनी का निर्यात

2423. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में चीनी का कम निर्यात हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चीनी का अधिक निर्यात होगा; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966 में 4.41 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की गयी थी जबकि 1965 में 2.65 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात हुआ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). 1968 में 0.99 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया है जबकि 1967 में 2.17 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात किया गया था ।

Unemployed Persons

2424. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Yogendra Sharma** :
Shri Narayan Swarup Sharma : **Shri J. M. Biswas** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of illiterate, educated and technically qualified unemployed persons, at the commencement and at the end of the First, Second and Third Five Year Plans, separately ; and

(b) their number likely to reach at the end of the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) No estimates are at present available. Planning Commission has recently appointed a Committee of Experts on Unemployment Estimates to advise them on various aspects of Employment, Unemployment and Under-employment.

(b) The Fourth Five Year Plan is under formulation and the various proposals for the Fourth Plan have not yet been finalised. It is, therefore, not possible at this stage to provide information about the employment likely to be generated during the Fourth Plan and the unemployment at the end of the Fourth Plan.

Work in Hindi

2425. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Narain Swarup Sharma :

Shri Atal Behari Vajpayee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tenders ; agreements, contracts, licences permits, notifications and Administrative Reports issued in Hindi by his Ministry and subordinate offices and establishments in August and September last ; and

(b) the number of such Class I officers as have either no knowledge of Hindi or do not regularly avail themselves of the arrangements made for teaching Hindi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 262 tenders, Notifications, Administrative Reports etc, were issued in Hindi during August and September, 1968. In addition, one Kitchen Garden Guide and one National Seeds Corporation bulletin were also issued in Hindi during this period.

(b) 305 Officers.

Land Acquisition Committee

2426. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Sradhakar Supakar :**

Shri Vishwanath Pandey : **Shri Ramavtar Shastri :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of Mulla Committee on acquisition of land ;

(b) if so, the main recommendations therein and the reaction of Government in respect thereto ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) As Land Acquisition is a concurrent subject and the Committee desired to consult the State Governments and to record evidence of persons affected by Land Acquisition Act and having experience of administration of the Land Acquisition Act, the Committee considered it necessary to visit the States and Union Territories. The Committee has visited almost all the States and intends visiting two union territories in the first week of December, 1968.

The Committee consists mostly of Members of Parliament and the State Legislatures who are available for touring only during the periods when Parliament is not in session.

The Members of the Committee would also not be available during January, 1969 for discussions in view of their pre-occupation with the mid-term elections in some States.

The Chairman of the Committee has, therefore, sought extension of the time for submission of the report to the Government upto 31st March, 1969.

Crushing of Sugarcane in U. P.

2427. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from some M. Ps. requesting the Government to allow such farmers of Uttar Pradesh as have power to run tube-wells to run their own crushers for crushing their sugarcane ; and

(b) if so, the action taken by the Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shiade): (a) Yes, Sir.

(b) There is no restriction on the use of power driven crushers in areas unreserved for sugar factories. In the areas reserved for the factories, it is not considered desirable to permit the installation of power driven crushers.

उड़ीसा के लिए चीनी का नियतन

2428. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से अक्तूबर, 1968 तक उड़ीसा को प्रतिमास चीनी का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1967 की अवधि में उड़ीसा के लिए नियत किये गये चीनी के मासिक कोटे से यह कितना कम है अथवा अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2366/68]**

पट्मोहन कोयला खान

2429. **श्री जनार्दनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 अगस्त, 1968 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत, अर्थात साप्ताहिक मजूरी लाभांश, छुट्टी आदि के अन्तर्गत पट्मोहन कोयला खान के मजदूरों की कितनी मजूरी देय थी;

(ख) क्या इस देय राशि को न देना और देने में विलम्ब करना श्रम विधियों का गंभीर उल्लंघन है; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रमिकों की देय राशि की स्थिति इस प्रकार है :—

(i) 17 अगस्त को समाप्त होने वाले सप्ताह की साप्ताहिक मजूरी	5,129.44 रु०
(ii) जून 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही का तिमाही बोनस	4,000.00 रु०
(iii) 1966-67 का लाभांश बोनस	10,851.60 रु०
(iv) 1966 और 1967 के दौरान ली गई छुट्टी का छुट्टी वेतन और गाड़ी किराया	11,963.74 रु०

(ख) जी हां।

(ग) देय मजूरी की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक ब्योरे एकत्र किये जा रहे हैं।

पद्मोहन कोयला खान

2430. **श्री जनार्दनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्मोहन कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु अक्तूबर, 1967 से कोयले का मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित की भी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). 24 जुलाई, 1967 से कोयले के मूल्यों पर नियंत्रण हटाये जाने के बाद मूल्य निश्चित करना खरीदारों और विक्रेताओं का काम है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सिफारिशें कानूनीतौर पर लागू नहीं है तथा किन्हीं प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, सरकार ने एक यह नीति निर्णय किया है कि रेलवे, इस्पात कारखानों तथा बिजली उपक्रमों आदि जैसे सरकार के कोयले के मुख्य उपभोक्ताओं को केवल उन कोयला खानों प्रबन्धकों के कोयला सप्लाई करने के टैंडर स्वीकार करने चाहिये जो अपने

क्षेत्र के स्थानीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि उन्होंने कोयला खान उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर लिया है ।

पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई

2431. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पहाड़ी क्षेत्रों और ऊबड़-खाबड़ भूमि में सिंचाई के लिये बरसाती पानी को जमा करने तथा भूमिगत जल की सतह ऊंची करने की योजना के अन्तर्गत छोटे बांध तथा तालाब बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : लघु सिंचाई कार्यक्रम के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । फिर भी, लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में भूगत जल की सतह ऊंची करने के लिये कोई योजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है ।

Underground Water Stream in Jodhpur

2432. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister fo **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in drought and famine-affected areas of district Jodhpur in Rajasthan there is 100 kilometer long and 1 kilometer wide underground water stream which can supply 2 lakh gallons of water per hour by sinking an ordinary well there ; and

(b) if so, whether there is any minor irrigation scheme to utilise this enormous quantity of water in that area where the rain is always scanty ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will on receipt be laid on the Teble of the Sabha.

Invention of a Pump to Replace Persian wheel

2433. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a cheap pump which can replace the rahat (Persian wheel) and which is capable of taking out more water from the wells and could be operated with the help of bullocks, has been invented ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation is not aware of any cheap pump of the type referred to in the question having been invented. However, among the animal operated water lifting devices, Persian wheels, rope and bucket ift and Kapila Molet continue to be most popular.

Agricultural Development in Bihar

2434. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount likely to be spent on the agricultural development out of the total proposed outlay for the Fourth Five Year Plan of Bihar ;

(b) whether in view of the famines experienced in the past in Bihar, Government propose to pay special attention towards agriculture, with a view to attain self-suffiency in foodgrains during Fourth Plan Period ; and

(c) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Fourth Five-Year Plan of Bihar has not yet been finalised. In the draft proposal on the Fourth Plan, the State Government has proposed that the outlay on agriculture may be about 18.4% of the total outlay.

(b) and (c) . The State Government have mentioned in their draft Plan that Agricultural Production Programmes are being given top priority. Efforts in the Co-operative, Irrigation and Power Sectors are also proposed to be greatly stopped up for matching the requirements of the effort on the agricultural front.

हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड

2435. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड कब स्थापित किया गया था तथा इसके उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कारखानों की स्थापना के लक्ष्य तथा उत्पादन और विकास के लक्ष्य पूरे हुए थे और यदि हां तो कब और कैसे तथा यदि नहीं तो क्यों;

(ग) क्या इस कम्पनी की स्थापना में विदेशी सहयोग लिया गया था और यदि हां तो सहयोग करने वाले देशों के नाम क्या हैं; उनकी सहयोग की शर्तें क्या थीं तथा सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) इस समय कम्पनी किन वस्तुओं का कितना-कितना उत्पादन कर रही है तथा क्या ये वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े क्या हैं तथा उसमें से कितने सामान का निर्यात किया गया; और

(च) क्या इस कम्पनी को कोई कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार दूर करने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास की स्थापना दूरमुद्रकों (टेलीप्रिण्टरों) और अनुषंगी उपस्कर के निर्माण के उद्देश्य से दिसम्बर, 1960 में हुई थी ।

(ख) से (च). अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखी गयी है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2367/68]

खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

2436. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 की अवधि में उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दंडनीय अपराध के कितने मामलों का पता चला ;

(ख) कितने पदाधिकारी (श्रेणीवार) तथा गैर-पदाधिकारी इन मामलों से सम्बन्धित हैं;

(ग) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये;

(घ) 1967-68 में कितने मामलों का पता चला था और कितने मामलों में सजा दी गई तथा ब्योरे सहित कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई; और

(ङ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 73

(ख)

I श्रेणी	—	7
II श्रेणी	—	5
III श्रेणी	—	21
IV श्रेणी	—	40
कुल योग	—	73

(ग) सी० बी० आई० को 20 मामले भेजे गये थे । इनमें से 16 मामले छानबीन की प्रक्रिया में हैं तथा शेष चार मामलों पर अभियोग जारी कर दिये गये हैं । बाकी 53 मामलों में से एक दोषमुक्त निकला, दूसरे में विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप दंड दिया गया और बाकी 51 मामलों में विभागीय कार्यवाही अभी अनिर्णित है ।

(घ)

1967-68 में पता लगाये गये मामले	अभिशास्ति वाले मामले	विभागीय दंड वाले मामले	दोषमुक्त सिद्ध होने वाले मामले	अभी तक विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायालय में अनिर्णित मामले
372	4	189	48	131

(ङ) (1) सर्तकता के कार्य को शीघ्र और सार्थक रूप में निपटाने के लिये मुख्य विभाग में मुख्य सर्तकता अधिकारी तथा अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सर्तकता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ।

(2) जिन विभिन्न कार्यालयों में भंडार की बड़े पैमाने पर खरीद स्थानीय रूप से की जाती है, क्रम समितियां बना दी गई हैं ।

(3) प्राय: रोकड़ तथा भंडारों का निरीक्षण और जांच की जाती है ।

(4) जिन प्रमुख पदों पर भ्रष्टाचार की संभावना है उनके पदाधिकारियों का समय-समय पर बारी-बारी से स्थानान्तरण करने के अनुदेश भी जारी किये गये हैं ।

पुनर्वास उद्योग निगम, लिमिटेड

2437. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना के समय उसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी कितनी थी और 31 मार्च, 1968 को कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को निगमों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अथवा अन्य लोगों को पृथक-पृथक कितना ऋण देय था;

(ग) गत तीन वर्षों में निगम ने कुल कितना ब्याज दिया;

(घ) निगम के गत तीन वर्षों के कार्यकरण के परिणाम क्या हैं और निगम को कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) हानि होने के क्या मुख्य कारण हैं तथा 1968-69 में कितना लाभ अथवा हानि होने का अनुमान है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से स्थापित किया गया था । प्रारंभ में निगम की प्रदत्त पूंजी 10 लाख रुपये थी और प्रथम वर्ष के अन्त तक यह 25 लाख रुपये हो गई थी । 31-3-1968 को प्रदत्त-पूंजी 2,32,20,000 रुपये थी ।

(ख) 31-3-1968 तक भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण की कुल राशि 2,14,25,000 रुपये थी । निगम ने किसी बैंक या अन्य पक्ष से ऋण नहीं लिया है ।

(ग) निगम द्वारा ऋणों पर दिया गया ब्याज निम्न है :

1965-66	6.74 लाख रुपये
1966-67	8.27 लाख रुपये
1967-68	10.69 लाख रुपये

(घ) पिछले तीन वर्षों में निगम के कार्य परिणाम निम्न है :

1965-66	(हानि)	24.76 लाख रुपये
1966-67	(हानि)	29.37 लाख रुपये
1967-68	(हानि)	34.18 लाख रुपये

(ङ) (i) पुनर्वास उद्योग निगम की अधिकांश हानियां पश्चिम बंगाल सरकार से लिये पांच बुनाई करघों के केन्द्रों के फलस्वरूप हुई हैं। ये केन्द्र फैक्ट्री खण्डों के रूप में कार्य कर रहे हैं और श्रमिकों को, बोनस सहित वह सुविधायें देनी पड़ती हैं जो फैक्ट्री श्रमिकों को दी जाती हैं। इन करघों के खण्डों द्वारा किये गये उत्पादन पर प्रतिशत की वह छूट स्वीकार्य नहीं है जोकि सहकारी करघों के खण्डों द्वारा किये गये उत्पादन पर है।

(ii) निगम का अधिकांश उत्पादन उपभोक्ताओं की उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है और इसे उत्पन्न प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हें पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा रोजगार पर लगाना पड़ता है, औद्योगिक खण्डों में कार्य करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं होता और उनकी उत्पादिता तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है। फलस्वरूप पुनर्वास उद्योग निगम के औद्योगिक खण्ड अलाभ की स्थिति में हैं।

(iii) पुनर्वास उद्योग निगम के खंड अधिकांशतः बहुत छोटे हैं और वे अधिक भौगोलिक क्षेत्र में उन विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहां कि विस्थापित व्यक्तियों का अधिक जमाव है। इससे ऊपरी खर्च अधिक बढ़ जाता है और उत्पादन की बिक्री एक कठिन समस्या बन गई है।

(iv) पिछले दो वर्षों के अन्तर्गत, मन्दे तथा पर्याप्त मात्रा में श्रमिक अशान्ति ने भी निगम के कार्य पर कुछ प्रभाव डाला है।

इस समय 1968-69 के वर्ष में होने वाली हानि की राशि का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है।

मंत्रालय में भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले

2438. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की कालावधि के दौरान उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोरी और अन्य दाण्डिक अपराधों वाले कितने मामलों का पता चला है, और इनमें कितने पदधारी (वर्गानुसार) हैं और कितने ऐसे हैं जो पदधारी नहीं है;

(ख) कितने मामलों में अभियोजन किया गया और कितने मामले केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो को निदेशित किए गए;

(ग) कितने मामले 1967-68 में पकड़े गए और उनमें से कितनों में दोषसिद्धि हुए और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसे मामलों के निवारण के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० युनुस सलीम) : (क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की कालावधि के दौरान विधि मंत्रालय में भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोरी या अन्य दाण्डिक अपराध के ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है जिसमें पदधारी अन्तर्ग्रस्त हों। 3 जून, 1968 को शास्त्री भवन में विधि मंत्रालय के एक कमरे से एक छत का पंखा गायब था और उसी दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट कर दी गई। खोए हुए पंखे का पता लगाने के लिए पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं।

(घ) सुरक्षा और सतर्कता के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों और अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

शिलांग में दूरसंचार सेवा में गड़बड़ी

2439. **श्री मधु लिमये** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 में शिलांग का शेष देश के साथ सभी दूर-संचार सेवा सम्पर्क पूरी तरह टूट गया था;

(ख) क्या सेना तथा वायु सेना के सर्किटों समेत सभी सर्किट दो अवसरों पर बिल्कुल बन्द हो गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह तोड़फोड़ करने वाले लोगों का कार्य था;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार तोड़फोड़ करने वाले लोगों का पता लगा सकी है; और

(ङ) भविष्य के लिए सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी नहीं, शिलांग और देश के अन्य भागों के बीच दूरसंचार संबंध सर्वथा कट नहीं गए थे। हालांकि दो बार 14/15 और 24/25 जुलाई, 1968 की रात को सूक्ष्मतरंग परिपथों के वाहक केबिल में सीसे को क्षति पहुंची थी, किन्तु इससे दूरसंचार संबंध बिल्कुल कट नहीं गया था क्योंकि इसके लिए वैकल्पिक ऊपरी लाइनें मौजूद थीं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) (i) लाइनों की निगरानी बढ़ा दी गई है ।

(ii) खतरे की सूचना देने की विशेष व्यवस्था को तार-चालित कर दिया गया है ।

भारत, जापान और फारमूसा में भूमि की जोतें

2440. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फारमोसा तथा जापान में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में बनाये गये तथा लागू किये गये कानूनों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा को घटा कर इतनी करने का है, जितनी पर भूमि के मालिक स्वयं खेती कर सकें तथा जिससे कोई मूलभूत परिवर्तन किये बिना भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण किया जा सके; और

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानूनों से विभिन्न राज्यों में कुल कितने एकड़ भूमि प्राप्त की गई है तथा उसमें से कुल कितने एकड़ भूमि अब तक बांटी जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । फारमोसा तथा जापान में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्मित अधिनियम एवं नियम संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में जानकारी 'प्रोगरश इन लेंड रीफोरम' में उपलब्ध है । सम्बन्धित उद्धरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2368/68]**

(ख) भूमि राज्यों का विषय है । अतः भूमि की जोतों की अधिकतम सीमा को घटाने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार और राज्य विधान सभा को ही विचार करना होगा । सूचना प्राप्त हुई है कि भूमि की अधिकतम सीमा को पुनः बढ़ाने के लिये आसाम सरकार के विचाराधीन एक प्रस्ताव है ।

(ग) भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी अधिनियमों को लागू करने का कार्य भारत के कई राज्यों में प्रारम्भ किया गया है और 20 लाख से भी अधिक भूमि अभी तक फालतू घोषित कर दी गई है । इसका लगभग आधा भाग सरकार द्वारा वितरित कर दिया गया है जैसा

कि निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है :

राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	फालतू क्षेत्र (एकड़ों में)	वितरित क्षेत्र (एकड़ों में)
आन्ध्र प्रदेश	73,692	
आसाम	67,934	466
गुजरात	41,030	6,267
हरियाणा	1,82,250	54,981
जम्मू एवं कश्मीर	4,50,000	450,000
मध्य प्रदेश	75,581	12,114
मद्रास	24,469	17,412
महाराष्ट्र	258,200	90,243
पंजाब	191,527	60,333
उत्तर प्रदेश	233,939	117,744
पश्चिम बंगाल	794,410	182,338
हिमाचल प्रदेश	6,525	292
त्रिपुरा	42	

शक्ति चालित हलों का प्रयोग

2441. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान की भांति शक्ति चालित हलों, का प्रयोग आरम्भ करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) जापानी निर्माताओं के सहयोग से विभिन्न प्रकार के शक्ति वाले हलों को देश में ही निर्माण करने का निश्चय किया गया है। इसी प्रकार की मशीनों के निर्माण के लिये अन्य देशों के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। सन् 1968-69 में शक्ति वाले, 4000 हलों का आयात करने का निर्णय किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Lathi-Charge and Firing on P and T Employees due to Participation in Strike

2442. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri M. L. Sondhi :

Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of employees of Posts and Telegraphs Department killed and injured, separately as a result of lathi-charge and firing by police throughout the country in connection with the strike by the Federation of Central Government employees on the 19th September, 1968, and total loss to Government property ;

(b) whether financial assistance has been granted by Government to the families of those killed and injured ; and

(c) if so, the amount of financial assistance given to each family ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Nil. No loss to Government property has been reported.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

Employees who Participated in the Last Token Strike

2443. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of such employees of his Ministry as participated in the one day token strike on the 19th September, 1968 organised by the Federation of Central Government Employees ; and

(b) the number of such employees as have been suspended, dismissed from service, imprisoned and also punished with the break in service ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 229.

(b)	(i)	Suspended	16
	(ii)	Dismissed from service	Nil
	(iii)	Imprisoned	Nil
	(iv)	Punished with break in service	209
	(v)	Services of temporary employees terminated	4

Supply of Fertilizers to Madhya Pradesh

2444. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) types of fertilizers supplied by Government to Madhya Pradesh in August and September, 1968 and the quantity in which each was supplied ; and

(b) the types of fertilizers likely to be supplied by Government to Madhya Pradesh by December, 1968 and the quantity in which each kind would be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The following quantities of different kinds of fertilisers were supplied to Madhya Pradesh during August and September, 1968 :—

(Figures in tonnes)

Kind of Fertilisers	August 1968	Sep. 1969
Sulphate of Ammonia	3,822	3,402
Urea	2,076	2,064
Cal. Amm. Nitr.	—	168
Muriate of Potash	1,407	168

(b) During the month of October, 1968 up to 25th October following further quantities of fertilisers have been supplied :

(Figures in tonnes)

Kind of Fertilisers	Quantity
Sulpate of Ammonia	5,554
Urea	3,540
Muriate of Potash	216

The following further quantities are likely to be supplied by the end of December, 1968 :-

Urea	4,000 Tonnes
M. O. P.	1,000 ,,

आन्ध्र प्रदेश में रिगों (बर्मों) की सप्लाई

2445. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रिगों (बर्मों) की सप्लाई के लिये केन्द्र को कोई क्रयादेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने रिगों (वर्मों) के लिये क्रयादेश दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से 2 डायरेक्ट सर्कुलेशन रोटेरी रिग्ज (डाउन-दी-होल हैमर टूल्ज सहित), 2 डायरेक्ट सर्कुलेशन रोटेरी-कम-परकुशन रिग्ज तथा 3 डायरेक्ट-कम-रिवर्स सर्कुलेशन रिगों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति के लिये प्रार्थना की थी। फिर भी, संयुक्त राज्य अमरीका से एक रोटेरी-कम-परकुशन रिग तथा एक डायरेक्ट रोटेरी-कम-सर्कुलेशन रिग के आयात के लिए 12.00 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है। शेष पांच रिगों के लिये राज्य सरकार को देसी विनिर्माताओं से सम्पर्क स्थापित करने की सलाह दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा ब्रिटेन से 3 हैलको माइनर ड्रिलिंग रिगों और एक ग्राइन्डर के आयात हेतु 1.03 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति के लिये भी स्वीकृत दी गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा पौलैण्ड से अस्थगित अदायगी आधार पर 200 मीडियम परकुशन रिगों के आयात के लिये भी एक प्रस्ताव था। पुनर्विचार करने पर राज्य सरकार ने इसे कम करके केवल 10 कर दिया। परन्तु इस प्रकार की रिग अब देश में विनिर्मित की जा रही है। अतः राज्य सरकार को देसी संसाधनों से क्रमबद्ध तरीके से ऐसी अपेक्षित रिगों के क्रय के लिए सलाह दी गई है।

बिहार की खाद्य स्थिति

2446. **श्री रा० बरुआ :**

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य की खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये बिहार सरकार को फिलहाल दीर्घकालीन योजना को छोड़कर अल्पकालीन उपाय करने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार इस सुझाव से कहां तक सहमत हो गई है; और

(ग) यदि बिहार द्वारा इस सुझाव का पालन किया जाता है, तो इससे कितने धन की बचत होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). बिहार सरकार को दीर्घकालीन योजना त्यागने की कोई सलाह नहीं दी गयी है। वस्तुतः बिहार में कृषि विकास सम्बन्धी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

Slaughter-Houses in the Country

2447. **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri Maharaj Singh Bharati :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of slaughter-houses in the country, State-wise ;

(b) the number of unauthorised slaughter-honses out of them ;

(c) the action taken by Government to ban such unauthorised sloughter-houses ; and

(d) the number of cows and buffaloes killed daily in the authorised slaughter-houses ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected from the State Governments and Union Territory Administrations and will be placed on the Table of Lok Sabha in due course.

Gosadans set up by Central Government

2448. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of cows looked after in the Gosadans set up by Central Government since their inceptoin to-date;

(b) the number of cows auctioned out of them;

(c) the number of cows in the Gosadans at present; and

(d) the expenditure incurred so far by Government on their maintenance annually?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The Gosadans are set up by the Central Council of Gosamvardhan and not by the Central Government. The required information is given in the statement. **[Placed in Library. See No. LT-2369/68]**

कपास की खेती का उत्पादन

2449. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी**: क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कपास की खेती का कुल उत्पादन कपड़ा मिलों की कपास की आवश्यकता से कम है ;

(ख) यदि हां, तो कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) चालू वर्ष में कितनी कपास का आयात करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य योजनाओं एवं केन्द्र चालित योजनाओं के अन्तर्गत सुधरे हुये शस्य विज्ञानीय अभ्यासों को अपनाकर कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये बहु कपास उत्पादक राज्यों में पैकेज प्रोग्रामों को हाथ में ले लिया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन जैसे कीटनाशक औषधियों एवं सामान सज्जा पर क्षतिपूर्ति, उर्वरकों की आश्वासित सप्लाई, मुफ्त तकनीकी सलाह कृषकों को दी जाती है। पौध-पीडन के प्रभावात्मक नियंत्रण के लिये उपाय, जैसे विमानीय छिड़काव क्षति पूरक परिचालन लागत से संगठित किये जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपनाई गई समन्वित कपास अनुसंधान प्रयोजना विशेषकर भद्र किस्म की उपज बढ़ाने का लक्ष्य रखती है ।

(ग) पहले से ही अधिकृत मुक्ति के अनुसार ग्लोबल कपास की लगभग 3.5 लाख गांठों की एक कुल मात्रा का आयात शायद चालू कपास मौसम (सितम्बर 1968 से अगस्त, 1969 तक) में होना है । इसके अतिरिक्त पी० एल० 480 के अन्तर्गत कुछ मात्रा के आयात की बातचीत चल रही है ।

ज्वाला मुखी में टेलीफोन एक्सचेंज

2450. **श्री हेमराज :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज्वालामुखी स्थित टेलीफोन ऐक्सचेंज सर्वदा खराब रहता है; और

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं और इसको चालू रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :(क) जी नहीं । फिर भी 6 अक्तूबर, 1968 को रात के 9.30 बजे विजली के कारण इस एक्सचेंज के कुछ महत्वपूर्ण भाग जल गए थे, किन्तु 6 अक्तूबर, 1968 को इसे चालू कर दिया गया था ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू-कश्मीर के रिटर्निंग आफिसर की निन्दा

2451 . **श्री सी० के० चक्रपाणि :** **श्री अटल बिहारी वाजपेई**

श्री के० रमानी : **श्री बलराज मधोक :**

श्री उमानाथ **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री नारायण स्वरूप शर्मा **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष की निर्वाचन अर्जी पर निर्णय में सम्बन्धित रिटर्निग आफिसर की निन्दा की और निदेश दिया कि साक्ष्य में गड़बड़ी करने के लिए उसके खिलाफ दाण्डिक कार्यवाही चलाई जाय ।

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां ।

(ख) न्यायाधीश ने शपथ-भंग, कूटरचना और साक्ष्य गढ़ने के लिए रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर की निन्दा की थी ।

(ग) और (घ). चूंकि स्वयं उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 के अधीन कार्यवाही चलाई जाए, अतः सरकार उन कार्यवाहियों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रही है ।

खेती के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र के लिये अनुसंधान योजनायें

2452. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेती के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र की अपेक्षा असिंचित क्षेत्र बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन हेतु कृषकों की सहायता के लिए कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह ठीक है कि भारत में असिंचित क्षेत्र सिंचित क्षेत्र से कई गुणा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कृषि के साधारण अनुसंधान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश के अधिकतर कृषि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में असिंचित परिस्थितियों में फसल उत्पादन पर अनुसंधान किये जा रहे हैं । केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर केवल मरुभूमि में कृषि विकास के लिये तकनीकों के विकास पर ही अनुसंधान कर रहा है । भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, भूमि संरक्षण अनुसंस्थान प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित फसल सुधार प्रायोजनायें और समन्वित सस्य विज्ञान योजनायें असिंचित क्षेत्रों से फसल उत्पादन की वृद्धि के लिए उचित किस्में और अन्य सस्य तकनीकों के विकास की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ।

गेंहू,चावल, मक्का, चरी, बाजरे, दालों और हरे चारे की फसल को सुधारने की प्रायोजना के आधीन अल्प कालीन और सूखा सहन करने वाली किस्मों के विकास के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जो कि वर्षा द्वारा होने वाली परिस्थितियों के अनुकूल हैं । संकर बाजरा 1, संकर चरी, सी. एच. एस. 1, गेंहू सी. 305 और चौटीलार्मा, चावल टैप्पुँग नेटिव 1, कपास एफ. आर. एस. 72 और 74 और मूंग की कुछ किस्में, सोयाबीन और चने, केवल वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए चुने गये हैं । यह भी देखा गया है कि केवल वर्षा वाले क्षेत्रों में गहरा हल चलाना,

उर्वरकों का छिड़कना, भूमि और पानी संरक्षण के तरीकों का अपनाना (जो कि विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर विकसित किये गये हैं) उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत प्रभावी हैं। आगे गहन अध्ययन किये जा रहे हैं।

सूखी खेती पर एक समन्वित परियोजना का विकास किया जा रहा है जिसमें विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान सहयोग करेंगे ताकि केवल वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उचित तकनीकों का विकास किया जा सके।

कोयला खानों के मजदूरों को उपदान

2453. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूरों को उपदान देने सम्बन्धी कोयला मजूरी बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णय को स्वीकार करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृति की जा चुकी सिफारिशों की क्रियान्विति के बाद इस मामले को लेने का विचार है।

कोयला मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करने से इन्कार करने वाली कोयला खानों से कोयले की खरीद के लिये सरकारी टैंडर देने बन्द करना

2454. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के उन मालिकों को कोयला खरीदने के लिए टैंडर न देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; जिन्होंने कोयले के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद कोयला मजूरी बोर्ड की सर्वसम्मति से दी गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख.) सरकार ने यह फैसला किया है कि रेलवेज, इस्पात संयंत्रों और बिजली उपक्रमों को केवल ऐसी कोयलाखानों/प्रबन्धकों से कोयले की सप्लाई के लिए टेंडर स्वीकार करने चाहिए जो उस क्षेत्र के प्रादेशिक श्रमायुक्त से, जिसमें वे स्थित हैं, यह प्रमाण-पत्र पेश करें कि उन्होंने कोयला उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है।

भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

2455. **श्री उमानाथ :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री के० रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी रसायनों तथा उर्वरक उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या ;

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकारी संकल्प की प्रतियां, जिनमें मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का सारांश और उन पर दिये गये सरकारी निर्णय को दिया गया है, 19 नवम्बर, 1968 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

2456. **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 605 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोषी कोयला खानों द्वारा कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के बारे में स्थिति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी कोयला खानों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) 221 कोयला खानों द्वारा सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है, इनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं । 483 कोयला खानों ने इन सिफारिशों को केवल आंशिकरूप से क्रियान्वित किया है । [**पुस्कालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या** 2370/68]

(ग) सरकार ने निर्णय किया है कि रेलवे, इस्पात संयंत्र तथा बिजली उपक्रम जैसे सरकारी खरीद करने वाले केवल उन कोयला खानों से टेंडर मंगायें जो अपने क्षेत्र के प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने कोयला खनन उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ।

Accumulation of Telephone Arrears with Former M. Ps. and Ministers

2457. **Shri Naval Kishore Sharma**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy sums of telephone arrears are due from the present and former Members of Parliament and Ministers ; and

(b) if so, whether a list of these persons would be laid on the Table ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The Posts and Telegraphs cannot, it is regretted, furnish the information as telephone accounts are kept according to telephone numbers and not by names or classes of Subscribers.

(b) Does not arise.

हरियाना और पंजाब को गेहूं की सप्लाई

2458. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंशिक रूप से सूखा पड़ने के कारण 1 अक्तूबर, 1968 से हरियाणा को गेहूं की मासिक सप्लाई में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को, जो कि पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से ठीक भीषण अकाल की लपेट में है, कौन-कौन से अनाज की कितनी-कितनी तथा कब से वृद्धि की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) राजस्थान सूखे से अत्यधिक प्रभावित हुआ है और इसे खाद्यान्नों का आवंटन सितम्बर के 14,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अक्तूबर में 35.2 हजार मीटरी टन और नवम्बर, 1968 में 45 हजार मीटरी टन कर दिया गया है । अक्तूबर से नवम्बर, 1968 तक अनाजवार

आवंटन का ब्योरा नीचे दिया जाता है :

	अक्तूबर, 1968	नवम्बर, 1968
गेहूं	15.2	15.0
माइलो	10.0	10.0
ज्वार	5.0	15.0
मक्का	—	5.0
बाजरा	5.0	—
	35.0	45.0

Telephone Service in Post Offices in Rural Areas

2459. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend telephone service to big Post Offices situated in rural areas ;

(b) if so, the time by which that scheme is likely to be started ; and

(c) if not, why ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The status of a Post Office situated in rural area is not itself a criterion for sanctioning extension of telephone facilities to that place. The provision of telephone facilities at a station is normally sanctioned if the scheme is remunerative, and in case of loss, if the scheme is guaranteed by any interested party. But with a view to progressively extend telephone facilities to rural areas, the present policy of the Government permits opening of long distance Public Call Offices even on the basis of loss at certain categories of stations, based on administrative importance, population, remoteness of the place and other importance like Pilgrim, tourist irrigation or agricultural projects. The stations in rural areas which have Post Office of the status of Sub Offices and are covered by the above policy, will be provided with telephone facilities in a phased manner. It is not possible at this stage to indicate any time limit by which all big Post Offices in rural areas (Sub Post Offices) will be provided with telephone facilities.

Violation of Factory Act in the States

2460. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of mill owners and management authorities who were prosecuted for violation of the provisions of Factory Act, 1948 and the rules framed thereunder during the period from September, 1967 to March, 1968 in the States where President's rule has been imposed;

(b) the number of those out of them who were fined, and the amount of fine recovered from each of them ; and

(c) the number of those who were sentenced to imprisonment and terms of imprisonment in respect of each and the number of those who were acquitted alongwith their names and designations?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The required information in respect of the State of Uttar Pradesh was laid on the Table of the Sabha on the 1st August, 1968 in reply to Starred Question No. 265. Information in respect of the States of Bihar, Punjab and West Bengal is being collected from the State Governments concerned and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Distribution of Land in U. P.

2461. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1744 on the 9th May, 1968 and state:

(a) whether the requisite information regarding the distribution of land in U. P. has since been collected from the Government of Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir.

(b) A statement is laid on the table. **[Placed in Library. See No. LT-2371/68]**

(c) Does not arise.

Scholarships to Students in U. P.

2462. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5745 on the 26th August, 1968 and state:

(a) whether the requisite information regarding scholarships to students in U. P. has since been collected from the State Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) Complete information has not yet been received from the State Government.

(b) and (c). The information is of a voluminous nature, covering hundreds of pages and is still being compiled.

आखेट शरण स्थानों का राष्ट्रीय पार्कों में बदला जाना

2463. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में आखेट शरण स्थानों को राष्ट्रीय पार्कों में बदलने की सम्भावनाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय वण्य प्राणी मण्डल की सिफारिशों पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने 1964 में सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्रार्थना की थी कि वे उचित संविधान द्वारा अपने राज्यों के निम्नलिखित आश्रयस्थलों को राष्ट्रीय पार्कों में परिणित कर दें।

1. मनास	आसाम
2. काजी रंगा	आसाम
3. जल्दापोरा	पश्चिम बंगाल
4. परियार	केरल
5. जयसमन्द	राजस्थान
6. सरिसका	राजस्थान
7. तारोवा	महाराष्ट्र
8. बन्दीपुर	मैसूर
9. मदुमलाई	मद्रास
10. गिर	गुजरात

(ख) राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब विनियोग अधिनिपम पर उच्चतम न्यायालय के अधिकथन

2464 **डा० रानेन सेन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीठासीन आफिसरों और विधान मण्डलों के सम्बन्ध में पंजाब विनियोग अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के अधिकथनों की विवक्षाओं पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार के क्या विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के विचार सदन में 21-8-1968 को विधि मंत्री द्वारा दिये गये कथन में उपवर्णित हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2372/68]

केन्द्रीय सरकारी फार्म

2465. **श्री देवराव पाटिल :**

श्री डी० बसुमतारी :

श्री बासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से उपहार में मिले उपकरणों से पांच केन्द्रीय सरकारी फार्म स्थापित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इन पांच फार्मों के अतिरिक्त और फार्म स्थापित करने सम्बन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें शीघ्र स्थापित करने के लिये अपनाई गई योजनाओं तथा उपायों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा के झारसुगुड्डा नामक स्थान पर फरवरी, 1967 से एक केन्द्रीय सरकारी फार्म ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पंजाब तथा हरियाणा में क्रमश: 1-8-68 तथा 20-8-68 से दो अन्य सरकारी फार्म चालू हो गये हैं। मैसूर राज्य में रायचूर नामक स्थान पर केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार चौथे फार्म के लिये भूमि अधिग्रहण कर रही है और सम्भवत: आगामी वर्ष के प्रारम्भ में फार्म कार्य करना आरम्भ कर दें। पांचवें फार्म के लिये केरल में भूमि नियत की गई है और वहां फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात

2466. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री सीता राम केसरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को 25 लाख टन

और अनाज की सप्लाई स्थगित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सप्लाई स्थगित किये जाने से चालू वर्ष में अनाज की सप्लाई तथा मूल्य स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से पी० एल० 480 के अधीन लगभग 23 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये अनुरोध किया था । बातचीत अन्तिम दौर में है और निकट भविष्य में औपचारिक करार पर हस्ताक्षर हो जाएंगे । करार को अन्तिम रूप दिये जाने तक अमरीका सरकार ने प्रति पूर्ति प्रक्रिया के अधीन हमें गेहूं की कुछ खरीदारी करने का प्राधिकार दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

काजीरंग आखेट निषिद्ध क्षेत्र

2467. **श्री बसुमतारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीरंग आखेट निषिद्ध क्षेत्र को रांष्ट्रीय फार्म पार्क में बदलने के सम्बन्ध में असम सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मांस पदार्थ तैयार करने का कारखाना

2468. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन को प्राप्त अनुरोध पर उनके सहयोग से मांस के पदार्थ तैयार करने वाला कारखाना स्थापित करने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी तथा वित्तीय जटिलताओं सहित योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से मांस प्रोसेसिंग कारखाना (Meat Processing Factory) स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

अनाज को जमा करने के लिये गोदामों का निर्माण

2469. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 लाख टन अनाज के जमा करने के लिये गोदामों के निर्माण करने का एक प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो (1) गोदामों की निर्माण संख्या (2) अनुमानित उनकी स्थिति (3) उन पर होने वाले कुल निर्माण व्यय (4) निर्माण कार्य के पूरा होने की अवधि की सम्भावना, सहित प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ;

(ग) वर्तमान गोदामों की संख्या उनकी जमा करने की क्षमता, उनकी स्थिति और उन पर होने वाला कुल व्यय कितना है ; और

(घ) उनके रखरखाव पर कुल कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है और उन्होंने अलग-अलग कितने कर्मचारी नियुक्त किये हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये 8 लाख मीटरी टन क्षमता के गोदाम बनवा रहा है। इसके अलावा, खाद्य विभाग तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम 1.65 लाख मीटरी टन क्षमता के गोदाम बनवा रहे हैं जोकि खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को सुलभ किये जायेंगे।

(ख) (1) गोदाम बनवाने के लिये अस्थायी तौर पर चुने गये केन्द्रों की संख्या 158 है।

(2) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित गोदाम बनाने के लिये अस्थायी तौर पर चुने गये केन्द्र वितरण 1 में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2373/68]

(3) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित गोदामों के पूर्ण निर्माण के लिये 15.36 करोड़ रुपये।

(4) इन गोदामों के वित्तीय वर्ष 1969-70 में बन जाने की आशा है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के जहां अपने गोदाम हैं उन केन्द्रों की संख्या 73 है। उनकी कुल भण्डारण क्षमता 14.23 लाख मीटरी टन है।

उनके स्थान विवरण 2 में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2373/68]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक अपने बनवाये गये गोदामों और सरकार से लिये गये गोदामों पर 13.75 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(घ) केरल जहां गोदामों की रखरखाव के लिए भारतीय खाद्य निगम का अपना इंजीनियरिंग संगठन है, को छोड़कर, अन्य स्थानों पर गोदाम बनवाने और उनके रखरखाव का काम केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के फील्ड संगठन द्वारा किया जाता है। अपेक्षित सूचना को पृथक करने और संकलन करने में जो समय, परिश्रम और प्रयत्न करने होंगे उससे उतना लाभ नहीं होगा।

तारों की कमी का टेलीफोन सेवा पर प्रभाव

2470. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि तारों की कमी के कारण टेलीफोन सेवाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के बहुत से तार कारखाने, जो सन्तुलन उपकरण (बैलेंसिंग इक्विपमेंट) के रूप में थोड़ी राशि का विनियोजन करके टेलीफोन के लिये अपेक्षित तारों का निर्माण कर सकते हैं अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्भावना पर विचार कर लिया है कि टेलीफोन के तारों का गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्माण करके इतनी कमी को पूरा किया जा सकता है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोन सेवा की व्यवस्था के लिये अपेक्षित अनेकानेक साधनों में केबिल तो सिर्फ एक मद है। देश में अन्य साधनों के साथ-साथ केबिल की भी आम कमी है।

(ख) विद्युत केबिल के कुछ निर्माताओं ने यह अभ्यावेदन किया है कि कुछ संतुलन उपस्कर की सहायता से वे दूर-संचार केबिल का निर्माण कर सकते हैं। यह मामला विचाराधीन है।

(ग) यह बात सरकार के विचाराधीन है कि डाक-तार विभाग की मांग को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड का विस्तार किया जाये अथवा इसे निजी उद्योग से पूरा किया जाय।

समाक्ष (को-एक्सियल) तारों आदि की कमी

2471. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाक्ष (को-एक्सियल) तारों, एक्सचेंज क्षमता उपकरणों

और अन्य चीजों की कमी के कारण टेलीफोन के कनेक्शनों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता ;

(ख) किस प्रकार की चीजों की कमी है और कितनी कमी है ; और

(ग) देश में उत्पादन बढ़ा कर इन चीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी हां । टेलीफोन कनेक्शनों की मांग पूरी करने में देरी मुख्यत: एक्सचेंज उपस्कर और भूमिगत केबिल की कमी के कारण होती है, न कि सहधुरीय केबिल के कारण जिनका टेलीफोन कनेक्शन देने में कोई इस्तेमाल नहीं होता ।

(ग) सरकार के नियन्त्रण में तीन उद्योग देश में टेलीफोन सेवा के विस्तार के लिये अपेक्षित अधिकांश सामान की मदें सप्लाई कर रहे हैं । भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का निर्माण करता है, हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड, रूपनारायण-पुर भूमिगत और प्लास्टिक केबिल का निर्माण करते हैं और करचल एक्सचेंज उपस्कर तथा लाइन सामान का निर्माण डाक-तार कारखानों में होता है । उत्पादन बढ़ाने के लिये डाक-तार विभाग और ये उद्योग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं जो कि बहुत हद तक धनराशि और विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर है ।

पैकेज कार्यक्रम

2472. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शर्तों को पूरा करने पर एक जिले में सघन कृषि जिला कार्यक्रम अथवा पैकेज कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा सकता है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने ढेंकानाल जिले की इस सम्बन्ध में सिफारिश की है; और

(घ) इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सघन कृषि जिला कार्यक्रम (जिसे साधारणत: "पैकेज कार्यक्रम" कहा जाता है) के अन्तर्गत जिलों का चुनाव निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :

(i) विस्तृत क्षेत्रों में पानी की सुनिश्चित उपलब्धि;

(ii) बाढ़, जल निकास समस्यायें, भूमि संरक्षण की विकट समस्यायें आदि प्राकृतिक बाधाओं का कम से कम होना;

(iii) सहकारी संस्थाओं और पंचायतों आदि सुविकसित ग्राम संस्थाओं की मौजूदगी; और

(iv) तुलनात्मक कम समय में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिकतम संसाधनों की मौजूदगी :

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं होते ।

उड़ीसा में अमरीकन सन (सिसल) का उत्पादन

2473. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में केवल उड़ीसा राज्य के अमरीकन सन (सिसल) का 3000 एकड़ भूमि में उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है कि चौथी योजना में 6000 एकड़ अतिरिक्त भूमि में इसका उत्पादन हो सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा राज्य में 3030 एकड़ के एक क्षेत्र पर बांसों का एक संगठित रोपण है । उड़ीसा राज्य के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्यों ने भी बांस की खेती का कार्य हाथ में ले लिया है ।

(ख) जी हां, राज्य सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 7,000 एकड़ के एक अतिरिक्त क्षेत्र को आवरित करने का प्रस्ताव रखती है ।

(ग) विकास के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत जैसे कृषि उत्पादन भूमि विकास, लघु सिंचाई, राज्य योजना में सम्मिलित योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी गई है । व्यक्तिगत योजनाओं के लिये नहीं । इसी प्रकार केन्द्रीय सहायता उड़ीसा की राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए, जिनमें सीसल विकास सम्मिलित है दी जाएगी ।

काजू के बागान

2474. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को काजू के बागानों में सहायता करने के बारे में एक पैकेज कार्यक्रम है;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा में 20,000 एकड़ से भी अधिक भूमि में सरकारी बागान हैं जबकि कई एकड़ भूमि में गैर-सरकारी बागान हैं;

(ग) उड़ीसा को पैकेज कार्यक्रम में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार उड़ीसा को पैकेज कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । केन्द्रीय क्षेत्र में केरल, मद्रास, मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेशों में काजू के लिये पैकेज कार्यक्रम को कार्यरूप दिया जा रहा है ।

(ख) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार उड़ीसा में लगभग 33,000 एकड़ भूमि में सरकारी बागान हैं ।

(ग) और (घ). 1968-69 के लिये उड़ीसा के नान फोरस्ट क्षेत्रों में कुल 34,000 रुपये की लागत से काजू की खेती की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को पैकेज कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है ।

उड़ीसा में छोटी सिंचाई योजनाएं

2475. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा छोटी सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वित करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने किस प्रकार की सहायता के लिये अनुरोध किया था; और

(ग) उड़ीसा राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). सन 1968-69 के लिए अपनी वार्षिक योजना में उड़ीसा सरकार ने राज्य में समस्त लघु सिंचाई कार्यक्रम हेतु निर्धारित किए गए 267 लाख रुपये में से 190 लाख रुपये की राशि लघु सतह जल बहाव सिंचाई योजनाओं (प्रति योजना 60 एकड़ के आयकट के हिसाब से) को क्रियान्वित करने वाले ग्रामीण इन्जीनियरिंग संगठन के लिए प्रस्तावित की है । 190 लाख रुपये का प्रस्तावित खर्च निम्न प्रकार है :

(1) अधूरी योजनाओं को पूरा करना	130 लाख रुपये
(2) सतह जल की नई योजनाएं	54
(3) जांच-पड़ताल	5
(4) बड़ी मध्यम सिंचाई योजनाओं से सम्बद्ध लघु सिंचाई तालाब	1
कुल जोड़ :	190 लाख रुपये

(ग) 267 लाख रुपये की प्रस्तावित व्यवस्था के मुकाबले 1968-69 के लिये राज्य की लघु सिंचाई कार्यक्रम हेतु 150 लाख रुपये का खर्च अन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया है। सन् 1968-69 के लिये विभिन्न राज्यों को 24 करोड़ रुपये की प्रस्तावित कुल राशि में से राज्य के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये 140 लाख रुपये की एक अतिरिक्त व्यवस्था के लिए भी प्रस्ताव रक्खा गया है। प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

काठगुडियम कोयला खानों के श्रमिकों को पीने का जल उपलब्ध कराना

2476. **श्री के० एम० अब्राहम :**

श्री ई० के० नायनार :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की कोठागुडम कोयला खानों में भूमि के नीचे काम करने वाले मजदूरों को पेय जल सप्लाई नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जल की सप्लाई न होने के कारण इस खान में हाल ही में एक औद्योगिक विवाद हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एक मजदूर को बर्खास्त कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो भूमि के नीचे काम करने वाले मजदूरों को पेय जल सप्लाई न करने के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). पानी की सप्लाई के अभाव के बारे में कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाया गया था परन्तु प्रबन्धकों तथा सिन्गारेनी कोयला खान कर्मचारी संघ द्वारा 8 जून, 1968 को सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष मामला उठाया गया था। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करने पर सहमत हो गये हैं। इसके फलस्वरूप किसी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है।

औद्योगिक रोजगार

2477. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1958-59 से 1967-68 तक की अवधि में, वर्षवार, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में, अलग-अलग औद्योगिक रोजगार में किस दर पर वृद्धि हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): उपलब्ध जानकारी विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2374/68]

पश्चिम बंगाल में अधिक उपज वाले धान की खेती

2478. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में पश्चिम बंगाल में कितने एकड़ भूमि पर अधिक उपज वाले धान की खेती करने की योजना है ;

(ख) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1968 को अमृतबाजार पत्रिका में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है कि जिला ब्रिटहम में वितरण के लिये प्राप्त लगभग 1000 टन नये बीज एन० एस० सी० के गोदामों में सड़ रहे हैं और बीजों की क्षति के कारण कृषि विभाग को होने वाली हानि 20,00,000 रुपये तक पहुंच जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उस लेख के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल में 1968-69 की अवधि में धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों के आधीन 11 लाख एकड़ (10 लाख एकड़ खरीफ मौसम में और एक लाख एकड़ ग्रीष्म ऋतु में) भूमि लाने की योजना बनाई थी ।

(ख) 1968 के खरीफ के लिए 10 लाख एकड़ के लक्ष्य की तुलना में इसके अधीन अनुमानत: 7 लाख एकड़ भूमि लाई गई है । ग्रीष्म की बोआई अभी की जानी है ।

(ग) भारी वर्षा और भाड़ों के कारण बड़े भू भाग में उच्च उपज की किस्मों के धान की फसल के आधीन सारा क्षेत्र लाना असम्भव हो गया ।

(घ) हां, पश्चिमी बंगाल सरकार ने अमृत बाजार पत्रिका का खंडन किया । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि पत्रिका में छपी रिपोर्ट गलत है। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिये केवल 150 मीटरी टन बीज वीरभुज जिले में बिना निपटान हुये पड़े हैं । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिकांश बीज अच्छी स्थिति में हैं और उन्हें उचित परीक्षण प्रमाण प्राप्त होने के पश्चात अगली बोरों कलटीवेशन में प्रयोग किया जायेगा । जो स्टाक बीज के लिये ठीक नहीं होंगे उनका अच्छे बीजों के साथ भारत की खाद्य निगम द्वारा बदला कर दिया जायगा । इस प्रकार 20 लाख रुपये की हानि का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

पश्चिमी बंगाल को उर्वरकों की सप्लाई

2479. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1968-69 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल के कस्बों में कुल कितने मीटरिक टन उर्वरक की सप्लाई की थी ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल के लिये नियत सब स्टाक को राज्य ने उठा लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो वास्तव में कितनी मांग में स्टाक उठाया गया था और कितनी मात्रा में इसे किसानों में बांटा गया था;

(घ) क्या यह सच है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने उर्वरक वितरकों की संख्या 30 से बढ़ाकर 104 कर दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा दिये गये समस्त स्टाक को उठाना क्यों सम्भव नहीं था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 वर्ष में 15 नवम्बर, 1968 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को 99445 मीटरी टन उर्वरकों का नियतन किया गया है ।

(ख) पश्चिम बंगाल स्वयं उर्वरक नहीं उठाता । उर्वरक सरकार द्वारा नियुक्त वितरकों के माध्यम से उठाया और वितरित किया जाता है । अब तक सम्भरणकर्त्ताओं को 80,221 मीटरी टन उर्वरकों की कुल मात्रा के सम्भरण का आदेश दे दिया गया है ।

(ग) पूल कोटे में से सम्भरणकर्त्ताओं द्वारा अब तक लगभग 61,668 मीटरी टन उर्वरक प्राप्त हो चुका है । उर्वरक-फैक्टरियों के निःशुल्क-बिक्री कोटे से भी सप्लाई प्राप्त हुई । चालू वर्ष में नान-पूल कोटे तथा 1967-68 के अग्रेनीत स्टाक सहित अब तक 1,11,139 मीटरी टन उर्वरक कृषकों में वितरित किया गया ।

(घ) इस वर्ष अब तक वितरकों की संख्या 30 से बढ़ाकर 72 कर दी गई है ।

(ङ) अधिकतर नए वितरकों ने अभी कार्य शुरू किया है । वर्ष के प्रारम्भ के महीनों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा का वितरण बराबर न होने के कारण उसका उर्वरकों की खपत पर भी प्रभाव पड़ा है ।

पश्चिम बंगाल द्वारा उठाऊ सिंचाई के लिये मशीनों का खरीदा जाना

2480. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कृषि आयुक्त ने पंजाब, हरयाना और महाराष्ट्र से उठाऊ सिंचाई योजना के लिये 1.5 करोड़ रुपये की मशीनें पहले ही खरीद ली हैं अथवा खरीदने का प्रबन्ध कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के कारखाने ऐसी मशीनें सप्लाई करने के लिये सक्षम हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत से देश पश्चिम बंगाल की इंजीनियरिंग कम्पनियों से पम्प मंगाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अधिक बेरोजगारी और मन्दी के समय में उठाऊ सिंचाई के लिये पश्चिम बंगाल के अन्य राज्यों से मशीनें खरीदने के क्या विशेष कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में चावल की कम उपज के बारे में जांच

2481. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में चावल की कम उपज के कारणों की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी उत्पादन का पता लगाने के लिये ऐसी समितियों का गठन किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

चावल में लगने वाले रोगों के लिये जापान से विशेषज्ञों की सेवायें

2482. **श्री गाडलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल में लगने वाले फिजियोलोजिकल और पैथोलोजिकल रोगों के बारे में जापान से विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर ली गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इन विषयों पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या सिफारिशें हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में चावल के क्षेत्रों में सिंचाई के पानी को खर्च करने के लिये रसायन का प्रयोग करने के बारे में भी जापानी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । यू एस ऐड तथा अन्तर्राष्ट्रीय चावल विकास संस्थान दोनों द्वारा समन्वित रूप से दी जाने वाली सहायता से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित चावल विकास परियोजना के अन्तर्गत वनस्पति क्रिया-विज्ञानरोग-विज्ञान संबंधी

समस्याओं का अध्ययन करने के लिये क्रमशः चावल के वनस्पति-क्रिया विज्ञान और जीवाणु विज्ञान से बन्ध रखने वाले दो जापानी विशेषज्ञों, डा० ओकाजिमा और डा० भसा ओ गोटो की सेवायें प्राप्त की गई हैं ।

(ख) और (ग). डा० गोटो ने जिन्होंने अगस्त-अक्तूबर, 1968 के दौरान भारत का दौरा किया था निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) क्या भारत के विभिन्न भागों में चावल में जीवाणु पत्ती चित्ती रोग फैलाने वाले जीवाणु की एक दूसरे से ईरूलेंस वर्ग में समान होते हुये भी, अलग किस्म के हैं ?

(2) इन रोगों को फैलाने वाले जीवाणुओं के वर्गीकरण के लिये वैक्टिरियोफाइजों (विषाणु संक्रमण रोग जीवाणु) का प्रयोग करना ।

डा० ओकाजिमा ने जो जून, 1968 में एक वर्ष तक कार्य करने के लिये भारत आये थे, अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(घ) जी नहीं, किन्तु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में परीक्षण करने के लिये रसायन के नमूनों को प्राप्त कर लिया गया है ।

अधिक उपज वाले धान की किस्म की मांग

2483. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक उपज वाले चावल जैसे ताईचुंग नेटिव, ताइचुंग-65, ताईनान-3 की अधिक मांग नहीं है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो किन-किन राज्यों में इस किस्म के चावल की मांग है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ने धान की अधिक उपज वाली किस्म को मार्केट में लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कोई भी मंडी ऐसी नहीं थी । जिसमें उत्पादक अधिक उपज देने वाले किस्म के धान अथवा चावल नहीं बेच सके ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में कृषि विकास के लिये विदेशी सहायता

2484. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कृषि विकास के लिये विदेशी सहायता की मात्रा के सम्बन्ध

में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। मांगी गई जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं हो सका है। इसका कारण है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी सहायता किसी एक राज्य विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त नहीं होती। प्राप्त विदेशी सहायता भी राज्यों को उसी रूप में नहीं दी जाती। राज्यों को उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निधि नियतन करते समय दोनों प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता तथा आन्तरिक उपलब्ध साधनों पर सम्मिलित रूप में विचार किया जाता है। इसीलिये यह बताना सम्भव नहीं है एक राज्य विशेष की किसी एक खास विकास कार्य के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई और कितनी का उपयोग किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

विदेशी सहयोग से चावल अनुसंधान समन्वित योजना

2485. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गहन अनुसन्धान के लिये विदेशी सहयोग से चावल अनुसन्धान समन्वित योजना बनाई है ताकि चावल उत्पादन में वृद्धि के लिये व्यावहारिक उपयोगिता के परिणाम प्रारम्भ में प्राप्त किये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो फिलीपीन से प्राप्त चावल की किस्मों को छोड़कर चावल सम्बन्धी अनुसंधान के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा चालित अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना यू० एस० ए० आई० डी० और फिलीपाइन्स में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का सहयोग प्राप्त किये हुये है।

(ख) दो पुरःस्थापित किस्में-टाइचंग नेटिव एवं आइ आर-8-वाणिज्यीय खेती के लिये इस देश में क्रमशः 1965 और 1966 में मुक्त की गई। इसी बीच में, उच्चतर उपजों और पीड़क और रोगों का मुकाबिला करने के लिये चावल किस्मों के प्रजननार्थ परितुष्टिकारक प्रगति की है। तदनुसार भारत में प्रजननित एवं परीक्षित दो नई चावल किस्में विकसित की गई हैं और वाणिज्यीय फसल के लिये उनकी मुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

Kaushalpuri Co-operative Society Farm, Achhalda, Etawah

2486. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Miniser of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5090 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether the information sought from U. P. Government is being collected mainly

on the basis of statements made by officers involved in taking possession of the Farm ;

(b) whether it is a fact that many underhand and false documents have been prepared in the enquiry and the facts are being misrepresented ; and

(c) whether Government would conduct a high level open enquiry by including members of Kaushalpuri Society in it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) (a) to (c) . Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Ashokpuri Co-operative Agriculture Farm, Etawah

2487. **Shri Ram Gopal Shalwale :**

Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5091 on the 22nd August, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that Officers of the Directorate of Planning, Development and Research and Co-operative Department of U. P. are conspiring to take into Government possession the Ashokpuri Co-operative Society Farm, Achhalda in Etawah District ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government would give some guarantee to the members of the Society to safeguard their interests ; and

(d) whether any open enquiry would be conducted against the officers concerned ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) (a) to (d) . Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Office of Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Gujarat

2488. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given so Unstarred question No. 6529 on the 29th August, 1968 and state :

(a) whether any factual report has since been received by him in respect of Harijan employees of the office of Regional Director of Employees State Insurance Corporation of Gujarat ;

(b) if so, whether it is evident from the said report that discriminatory treatment has been meted out to senior Harijan employees in the matter of promotion and some junior employees have been favoured :

(c) the details regarding the punishment awarded to those officers who indulged in such discriminatory treatment ;

(d) whether such senior Harijan employees as have illegally been reverted from their higher posts would be given opportunities to work against higher posts in place of junior employees ; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A report has been received in respect of one Scheduled Caste employee who was reverted from the post of Insurance Inspector.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) and (e) . The Scheduled Caste employee referred to in (a) above was promoted as Insurance Inspector on an ad-hoc basis. He was reverted not because of any discrimination against him but because he was considered "not yet fit" for promotion by the Departmental Promotion Committee. He will be promoted in his turn if his name is included in the list of candidates approved by the Departmental Promotion Committee for promotion from time to time.

आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों की खपत तथा उत्पादन

2489. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों की बढ़ने वाली खपत की सम्भावना का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमान का मुख्य-मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) देश में उर्वरक की खपत का वर्तमान स्तर क्या है ;

(घ) आगामी पांच वर्षों में उर्वरकों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) क्या उर्वरकों के मूल्य कम करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । आगामी पांच वर्षों के लिये उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है ।

(ख) आवश्यकताओं का अनुमान निम्न प्रकार से है :

(लाख टनों में)

वर्ष	एन	पी	के
1969-70	20.00	8.00	5.50
1970-71	24.00	10.00	7.00
1971-72	27.80	12.00	8.20
1972-73	32.20	14.40	9.50
1973-74	37.30	17.40	11.10

(ग) 1968-69 में उर्वरकों की खपत 17.00 लाख टन नाइट्रोजन, 5.00 लाख टन $पी_2 ओ_5$ और 2.00 लाख टन $के_2 ओ$ के लगभग है ।

(घ) देश में एन और $पी_2 ओ_5$ उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिये नये उर्वरक उद्योगों की स्थापना और कुछ वर्तमान उद्योगों के विस्तार की योजनायें हैं । उर्वरकों की कुल आवश्यकता और स्वदेशी उत्पादन के मध्य के अन्तर को समाप्त करने के लिये यथासंभव आयात भी किया जायेगा, पोटेसिक उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये देश को पूर्णत: आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

(ङ) आशा की जाती है कि स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होने से, और विशेषकर आधुनिक विस्तृत उद्योगों की स्थापना होने और प्रतियोगात्मक मंडी के प्रादुर्भाव के कारण उर्वरकों का मूल्य पर्याप्त सीमा तक कम हो जायेगा ।

दुग्ध पाउडर पर विलम्ब शुल्क

2490. **श्री को० सूर्य नारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) के जिला कलक्टर को कलकत्ता के खाद्य विभाग के प्रादेशिक खाद्य निदेशक से लगभग 200 टन दुग्ध पाउडर मिला था और कलेक्टर ने अगस्त, 1968 अथवा सितम्बर, 1968 में विलम्ब शुल्क के रूप में रेलवे को 40,000 रुपया दिया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सारा स्टाक खराब हो गया था और मनुष्यों के उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इन हानियों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । 16 अगस्त से 2 सितम्बर की अवधि में प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) ने कलकत्ता से 200 टन उपहार में प्राप्त दुग्ध चूर्ण भेजा था और जिला कलक्टर, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) ने 42876 रुपये के भाड़े का भुगतान करने के बाद उस माल की सपुर्दगी ली । रेलवे ने 7.20 रुपये विलम्ब शुल्क के मांगे हैं लेकिन इसे माफ कराने के लिये रेलवे से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

(ख) और (ग). विदेशों से लकड़ी के ड्रमों में प्राप्त दुग्ध चूर्ण को बिना खोले वैसे ही कलकत्ता से भेजा गया था । लेकिन गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर यह मानव उपयोग के अनुपयुक्त पाया गया । क्या सारा प्रेषण अथवा उसका केवल कोई भाग अनुपयुक्त पाया गया था, इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है । अत: किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Wheat seed Stored in Agricultural farm at Meethapur Patna

2491. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,700 maunds of harmarozo wheat seed stored in agricultural farm at Meethapur in Patna have rotted and are being sold to feed fowls and cattle ;

(b) whether it is also a fact that the seed was purchased from Mexico, Gujarat and Punjab in November, 1961 and brought there for distribution among droughthit farmers ;

(c) whether it is also a fact that not even a single grain was distributed to farmers ;

(d) the total cost thereof ; and

(e) the persons responsible for it and the action Government intend to take against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) to (e) . Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House as soom as it is received.

व्यापारिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये नई पैकेज योजना

2492. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन आन्दोलन के रूप में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने की नई पैकेज योजना का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन विशेष फसलों और कृषि प्रधान उद्योगों को विशेष सहायता मिलेगी ; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक फसल और उद्योग के लिये उत्पादन तथा निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). कपास, मूंगफली, पटसन, तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू और नारियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनायें विभिन्न राज्यों के अधिकार्यक उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिये स्वीकृत की गयी हैं जिससे कि निर्यात/आयात के प्रतिस्थापकों की उपलब्धि की मात्रा में वृद्धि हो सके। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पैकेज पद्धतियों को अपनाने की सिफारिश की गयी है । केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनाओं की मुख्य बातों के सम्बन्ध में एक नोट सभा पटल पर रखा गया [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 2375/68]

(ग) कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए प्रदान की गयी विशेष सहायता इन आयोजनाओं में नहीं सम्मिलित की गई है ।

(ग) अभी आगामी पांच वर्षों के लक्ष्य विचाराधीन हैं ।

दुग्ध चूर्ण का दुरुपयोग

2493. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री न० कु० सांघी :**

श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेन्मार्क से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को बांटने के लिये प्राप्त दुग्धचूर्ण का एक बड़ा भाग का जिसकी कीमत 72 लाख रुपये थी, दुरुपयोग किया गया था ;

(ख) क्या इस मामले में केन्द्रीय जांच विभाग से जांच कराने की मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले पर विचार किया है और इसे जांच के लिये केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कृषि विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होते ।

औद्योगिक स्वास्थ्य योजना

2494. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक अध्ययन दल ने उर्वरक उद्योग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये एक औद्योगिक स्वास्थ्य योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अध्ययन दल ने श्रमिकों में कर्मचारी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ती हुई लोकप्रियता की ओर भी संकेत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल की आलोचना की ओर ध्यान दिया गया है और वर्तमान दोषों को दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) सरकार का विचार है कि उर्वरक सम्बन्धी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । सरकार को मामले का पूरी तरह पता नहीं है और वह राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

उर्वरक उद्योग के प्रति केन्द्र का समान दृष्टिकोण

2495. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सीताराम केसरी :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि उर्वरक उद्योग के लिये राज्य सरकारों के नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था के स्थापन पर केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया है कि विशेषकर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले विवाद के संदर्भ में इस उद्योग को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाना महत्वपूर्ण है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस समबन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) आयोग ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। सरकार को इसका प्रतिवेदन वर्ष 1969 के आरंभ में मिल जाने की आशा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नलकूप खोदने के लिये भूमिगत जल विकास निगम स्थापित करना

2496. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चौथी योजना में विभिन्न राज्यों में लगभग 10 लाख नलकूप खोदने का है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में कितने नलकूप खोदने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो उड़ीसा राज्य को योजना में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार इस कार्य के लिये एक भूमिगत जल विकास निगम की स्थापना करने का है ; और

(ङ) भूमिगत जल विकास निगम की स्थापना कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। परन्तु खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय कार्यकारी दल ने चतुर्थ योजना की

अवधि में 3,75,000 गैर-सरकारी और 6,500 राजकीय नलकूपों के निर्माण की सिफारिश की है।

(ख) उड़ीसा राज्य के लिये चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, उड़ीसा सरकार ने चतुर्थ योजना की अवधि में 60.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 100 गहरे तथा 100 कम गहरे नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इन नलकूपों का निर्माण व देखरेख का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, चतुर्थ योजना की अवधि में संस्थानात्मक निकायों से मिलने वाले ऋण की सहायता से कृषकों द्वारा 3,000 और नलकूप बनाये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

एग्रीकल्चर कालिज, पालमपुर को अनुदान

2497. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ने एग्रीकल्चर कालिज, पालमपुर को पुस्तकालय अनुदान तथा समराशि के अनुदान देना बन्द कर दिया है जबकि कालिज हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय 'कम्पलैक्स' का एक अंग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि विश्वविद्यालय या उसके अहाते के लिए समराशि अनुदान राज्य संघ क्षेत्र द्वारा उपलब्ध किया जाता है। इसके विपरीत पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त परीक्षित लेखों से पता चलता है कि पालमपुर में पुस्तकालय तथा उपकरणों पर व्यय हुआ है। विश्वविद्यालय ने पालमपुर में भवनों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये मांग भी भेजी है। इस मांग पर विचार हो रहा है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों तथा मजदूर संघ के बीच समझौता बैठक

2498. **श्री भगवान दास :**
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाना के प्रबन्धकों, हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन और

पश्चिम बंगाल के श्रम उप-आयुक्त के बीच हाल में एक समझौता बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस समझौता बैठक का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस समझौता बैठक में प्रबन्धकों की ओर से और कार्मिक संघ की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के नाम क्या थे;

(घ) 3 सितम्बर, 1968 को समझौता बैठक कितने समय तक चली; और

(ङ) हिन्दुस्तान स्टील वर्कर्स यूनियन का सभापति कौन है और क्या वह 3 सितम्बर, 1968 को दुर्गापुर में उपस्थित था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) माननीय सदस्य शायद राज्य श्रम आयुक्त कार्यालय के श्री एस० एन० राव द्वारा 3 सितम्बर, 1968 को बुलाई गई समझौता बैठक का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) बैठक में रोलिंग मिल्स के आयल सैलर/पम्प अटैन्डेन्ट्स के पदों की पदोन्नति सम्बन्धी संघ की मांगों पर विचार किया गया।

(ग) प्रबन्धकों की ओर से दुर्गापुर स्टील प्लांट के पर्सनल मैनेजर तथा अस्सिटैन्ट पर्सनल मैनेजर तथा मुख्य औद्योगिक इंजीनियर ने और हिन्दुस्तान स्टील कार्मिक संघ की ओर से उसके कार्यकारी अध्यक्ष जनरल सक्रेटरी तथा कुछ कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया।

(घ) 8 बजे शाम तक।

(ङ) श्री अतुल्य घोष हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी कार्मिक संघ के अध्यक्ष हैं और यह पता नहीं है कि क्या वह 3 सितम्बर, 1968 को दुर्गापुर में उपस्थित थे।

मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी और इसके कर्मचारियों के बीच समझौता

2499. **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तमा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बंगाल इम्यूनिटी और इसके कर्मचारियों, जिनका प्रतिनिधित्व बंगाल इम्यूनिटी कर्मचारी संघ ने किया था, के बीच 4 मई, 1968 को हुआ समझौता पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि इस समझौते के बाद कार्मिक संघ के अनेक सक्रिय कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हां तो अब तक कुल कितने कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है;

(ङ) इस समझौते को क्रियान्वित करने और बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): कार्मिक संघ के फैक्टरी की परिसीमाओं के अन्तर्गत अनुशासन तथा शान्ति आदि बनाये रखने में प्रबन्धकों के साथ सहयोग सम्बन्धी समझौते को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है। फैक्टरी के सभी विभागों में उत्पादन के स्तर तथा यात्रा सम्बन्धी समझौते को भी अभी क्रियान्वित किया जाना शेष है

(ख) भड़काने, सहयोग न करने तथा उत्पादन के मामले में समझौते को क्रियान्वित न करने के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

(ग) और (घ). समझौते से पूर्व दुराचार 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसी आरोप के लिए समझौते के पश्चात् दो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इसके अतिरिक्त समझौते के पश्चात् 41 व्यक्तियों को इस आधार पर नौकरी से निकाला गया कि वे अस्थायी थे और स्थायी बनाये जाने के योग्य नहीं थे ।

(ङ) बर्खास्त किये गये पांच कर्मचारियों का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़ा है । 41 अस्थायी व्यक्तियों में से 33 व्यक्तियों का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। शेष 8 में से चार कर्मचारियों ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है और शेष चार कर्मचारियों ने सिटी सिविल कोर्ट में सहायता के लिए अपील की है ?

Displaced Persons in Panna District M. P.

2500. **Shri Valmiki Chaudhari** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some displaced persons settled in Panna District, Madhya Pradesh met the Prime Minister in the month of October, 1968 ;

(b) if so, the details of the demands put forward by them ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes.

(b) On behalf of the migrants from East Pakistan, who have deserted the Panna Rehabilitation Project site, it was submitted that they were fishermen and would like to be settled in fisheries schemes. They also requested that, in addition to scope for fishing, some land should be provided to each of them for farming. Pending their rehabilitation in a scheme of fisheries-cum-farming, they desired that they should be sent to the relief camp run by the Government of Bihar on behalf of the Government of India, at Maranga in Purnea district of Bihar.

(c) The Government has been examining afresh the feasibility of fisheries scheme. Earlier the matter had been examined in consultation with the Government of Bihar, and it was found that the scope for such schemes was negligible. Action has also been initiated to carry out a survey of the migrants to ascertain the type of fishing experience they have. If fisheries scheme can be drawn up and if land for agriculture is also available at a place or places where fishing opportunities are available, Government will draw up a scheme for allotment of land to the migrants. Pending action on these lines, the migrants have been moved to the Maranga Camp and have been accommodated there ; relief benefits on the usual scale are being provided to them.

कार्टर पूलर कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता का बन्द किया जाना

2501. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री गणेश घोष :

श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्टर पूलर कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धकों ने 7 अक्तूबर, 1968 से फैक्टरी को अचानक बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी को इस समय बन्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ।

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने फैक्टरी को उस समय बन्द किया जब त्रिपक्षीय करार को क्रियान्वित करने के लिए वार्ता चल रही थी;

(घ) यदि हां, तो इस एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) फैक्टरी को खुलवाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रबन्धकों ने आदेशों की कमी तथा काम में लाभ का न होना कारण बताये हैं ।

(ग) यथार्थतः यह नहीं कहा जा सकता कि कारखाना उस समय बन्द किया गया, जबकि समझौता कार्यवाही चल रही थी । राज्य समझौता अधिकारी के समक्ष 8-7-68 को जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, उस पर सितम्बर के अन्त में पुनः विचार किया गया और यह तय किया गया कि पूजा छुट्टियों के बाद एक और विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा और इस पुनरीक्षण के होने तक समझौते के अनुसार कार्य व्यवस्था जारी रहेगी ।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार द्वारा कारखाने को पुनः खोलने के लिए प्रबन्धकों को मनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं और इस मामले में दोनों पक्षों अर्थात् प्रबन्धकों

तथा श्रमिकों से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। विवाद को न्यायनिर्णय के लिए भेजने का प्रश्न भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बोनहुगली मकान योजना

2502. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री गणेष घोष :

श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनहुगली मकान योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने फ्लैट बेचे गये हैं;

(ख) यदि कोई फ्लैट नहीं बेचे गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन फ्लेटों में रहने वाले शरणार्थी परिवारों ने पश्चिम बंगाल सरकार से इन फ्लैटों को उन्हें नाममात्र किराये पर आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चौह्वाण) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये योग्य विस्थापित व्यक्तियों से बोनहुगली बस्ती में खाली घरों को लागत के आधार पर बेचे जाने के सम्बन्ध में, आवेदन-पत्र मांगे थे। कुछ आवेदन-पत्र प्राप्त हो गये हैं और राज्य सरकार द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). उस क्षेत्र में ऐसे आवास के प्रचलित किराये के आधार पर इन धरों के किराये का पुनर्मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसके उपरान्त आगे कार्यवाही की जायेगी।

बाबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (उ० प्र०) में मतपत्रों पर स्टाम्प चिन्ह

2503. **श्री जागेश्वर यादव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत साधारण निर्वाचनों के दौरान बाबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के भाभुवा, करहाली, पिदराऊ, शम्शुद्दीनपुर, भाडैकडू, सियाथी, नलथू, पिल्हारी मतदान केन्द्रों से कितने ऐसे पत्र प्राप्त हुए जिनमें स्टाम्प नहीं लगे थे और कितने ऐसे पत्र मिले जिनमें दो बार स्टाम्प लगे थे;

(ख) क्या अस्पृश्य मतदाताओं को मतदान आफिसरों की दुस्संधि से बिना स्याही से स्टाम्प दिये गये थे और क्या यह भी सच है कि मतदान आफिसरों ने उन मतपत्रों पर, जो विरोध के पक्ष में डाले गये थे, दोहरे स्टाम्स लगा दिये; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसे अनाचारों के निवारण के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) से (ग). फरवरी 1967 में हुए निर्वाचन में उत्तर प्रदेश में बाबेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री देश राज सिंह के निर्वाचन को प्रश्नगत करते हुए श्री दुर्जन द्वारा एक निर्वाचन अर्जी फाइल की गई है और वह उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष लम्बित है। अतः यह प्रश्न लोक सभा में प्रक्रिया और कारबार का संचालन नियम के नियम 41 (2) के खण्ड (17) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अन्तर्गत आता है।

Erosion of Land along Chambal River

2504. **Shri Yashwnt Singh Kushwah**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any steps are being taken with Central assistance to check the gradual erosion of agricultural land by rains along the Chambal river in Madhya Pradesh and to reclaim the already eroded land ; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes Sir. Central assistance has been available to the Madhya Pradesh Government to the tune of 100% grant in case of surveys and 50% grant for reclamation including afforestation up to the end of the Third Plan and 1966-67. From 1967-68 onwards while 100% grant was avaliable for surveys, for reclamation of ravines the Central assistance consisted of 60% of loan and 15% of grant. Help is also being given for the project preparation for 4th Plan by the Central Ravine Reclamation Board.

(b) With such assistance, an area of 78,000 acres of ravines land was surveyed in the state and 1,922 acres were reclaimed for agriculture up to the end of 1967-68. In addition, an area of 5239 acres of ravine land was also afforested. During 1968-69 an area of 30,000 acres is expected to be surveyed under Centrally Sponsored Programme and 3,400 acres expected to be reclaimed/afforested under State Plan Schemes. Up to he end of 1967-68, expenditure of Rs. 1.15 lakhs was incurred for survey work and Rs. 28.06 lakhs for Reclamation and afforestation works and anticipated expenditure for 1968-69 is Rs. 0.50 lakhs and Rs. 11.49 lakhs respectively. For the 4th Plan an area of 10 thousands acres has been proposed to be taken up as a pilot project for the Chambal ravines for which 100% Central grant is being considered.

Rehabilitation of Refugees from East Pakistan

2505. **Shri Yashwant Singh Kushwah**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the steps being taken to rehabilitate the refugee families from East Pakistan, who are still in Delhi, Madhya Pradesh and Bihar or in some other States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): 41.78 lakhs persons migrated from East Pakistan during the period beginning from partition to 31st December, 1963. In their case, apart from some items of residuary work in West Bengal which are being reviewed by the Committee of Review, the rehabilitation work, by and large, has been completed.

As regards the new migrants who migrated from 1-1-1964 onwards, rehabilitation assistance was admissible to only such of these as were admitted to relief camps. A large number of such families have already been moved to rehabilitation sites for settlement in agricultural and non-agricultural occupations in different States.

At present there are 10519 new migrant families (6253 agriculturists and 4266 non-agriculturists) and 4445 families of permanent liability category residing in the relief camps in various States awaiting rehabilitation. For agriculturist camp families, schemes are in hand for reclamation/development of agricultural land for their rehabilitation. Non-agriculturist families will be settled in small trade by granting them loans for business, housing etc. Efforts are also being made to provide employment in industry and other services. Permanent liability category families will be accommodated in P. L. Homes.

In addition to the camp families referred to above, according to the West Bengal Government, there are about 6 lakhs new migrants in West Bengal for whom rehabilitation assistance would be needed. Their case is under consideration in consultation with the State Government.

पारासिया कोयला खान में हड़ताल

2506. **श्री देवेन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल सब-डिवीजन में पारासिया कोयला खान में 19 अक्तूबर, 1968 से हड़ताल चल रही है, जिसमें लगभग 2,000 मजदूर शामिल हैं;

(ख) हड़ताल के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) पारासिया कोयलाखान में 17-10 1968 से 3-11-1968 तक हड़ताल हुई जिसमें 1.813 श्रमिक शामिल थे।

(ख) प्रबन्धकों को दिये गये नोटिस दिनांक 19-9-1968 में जो मांगे की गईं वे 19 श्रमिकों की पुर्नियुक्ति, कोयला खनन उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति, बकाया मजूरी की अदायगी, छुट्टी की मजूरी, रेल भाड़ा, बोनस, बीमारी छुट्टी की मजूरी और उक्त मजूरी बोर्ड की शिफारिशों के अनुसार परिवर्ती महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में थीं।

(ग) और (घ). आसनसोल के प्रादेशिक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने आपसी समझौता कराने के लिए कई एक अनौपचारिक विचार-विमर्श किये। समझौते की औपचारिक कार्यवाही भी की

गई । केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्धो मशीनरी के अधिकारियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 2-11-1968 को एक समझौता किया गया और 3-11-1968 को हड़ताल समाप्त की गई ।

मेनधामों कोयला खान का बन्द होना

2507. **श्री भगवान दास :**

श्री गणेश घोष :

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेनधामों कोयला खान के प्रबन्धकों ने अक्तूबर 1968 से कोयलाखाने बन्द कर रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ग) कोयलाखान बन्द होने से कुल कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) कोयलाखान को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की थी; और

(ङ) कोयलाखान को पुनः चलू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ). शायद आशय ढेमो मैन कोयलाखान से है जो 22 अक्तूबर, 1968 से बन्द की गई थी और जिसमें 1850 श्रमिक प्रभावित हुए थे । प्रबन्धकों द्वारा जारी किये गये नोटिस के अनुसार, यह कोयलाखान मुख्य रूप से श्रमिक अशांति और इकाई के अलाभकारी काम के कारण बन्द की गई ।

इस मामले पर समझौते की कार्यवाही की गई और समझौता कार्यवाही असफल होने पर सरकार ने विवाद को न्याय-निर्णय के लिये भेज दिया ।

आयकर अपील न्याय पीठें

2508. **श्री बेनी शंकर शर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 से आयकर अपील न्याय पीठों में सदस्यों के रूप में काम करने के लिए चुने गये सदस्यों की संख्या क्या है और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन सेवाओं में भर्ती किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में लिये गये अधिकतर न्यायिक सदस्य विधि मंत्रालय से लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) 1967 से आयकर अपील अधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित नौ व्यक्ति एक प्रवरण बोर्ड द्वारा

चुने गये हैं । इस बोर्ड में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में पीठासीन थे । जिन सेवाओं/वृत्तियों से ये व्यक्ति चुने गये हैं उनको हर एक के नाम के सामने उपदर्शित किया गया है :—

न्यायिक सदस्य

*	1. श्री वी० रामचन्द्रन	: विधि वृत्ति
	2. श्री जी० के० पुराणिक	: केन्द्रीय विधि सेवा
	3. श्री वी० राजगोपालन	: विधि वृत्ति
	4. श्री पी० वेणुगोपाल	: केन्द्रीय विधि सेवा

लेखापाल सदस्य :

	5. श्री वी० वासुदेवन	: भारतीय राजस्व सेवा
	6. श्री बी० बी० पालेकर	: भारतीय राजस्व सेवा
*	7. श्री डी० सुब्रमण्यन	: भारतीय राजस्व सेवा
	8. श्री ए० एम० राव	: भारतीय राजस्व सेवा
	9. श्री सी० डी० कृष्णमूर्ति	: लेखाकर्म वृत्ति

जी नहीं । दो चुने हुए व्यक्ति विधि मंत्रालय के हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयकर अपील अधिकरण न्याय पीठ

2509. **श्री बेनी शंकर शर्मा** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में आयकर अपील अधिकरण की न्याय पीठों की संख्या क्या है;

(ख) सभी न्याय पीठों में लम्बित अपीलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में फाइल की गई अपीलों की राज्यवार लगभग संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निपटाई गई अपीलों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ङ) आयकर अपील अधिकरण की विभिन्न न्याय पीठों के समक्ष बड़ी संख्या में लम्बित अपीलों को किस प्रकार निपटाने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम): (क) विभिन्न राज्यों में आयकर

* पद ग्रहण नहीं किया ।

अपील अधिकरण की निम्नलिखित 19 न्याय पीठें हैं :

राज्य का नाम	न्याय पीठों की संख्या
महाराष्ट्र	4
पश्चिमी बंगाल	4
दिल्ली	3
मद्रास	2
उत्तर प्रदेश	1
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	1
गुजरात	1
केरल	1
मैसूर	1 (जिसका उद्घाटन दिसम्बर, 1968 में होना है)
	19

(ख) से (घ). जानकारी संगृहीत की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) अधिकरण के समक्ष अपीलों के लम्बित रहने के प्रश्न की बराबर जांच की जाती है । अपीलों की बढ़ती हुई संख्या को निपटाने तथा बकाया अपीलों को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में दो न्याय पीठें, एक कोचीन में और एक अहमदाबाद में, तथा एक अतिरिक्त न्याय पीठ कलकत्ता में स्थापित की गई है । शीघ्र ही बंगलौर में भी एक नई न्याय पीठ स्थापित करने का विचार है । अधिकरण को भी उसके समक्ष लम्बित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए समुचित उपाय करने की, समय-समय पर, सलाह दी जाती है ।

तम्बाकू पैदा करने वाले राज्यों को सहायता

2510. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तम्बाकू पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों की सहायता करने के लिये सरकार ने कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) योजना का विवरण प्रदर्शित करने वाला एक नोट है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2376/68**]

सघन कृषि विकास कार्यक्रम

2511. **श्री हिम्मतसिंहका:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिये कोई सघन कृषि विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर राज्यवार कितना व्यय होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में बागान कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस

2512. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री अदिचन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अक्तूबर, 1968 को त्रिवेन्द्रम में वार्ता निकाय की तीसरी बैठक में हुई वार्ता के परिणामस्वरूप केरल में चाय काफी रबड़ तथा इलाइची बागानों के बागान कर्मचारियों ने 1 नवम्बर, 1968 से हड़ताल करने के अपने अभिप्राय की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इन बागान कर्मचारियों की वास्तविक मांगें क्या हैं और किन परिस्थितियों में वार्ता विफल हुई; और

(ग) इस हड़ताल को न होने देने के लिये राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के स्तरों पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि इन विवादों को किसी तरह हल किया गया है तो कैसे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). ये मामले राज्य के क्षेत्राधिकार में आते हैं, क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन जहां तक बागान उद्योगों का संबंध है, राज्य सरकारें 'उचित सरकारें' हैं। केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह हड़ताल 22 नवम्बर, 1968 को समाप्त कर दी गई।

Government Transmitters

2513. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of persons who possess Government transmitters ; and

(b) the precautions being taken to prevent the misuse of Government transmitters for anti-national activity?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Government transmitters are authorised for use of Government departments and are not possessed by any individual.

(b) All precautions are taken to prevent any misuse.

होटलों में शराब पीने के बारे में आबकारी नियमों को उदार बनाया जाना

2514. **श्री रा० बरुआ :**

श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े नगरों के होटलों में शराब पीने के बारे में आबकारी नियमों को उदार बनाने का है क्योंकि बहुत सी राज्य सरकारें मद्यनिषेध सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने के पक्ष में हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). मद्यनिषेध एक राज्य-विषय है तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए मद्यनिषेध नियमों में ढील करने या उन्हें उदार बनाने के विषय में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रारम्भिक जिम्मेदारी नहीं है।

ढमोमेन कोयला खान आसनसोल

2515. **श्री देवन सेन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल में ढमोमेन कोयला खान के प्रबन्धकों ने कोयला खान को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच करेगी कि क्या उस कोयला खान में अभी कोयला है या नहीं; और

(घ) प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को कितना मुआवजा दिया ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). ढेमोमेन कोयला खान 22 अक्टूबर, 1968 को बन्द की गई। प्रबन्धकों के अनुसार, यह कोयला खान श्रमिक अशांति और इकाई के अलाभकारी काम के कारण बन्द कर दी गई। काम-बन्दी के परिणामस्वरूप, प्रबंधकों ने श्रमिकों

को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ० एफ० एफ० के उपबन्धों के अनुसार मुआवजा देना स्वीकार किया।

सरकार ने काम बन्दी और श्रमिकों को देय मुआवजे के मामले न्याय-निर्णय के लिए भेज दिये हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

2516. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सिद्ध्या :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति के निदेश के अन्तर्गत इकट्ठी की जाने वाली जानकारी देने के प्रयोजन के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को जिसे एक विशिष्ट प्रयोजन के लिये संविधान के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, किसी संविहित कार्यालय द्वारा "बाह्य एजेन्सी" समझा जा सकता है;

(ख) क्या संविधान के पारित किये जाने से पहले किसी कार्यालय द्वारा अपनाई गई परम्परा मात्र से संविधान के अनुच्छेद 338 के अनिवार्य उपबन्धों को लागू करने से रोका जा सकता है;

(ग) क्या विधि मंत्रालय ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या संविधान के अनुच्छेद 143 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का कोई प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 12 में 'राज्य' को परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राधिकारियों से वह जानकारी, जो आयुक्त द्वारा उनके संवैधानिक कृत्य निभाने के निमित्त मांगी गई हो, प्रदान करने की अपेक्षा रखी जाती है।

(ख) से (घ). आयुक्त की 1959-60 की रिपोर्ट, जो सदन के पटल पर रखी गई है, के खण्ड 14 के पैरा 16 और 17 में स्थिति बताई गई है।

(ङ) इस मामले सम्बन्धी कोई ऐसा कानूनी नुक्ता नहीं है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक हो।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त को राज्य सरकारों द्वारा जानकारी देना

2517. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**

श्री सिद्दय्या :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को आयुक्त द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिये अपेक्षित और मांगी गई पूरी और अपेक्षित जानकारी तथा आंकड़े प्रस्तुत करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है अथवा अनिवार्य होता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अब तक जो सोलह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं उन सब में आयुक्त ने बार-बार यह शिकायत की है कि राज्य सरकारों ने इस बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी है कि राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने व्यक्ति नियुक्त हैं तथा उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि जो थोड़ी बहुत जानकारी कुछ ही राज्यों से समय-समय पर प्राप्त हुई है, उससे उनके लिये यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं था कि क्या राज्य सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रही हैं अथवा नहीं; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है कि सभी सम्बन्धित अधिकारी संवैधानिक उपबन्धों का पालन करें ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत आयुक्त के कृत्य हैं कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों सम्बन्धी सब मामलों की छानबीन करें और रिपोर्ट दें। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्बन्धित जानकारी देकर आयुक्त की सहायता करें।

(ख) और (ग). जानकारी देने से मना करने का कोई मामला नहीं हुआ है किन्तु कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है। इस मामले की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है तथा अक्तूबर, 1968 में राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस पर विचार-विमर्श किया गया था। राज्य के मंत्री इस बात के लिये सहमत हो गये कि आयुक्त द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर देने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

मनीपुर में निर्वाचनों में प्रयुक्त जीपों के लिए प्रभार

2518. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की पहाड़ियों में गत साधारण निर्वाचनों में प्रयुक्त जीपों को भाड़े पर

लेने के प्रभारों की अदायगी के लिए निर्वाचन आयोग में आदेश कर दिए हैं और क्या ये सब प्रभार जीपों के स्वामियों को दिए गए थे; और

(ख) यदि नहीं, तो इनकी अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जानकारी संगृहीत की जा रही है।

दिल्ली और बम्बई के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

2519. **श्री मनुभाई पटेल :**

श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) दिल्ली और बम्बई के बीच किन नगरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी; और

(घ) क्या बड़ौदा को इस व्यवस्था में शामिल किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था के लिए दिल्ली और बम्बई के बीच कुछ महत्वपूर्ण नगरों का ट्रंक स्वचल एक्चेंजों से संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह ट्रंक स्वचल एक्सचेंज और सूक्ष्मतरंग/सहघुरीय योजनाएं डाक-तार विभाग द्वारा निरूपित चौथी पंचवर्षीय योजना के नये मसौदे में शामिल कर ली गई हैं और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा की व्यवस्था मुख्यतः साधनों और विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(घ) जी हां।

चान्दा जिले में महाकाली कोयला खानें

2520. **श्री कृ० मा० कौशिक : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चान्दा जिले में महाकाली कोयला खान के मजदूरों को भविष्य निधि के भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कितने कर्मचारियों को अब तक भुगतान किया जा चुका है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). महाकाली कोयला खान का समापन हो गया है। सरकारी समापक के पास भविष्य निधि के बकाया का एक दावा दर्ज करा

दिया गया था । 190 कर्मचारियों के दावे, जिनके बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त हो गई है, तय कर दिये गये हैं । आशा है कि पांच और कर्मचारियों के दावे शीघ्र ही तय कर दिये जायेंगे । सरकारी समापक से, जिसके पास रिकार्ड हैं, शेष 33 दावों के संबंध में आवश्यक विवरण भेजने की प्रार्थना कर दी गई है । इन विवरणों के प्राप्त होने पर वे तय कर दिये जायेंगे ।

राज्यों के बिजली बोर्डों के कर्मचारियों के लिये बोनस

2521. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों के बिजली बोर्डों ने बोनस अधिनियम के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर-प्रदेश बिजली बोर्ड ने बोनस अधिनियम को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) ऐसा मालूम होता है कि बोर्ड को यह कानूनी सलाह दी गई है कि वह बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत नहीं आता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पत्रकारों को अन्तर्राष्ट्रीय केबल भेजने के अधिकार पत्र

2522. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की सितम्बर-अक्तूबर, 1968 की दक्षिणी अमरीका की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले नई दिल्ली के पत्रकारों को अन्तर्राष्ट्रीय केबल भेजने के कितने नये अधिकार पत्र जारी किये गये; और

(ख) इस यात्रा के दौरान साथ जाने वाले गैर-सरकारी पत्रकारों से कितने समाचारपत्र केबल प्राप्त हुए और उनकी तिथियों तथा शब्दों की संख्या का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) प्रधान मंत्री की सितम्बर-अक्तूबर, 1968 की हाल ही की यात्रा के दौरान उनके साथ जाने वाले दो गैर-सरकारी संवाददाताओं को अन्तर्राष्ट्रीय केबिल भेजने के दो नये अधिकारपत्र जारी किये गये थे—

(1) 'टाइम्स' नई दिल्ली के
श्री सी० एल० चन्द्राकेर,
कार्ड नम्बर 1268-ए०-220

(2) 'तेज' दिल्ली के
श्री वी० वी० गुप्ता,
कार्ड नम्बर 1268-ए-221

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना के कार्यालय का स्थानान्तरण

2523. **रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय राजेन्द्र पथ पर एक विशाल इमारत में है और इसके नगर के बीच में होने के कारण वहां लोगों को और कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस इमारत का किराया केवल 1800 रुपये प्रति माह है और इमारत कार्यालय के काम के लिये काफी बड़ी है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त बातों के होते हुए बिहार के होते हुए बिहार के वर्तमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस कार्य को वर्तमान स्थान से हटाकर दूर स्थित राजेन्द्र नगर में अपने निवास स्थान के पास 3000 रुपये प्रति माह के किराये की इमारत में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कार्यालय को वर्तमान स्थान से स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). वर्तमान कार्यालय 'प्रसाद मैन्शन' राजेन्द्र पथ, पटना में स्थित है । इसके कमरों के फर्श का क्षेत्रफल 5,000 वर्गफुट है । मासिक किराया 18,00 रुपये है, किन्तु कार्यालय के लिये स्थान अनुपयुक्त एवं अपर्याप्त है ।

(ग) और (घ). इस कार्यालय को इसके वर्तमान स्थान से राजेन्द्र नगर के एक भवन में ले जाने का निश्चय किया गया है जो रिजनल आफिस के लिये अधिक खुला तथा अधिक अच्छा बना हुआ है । इस इमारत का उपभोग योग्य क्षेत्रफल 7831 वर्गफुट तथा मासिक किराया 2650 रु० है जो हाऊस कन्ट्रोलर, पटना द्वारा उचित किराया प्रमाणित किया गया है ।

Supply of Milk at Patna

2524. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government supply milk to the residents of Patna City under Milk Supply Scheme;

(b) if so, the number of people to whom milk is supplied daily and the quantity of milk supplied daily;

(c) whether the Bihar Government supply milk from Government dairy or after purchasing it from outside;

(d) whether the price of milk has been fixed higher than the price of milk in Delhi;

(e) if so, reasons therefor;

(f) whether it is also a fact that for the last few months milk is being supplied only in the morning; and

(g) if so, whether Government propose to resume the supply of milk in the evening also?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes.

(b) On an average, 2,500 litres of milk per day is being supplied to 2,167 customers.

(c) From both sources.

(d) The price of different kinds of milk sold by Patna Dairy is as below:—

		Price per litre
(i)	Standardised milk (4.5% fat and 8.5% SNF)	Rs. 1.12 (in bottle)
(ii)	Standardised milk	Rs. 1.08 (in loose)
(iii)	Cow milk	Rs. 1.14 (in bottle)
(iv)	Toned milk (3% fat and 8.5% SNF)	Rs. 0.90 (in bottle)

The current price of different kinds of milk sold by Delhi Milk Scheme is as below:—

		Price per litre
(i)	Standardised milk (5% fat and 8.5% SNF)	Rs. 1.04 (in bottle)
(ii)	Cow milk (3.5% fat and 8.5% SNF)	Rs. 1.04 (in bottle)
(iii)	Toned milk (3% fat and 8.5% SNF)	Rs. 0.74 (in bottle)
(iv)	Double Toned milk (1.5% fat and 9.0 SNF)	Rs. 0.50 (in bottle)

(e) The selling price of milk sold by Patna Dairy has been fixed by the State Government of Bihar consistent with the local market price and has no bearing on the price of milk sold by the Delhi Milk Scheme. The market price of milk in Delhi is higher than the Delhi Milk Scheme price.

(f) Yes, since 13-4-1967.

(g) Evening supplies have since been resumed from 1st November, 1968.

निर्वाचन से पूर्व मंत्रियों द्वारा पद त्याग

2525. **श्री मुरासोली मारन :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री कृष्णराव ने

डा० चेन्ना रेड्डी को अनाचार का दोषी ठहराते हुए यह सुझाव दिया था कि मंत्रियों को निर्वाचन से पूर्व पद त्याग देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां।

(ख) न्यायमूर्ति श्री कृष्ण राव ने निम्नलिखित सुक्तियां कीं :

'यह बात परम महत्व की है कि स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने और निर्वाचन प्रक्रिया को दोष रहित बनाए रखने की दृष्टि से ऐसे अभ्यर्थी को जो मंत्री का पद धारण कर रहा हो अपने आपको शासकीय परिधान से मुक्त कर लेना चाहिए और निर्वाचन संघर्ष के क्षेत्र में प्रवेश और अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला समान स्थिति से करना चाहिए। अत: यह वांछनीय और समीचीन है कि संसद् को ऐसे उपयुक्त उपबन्ध बनाने चाहिए जिनसे शासकीय अभ्यर्थी (मंत्री) से यह अपेक्षा हो कि वह अपना नामनिर्देशन स्वीकृत हो जाने के पश्चात् तो अपना पद त्याग ही दें।। अन्यथा भी, अपनी अभ्यर्थिता के अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को अपना पद सम्मानपूर्वक त्याग देना चाहिए। मेरी यह राय है कि ऐसा कदम शासकीय शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा के रूप में क्रियान्वित होगा।'

(ग) सरकार यह नहीं समझती कि मंत्रियों को निर्वाचनों से पूर्व पद त्याग देना चाहिए।

खाद्य तथा कृषि संगठन का कृषि विकास कार्यक्रम

2526. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने विकासशील देशों में कृषि के सुधार हेतु एक पांच-सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे भारत में कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य तथा कृषि संगठन के नये महानिदेशक श्री ए० एच० बोइरमा ने अक्तूबर, 1968 में हुये खाद्य कृषि संगठन परिषद के 51वें सम्मेलन में विश्व के भावी कृषि सुधार के लिये संगठन का एक 'पंच सूत्री' कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। विश्व के कम विकसित देशों में जो समस्याएं विकास में रुकावट डालती हैं कार्यक्रम के अधीन खाद्य तथा कृषि संगठन,

संयुक्त राष्ट्र की अन्य समितियां तथा सदस्य सरकारें विचार करेंगी और सहयोग देंगी । पांच सूत्र की निम्न मदों पर ध्यान दिया जायेगा :

(i) आधार खाद्य फसलों की अधिक उपज वाली किस्मों पर काम;
(ii) प्रोटीन अन्तर को पूरा करना ;
(iii) व्यर्थनाश को रोकने के लिये प्रयास ;
(iv) ग्रामीण विकास के लिये मानव साधनों को जुटाना; और
(v) विदेशी मुद्रा को कमाना और बचाना ।

परिषद ने महानिदेशक के प्रस्तावों की मोटेतौर पर अनुमति दे दी है । फिर भी परिषद की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

महानिदेशक अब सक्रिय कार्यक्रम बनायेंगे और एक वृहत कार्यक्रम बनाने के लिये सदस्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ सम्बन्ध स्थापित करेंगे ।

भारत में जो कार्यक्रम पिछले वर्ष अपनाये गये हैं, उन्हें संघ तथा राज्य सरकारों ने अपना लिया है ।

तिलहन की मांग

2527. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहन की मांग इसकी सप्लाई से अधिक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो देश की तिलहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने के हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तिलहनों की आवश्यकता 120 लाख रुपये के लगभग होगी । उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए संभाव्य क्षेत्रों में पैकेज प्रणालियों के प्रयोग के द्वारा फसल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । चौथी पंचवर्षीय योजना में तिलहन की मुख्य फसल मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम करने के लिये 42.65 लाख एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आधीन लाने का प्रस्ताव है ।

अरंडी के अधिकतम उत्पादन के लिये 3.45 लाख एकड़ भूमि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आधीन लाने का भी प्रस्ताव है । इन योजनाओं के सफलतापूर्वक लागू करने के लिये निम्न-लिखित वित्तीय सहायता जारी रहेगी ।

(1) कृषकों को वनस्पति-सुरक्षा, रसायनों तथा हाथ से चलने वाले यन्त्रों पर उपदान के रूप में सहायता ।

(2) सघन कृषि जिला कार्यक्रम या सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम में इन विशेष योजनाओं की देखभाल के लिये नियुक्त वर्तमान स्टाफ के अलावा अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिये खर्च वहन करने हेतु, राज्य सरकार को अनुदान, उपज को बढ़ाने के लिये अनुसंधान कार्य पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है।

स्कूलों तथा कालेजों में प्रतिमान संसद्

2528. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूलों तथा कालेजों में 'प्रतिमान संसद्' बनाने पर कितनी राशि व्यय की जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि स्कूलों तथा कालेजों में 'प्रतिमान संसद्' बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं;

(ग) क्या यह योजना देश के सभी भागों में और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू की जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी तक, दिल्ली के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिमान संसद् की दो प्रतियोगिताएं हुईं और तीसरी प्रतियोगिता आजकल चल रही है। पिछली दो प्रतियोगिताओं पर हुए खर्च का विवरण निम्न है :

प्रथम प्रतियोगिता : रु० 2,129.86
द्वितीय प्रतियोगिता : रु० 2,803.50

(ख) जी हां। प्रथम और द्वितीय प्रतियोगिताओं में क्रमश: 16 और 25 विद्यालयों ने भाग लिया। वर्तमान प्रतियोगिता में 47 विद्यालय भाग ले रहे हैं।

(ग) योजना को संघी राज्यक्षेत्र दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्रियान्वित किया गया है। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में प्रतिमान संसद् प्रतियोगिता आयोजित करने के लिये इसी प्रकार की योजनाएं बनाने के लिये लिखा है।

दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के आशुलिपि प्राशिक्षकों के वेतनमान

2529. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दिल्ली और महिला पालिटेक्निक, दिल्ली के आशुलिपि प्रशिक्षकों के वेतनमानों में विषमता है जबकि ये दोनों संस्थाएं दिल्ली प्रशासन के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके वेतनमानों में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी हां। माहिला पालिटेक्निक, दिल्ली में अनुदेशक के पद के लिए वेतनमान रुपये 270-575 है जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनुदेशक के पद के लिये वेतनमान रुपये 210-425 है।

(ख) महिला पालिटेक्निक में अनुदेशक, प्रशिक्षणार्थियों को साचिविक कार्यप्रणाली के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्य-क्रम के लिए प्रशिक्षण देता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनुदेशक, प्रशिक्षणार्थियों को दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अधीन आशुलिपि व्यवसाय के एक वर्ष के प्रमाण-पत्र के लिए प्रशिक्षण देता है। आशुलिपि और टाइप के ज्ञान की योग्यताओं के अतिरिक्त पहिले पद के लिये कला एवं विज्ञान में विश्वविद्यालय का स्नातक अथवा उसके समकक्ष योग्यता शामिल है जबकि बाद के पद के लिए तत्सम्बन्धी योग्यता केवल मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष है।

(ग) दोनों पदों के कामों और योग्यताओं में जब समानता नहीं तब उनके वेतनमानों में समानता लाना अनिवार्य नहीं है।

Central Potato Research Centre, Phulwari Sharif, Patna

2530. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area of land in the Central potato Research Centre, Phulwari Sharif, Patna (Bihar) and area out of that under potato cultivation ;

(b) whether some other crop is also grown there in addition to potato ; and

(c) If so, the names thereof ?

The Minister of state in the Ministry of food, Agriculture, community development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) (i) 26.30 hectares is under Central Potato Research Station, Phulwari Sharif, Patna.

(ii) 15.37 hectares is under potato cultivation.

(b) Yes.

(c) Paddy, wheat, Green Fodder, Vegetable, Maize and Sunhemp for green manuring.

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान केन्द्र फुलवाड़ी शरीफ, पटना

2531. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र फुलवाड़ी शरीफ, पटना, मुनाफे पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अर्जित मुनाफे के आंकड़े क्या हैं और यदि नहीं, तो कितनी हानि उठानी पड़ी और गत दस वर्षों में उक्त केन्द्र द्वारा पैदा की गयी फसल की मात्रा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त केन्द्र में श्रमिकों की दैनिक मजूरी केवल 1.75 रुपये है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा संचालित इस केन्द्र में इतनी कम मजूरी देने का क्या औचित्य है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र फूलपुर शरीफ, पटना, विशुद्ध रूप से एक अनुसंधान संस्थान है और इसके विषय में कोई व्यापारिक हिसाब-किताब नहीं रखा । और इसीलिये यह प्रश्न ही नहीं होता कि केन्द्र लाभ अथवा हानि अर्जित करता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मजदूरों का दैनिक वेतन जो पहले 1.75 रु० था हाल ही में बढ़ाकर 2.36 रु० कर दिया गया है ।

(घ) पहले यह वेतन स्थानीय कृषि फार्मों में प्रचलित वेतन दरों के आधार पर निर्धारित किया गया था ।

Foreign Assistance for Drought-Affected Areas

2532. **Shri Ran Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 578 on the 14th November, 1968 and state :

(a) whether India has received some foreign assistance in foodgrains or in some other form for drought-affected people in Rajasthan, Bihar and West Bengal;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether any case of irregularity and malpractices in respect of distribution of foodgrains and money in the said areas has come to the notice of Government ;

(d) if so, whether Government have taken any action against the officers concerned for such malpractices ; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) . The latest report from West Bengal Government indicates that there is no drought worth mentioning in that State. Regarding Rajasthan and Bihar, India has not received any foreign assistance specifically for the people affected at present by drought in these States. However, a German Association of Pharmacists has donated medicines worth DM 1,27,431.71 for use in the drought affected areas of this country. The UNICEF has also given some relief supplies for distribution in the areas affected by natural calamities. CARE, a U. S. A. voluntary organisation, also propose to organise a feeding programme in Rajasthan to cover 2.5 lakh children and expectant and nursing mothers.

(c) to (e). The State Governments have been addressed in the matter and information received from them will be placed on the Table of the Sabha, when it is collected.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम विधियों को लागू किया जाना

2533. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम विधियों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) श्रम कानून सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई भेद-भाव नहीं करते और दोनों पर ये समान रूप से लागू होते हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

फसल के सुधारने के लिये रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग

2534. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश व्यापी पैमाने पर फसल में सुधार करने के लिये रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग करने के प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) रेडियोसोटोप्स के प्रयोग का फसल सुधार के लिये विस्तार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में एक न्यूकलियस प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है । यह न्यूकलियस प्रयोगशाला भावा एटोमक अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई, राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल और भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इजतनगर के निकट सहयोग से कार्य करेगी । यह राष्ट्रीय सुविधा के लिये भी कार्य करेगी और रेडियोसोटोप्स के प्रयोग का कृषि और पशुपालन के कार्य के विस्तार के लिये भारत में कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की सहायता करेगी ।

(ग) रेडियोसोटोप्स के प्रयोग से भारत में पहले से हो रहे कार्य से उर्वरकों के प्रयोग करने के तरीकों में अधिक कार्यकुशलता और मानकीकरण लाने में सहायता मिली है और शर्वती, सोनारा आदि फसल की नई किस्मों का विकास हुआ है ।

पंजाब में खाद्यानों को रखने के लिये गोदाम

2535. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने खाद्यानों को जमा करने के लिये गोदाम बनाने के लिये 3 लाख रुपये के अनुदान की मांग की है;

(ख) क्या इस मांग पर विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार से पंजाब में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये गोदाम बनाने हेतु लगभग 3 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायतार्थ अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

(ख) जी हां, इस मांग पर आवश्यक विचार किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती क्योंकि भारत सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता दी जा सके । तथापि भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागार निगम को पंजाब में 2.35 लाख मीटरी टन की क्षमता के गोदाम बनाने के लिये मंजूरी दी है । इसके अलावा, सहकारिता विभाग 1968-69 में सहकारी गोदामों के निर्माण के लिये लगभग 18.75 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता देने का विचार रखता है ।

दिल्ली में आयातित गेहूं के आटे की चोर बाजार में बिक्री

2536. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयातित गेहूं का आटा चोर बाजार में बेचा जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति के कारण आटे को वहां चोरी छिपे भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस वस्तु की चोर-बाजारी और इसकी तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आयातित गेहूं के आटे की चोरबाजारी के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). दिल्ली की राजस्थान के साथ कोई सांझी सीमा नहीं है । खाद्य तथा सम्भरण अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे सतर्क रहें ताकि उचित मूल्य की दुकानों को दिया गया आटा हरियाणा के रास्ते राजस्थान न भेजा जाए ।

बंगलोर में माडर्न बेकरी का सन्यन्त्र

2537. **श्री अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में, बंगलौर में माडर्न बेकरी का एक संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो संयन्त्र पर कितनी लागत आयेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त संयन्त्र मैसूर राज्य को मुफ्त दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह किन शर्तों पर दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि की लागत के बिना लगभग 26 लाख रुपये ।

(ग) जी नहीं । माडर्न बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड जोकि सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है द्वारा प्लांट स्थापित किया जा रहा है और यह कम्पनी की ही सम्पत्ति होगी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डिया शूगर एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड हौसपेट

2538. **श्री एस० ए० अगाड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि गन्ना मूल्य निर्धारण प्राधिकार के अध्यक्ष ने वर्ष 1960-61 तथा 1961-62 के लिये इण्डिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड हौसपेट, बेल्लारी जिला, मैसूर राज्य, के गन्ना सम्भरणकर्ताओं को लिए जाने के लिए लगभग 18 लाख रुपये मंजूर किये थे, लेकिन इण्डिया शूगर्स एण्ड रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा अपील दायर किये जाने पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने उसे घटाकर केवल $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष गन्ना उत्पादकों को अपने मामले का स्पष्टीकरण करने का अवसर नहीं दिया गया ; और

(ग) उसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी हां। अपर्याप्त लाभ होने के कारण कारखानों ने छूट के लिए आवेदन पत्र दिया था जिसके आधार पर राशि घटा दी गयी थी। यह राशि उद्योग पर समान रूप से लागू सूत्र के अनुसार घटाई गयी थी।

(ख) और (ग). जी हां। इस सूत्र में ऐसी व्यवस्था थी जिससे गन्ना उत्पादकों की सुनवाई करना आवश्यक नहीं था। यह तयशुदा खर्चों को पूरा करने के बाद अधिशेष के निर्धारण से सम्बन्धित था।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भारतीय चाय संस्था की योजना पर समिति

2539. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आसाम के कचार जिले में चाय बागान में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए बनायी भारतीय चाय संस्था योजना की कार्यान्वित की जांच करने वाली समिति की शिफारिशों और अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय चाय संस्था की योजना के अन्तर्गत शरणार्थियों के पुनर्वास की शेष समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का विचार समय सीमा निर्धारित करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) और (ख). समिति ने अपना प्रतिवेदन पिछले-मास प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है और जांच समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

आसाम के मिजो जिले में अकाल

2540. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आसाम के अशांत मिजो जिले में गम्भीर अकाल की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता की कठिनाइयां कम करने के लिये, अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि असम के मिजो जिले में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को लिखा गया था और उन्होंने सूचित किया है कि आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। अतः सूचना प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Wage Board for Workers Employed in Private Firms

2541. **Shri Ram Singh Ayarwal:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the workers working in private firms on daily basis do not get adequate wages and that they are being exploited by the employers ;

(b) whether any Wage Board has been set up therefor ;

(c) if so, whether its award is being implemented ; and

(d) if not, the immediate steps being contemplated by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) No study in the matter has been carried out by Government.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Wages in establishments not covered by Wage Boards and the Minimum Wages Act, 1948, can be settled by the parties through mutual negotiations/collective bargaining. No special steps by Government are called for.

Slaughtering of Animals at Kanda Fair in Pauri Garhwal (U. P.)

2542. **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 'Kanda' fair is held after Diwali at Kanda, District Pauri Garhwal, Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that 40-50 buffaloes are slaughtered in the said fair ;

(c) if so, whether Government propose to take suitable steps to ban the slaughter of animals there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

Wine Shop in Pauri (U. P.)

2543. **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal:

Will the Minister of **Social Wefare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have given a contract for wine shop in Pauri;

(b) if so, whether it is also a fact that the resident of Pauri and adjacent villages including the students have become the victims of drinking vice as a result thereof;

(c) If so, whether Government propose to withdraw the said contract ; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Department of Social welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha): (a) to (d). The Uttar Pradesh Government have given a contract to run a country spirit shop at Pauri for one year from 1st April, 1968. No complaints have been received regarding drinking among inhabitants of Pauri, adjacent villages or among students. There is no proposal to withdraw the contract of the shop.

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2544. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक नियोजकों की ओर कितनी राशि बकाया है ;

(ख) भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 30 जून, 1968 को बकाया राशि 4,51,00,384 रु० थी ।

(ख) उद्योग में हाल में आई मंदी, कपड़ा उद्योग में आया संकट तथा कुछ नियोजकों द्वारा सामान्यरूप से अनुपालन न किया जाना ।

(ग) जहां कहीं आवश्यक समझा गया, वहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की सभी विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गई है ।

फैजाबाद में कृषि ऋण सहकारी समितियां

2545. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कितनी कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं और उन्होंने गत तीन वर्षों में कितना ऋण दिया ; और

(ख) क्या जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए, वहां के कृषकों को, ब्याज की कम दर पर लम्बी अवधि के लिये ऋण दिये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विमान द्वारा कीटनाशक औषधियों का छिड़काव

2546. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विमान द्वारा कीटनाशक औषधियां छिड़काने के बारे में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कोई जांच की गई है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

पशुओं का सीमापार कर पाकिस्तान चले जाना

2547. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से भारी संख्या में अच्छी नस्ल के पशु सीमा पार पाकिस्तान चले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो और अधिक पशुओं को देश से बाहर जाने से रोकने और उनके लिये चारे की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता । फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्थान की सरकार को चारे के भण्डार, कीमतों और राज्य की सीमा में चारे के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दे दिया गया है ।

(2) पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने राज्यों से चारे की अधि-प्राप्ति और खरीदारी में राजस्थान सरकार को आवश्यक सुविधायें दें ।

(3) रेलवे मंत्रालय राजस्थान के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में चारे के परिवहन को प्राथमिकता देता है और मालभाड़े के लिए रिआयती दरें लागू की हैं । रेलवे मंत्रालय ने इन क्षेत्रों से भारत के किसी भी स्टेशन तक मवेशियों के परिवहन भाड़े में 20 प्रतिशत की रिआयत देना भी स्वीकार किया है ।

(4) केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना पर निम्नलिखित राज्यों ने सूखा-पीड़ित क्षेत्रों से आये मवेशियों को चरने की सुविधायें देना स्वीकार किया है :

मध्य प्रदेश	1,00,000	मवेशी
उत्तर प्रदेश	60,000	
पंजाब	10,000	

(5) केन्द्रीय सरकार ने सूखा-पीड़ित राज्यों में केन्द्रीय गौसंवर्धन परिषद के द्वारा सहायता कार्य किये जाने के लिये 2,75,000 रुपये कर अनुदान निर्मुक्त किया है ।

(6) राज्य सरकार ने भी राज्य में से तथा बाहर से चारा खरीदने के लिये कदम उठाये हैं और चारे के उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिये भी कार्यक्रम बनाया है ।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में डाक तथा तार के कार्यालय

2548. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कितने डाक तथा तार कार्यालय हैं ;

(ख) इस जिले की जनसंख्या से डाकखानों की संख्या का अनुपात क्या है ;

(ग) अखिल भारतीय जनसंख्या से डाकखानों की संख्या का क्या अनुपात है ; और

(घ) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फैजाबाद जिले में और अधिक डाकखाने खोलने का विचार है ; और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क)

डाकघर : 329

ऐसे डाकघर जिनमें तार सुविधाएं उपलब्ध हैं : 17

(ख) 4,964 की जनसंख्या के लिये एक डाकघर ।

(ग) 4,390 की जनसंख्या के लिये एक डाकघर ।

(घ) चौथी योजनावधि के लिये प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से निर्णीत नहीं हुए ।

केरल को चावल के सम्भरण के लिये राज सहायता

2549. **श्री ई० क० नायनार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर, 1968 के दूसरे सप्ताह में केरल विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसमें मांग की गई थी कि केरल राज्य को केन्द्र द्वारा आवंटित चावल के लिए राज सहायता दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्प के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार पहले ही केरल राज्य में आयातित चावल के वितरण पर राज-सहायता दे रही है । राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं है ।

राज्यों के कर्मचारियों के लिये आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी

2550. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों और

कारखानों के मजदूरों को आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी देने से, भेदभाव के विरुद्ध संविधान के उपबन्ध का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी की मांग को स्वीकार करती है तो राज्यों द्वारा ऐसा करने के लिये क्या सरकार राज्य सरकारों को राज-सहायता देगी;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक मजूरी से रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर हुए बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बेरोजगार बीमे की व्यवस्था करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ सरकारी कर्मचारियों और कारखानों के मजदूरों को आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी देने से, भेदभाव के विरुद्ध संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन आवश्यक रूप से नहीं होता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कार्यकारी दल की भूमिसुधार सम्बन्धी सिफारिशें

2551. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के एक कार्यकारी दल ने भारत में अनाज और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आमूल भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि सुधार विषयक उप-वर्ग की रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई है । खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ने यह रिपोर्ट टिप्पणी तथा विचारार्थ राज्य सरकारों के पास भेजी है । इस रिपोर्ट पर योजना आयोग ने भी विचार करना है ।

बोनस की अधिक दर

2552. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि अधिक दर की इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कथित मांग को स्वीकार करने से पहले नियोजक वर्तमान बोनस दें;

(ख) जब औद्योगिक लाभांशों की दर बोनस भुगतानों से हुई राशि में हुई कमी को प्रकट

नहीं करती है तब ऐसे बोनस का भुगतान करके, जिसका उत्पादकिता से कोई सम्बन्ध नहीं है; उपभोक्ताओं तथा अर्थ-व्यवस्था पर बोझ डालने के क्या आधार हैं;

(ग) क्या सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं कि कारखानों, विशेषतया कपड़े के 80 कारखानों के बन्द होने को एक कारण लाभ न होते हुए बोनस का अनिवार्य भुगतान है; और

(घ) जब अधिक मूल्यों के कारण उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपभोग तथा उसका विस्तार कम हो जाये तो क्या सरकार मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियां कम होने तक बोनस अधिनियम को लागू न करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 में समाविष्ट किया गया बोनस का वर्तमान फारमूला सरकार द्वारा स्वीकार किये गये त्रिदलीय बोनस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर है। कमीशन की सिफारिशों पर निर्णय करते समय उनसे उत्पन्न होने वाली पेचीदगियों पर पूरा विचार किया गया। यदि बोनस अधिनियम में कोई संशोधन करना पड़ा तो सारे सम्बद्ध तथ्यों पर विचार किया जायेगा।

(ग) और (घ). जी नहीं।

आसाम में किसानों के लिए बोनस

2553. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने आसाम में किसानों को काफी समय से दिया जा रहा बोनस बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). यह सूचना प्राप्त हुई है कि असम सरकार ने नवम्बर, 1968 से कृषकों को बोनस देने की प्रणाली समाप्त कर दी है। भारतीय खाद्य निगम तदनुसार राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है।

एक दिन (19-9-1968) की हड़ताल के सम्बन्ध में केरल के डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2554. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में केरल सर्किल के कितने डाक तथा तार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी;

(ख) क्या-क्या कार्यवाही की गई थी;

(ग) मंत्रिमण्डल के निर्णय के बाद कितने कर्मचारियों को बहाल किया गया था; और

(घ) अब कितने कर्मचारी (1) मुअतिल हैं तथा (2) कितनों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 3,218

(ख) सेवा से मुअत्तली, नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देकर सेवा-समाप्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्रवाई और सेवा से अनधिकृत गैर-हाजिरी के लिए सेवा में व्यवधान ।

(ग) 2,365 कर्मचारियों को दिए गए सेवा-समाप्ति के नोटिस वापिस ले लिए गए हैं ।

(घ) (i) अभी तक मुअत्तल कर्मचारियों की संख्या 567 है ।

(ii) 289 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है ।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतन में कटौती

2555. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सर्किल के डाक तथा तार विभाग के कई कर्मचारियों पर 19 सितम्बर तथा 18 अक्तूबर, 1968 के बीच की अवधि में नारे लगाने तथा ऐसे अन्य आरोपों के कारण उनके वेतनों में से कई दिनों के वेतन की कटौती की गयी; और

(ख) यदि हां, तो वेतनों में ऐसी कटौती से कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं । किन्तु 19 सितम्बर, 1968 के बाद किसी भी दिन कार्य के दौरान के अनधिकृततौर पर गैर-हाजिर रहने वाले या दिये गये काम को करने से इन्कार करने वाले कर्मचारियों को सामान्य विभागीय नियम के अन्तर्गत उस दिन का वेतन नहीं दिया गया ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से इस प्रकार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 1,567 है ।

भारतीय औद्योगिक संस्था उपभोक्ता सहकारी समिति, कानपुर

2556. **श्री देवेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, कानपुर की उपभोक्ता सहकारी समिति के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में 1962 से 1967 तक 47,000 रुपये की कमी दिखाई है;

(ख) क्या यह सच है कि लेखे तैयार न होने के कारण मार्च, 1968 में निर्वाचित प्रधान अब तक कार्य-भार नहीं सम्भाल सका; और

(ग) यदि हां, तो सहकारी समिति में भ्रष्टाचार समाप्त करने तथा इसे ठीक तरह चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल में कृषि विस्तार अधिकारी

2557. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के अराजपत्रित, एस० स० एस० प्रथम वर्ग के कृषि विस्तार अधिकारियों को राजपत्रित नहीं किया गया है यद्यपि पश्चिमी बंगाल के समान प्रणाली के अधिकारियों अर्थात् संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों, पशुचिकित्सा सहायक सर्जनों तथा जिला पणन अधिकारियों को राजपत्रित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि विस्तार अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी न बनाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल के कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थायी करना

2558. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में तीन वर्ष से अधिक कार्य करने वाले सभी कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थायी करने के लिये सरकार ने आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि 8 से 9 वर्ष तक सेवा कर चुके कृषि विस्तार अधिकारी अभी तक अस्थायी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में कृषकों को बीजों का वितरण

2559. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से रेडियो द्वारा यह प्रसारण किया जाता है कि पश्चिमी बंगाल में विभिन्न खण्ड विकास कार्यालयों में कृषकों में वितरण के लिये बीज उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेडियो पर प्रसारण के तुरन्त बाद इन कार्यालयों में वे बीज उपलब्ध नहीं होते हैं; और

(ग) यदि हां, तो समय से पूर्व ऐसी घोषणायें करने के जिससे लोगों को असुविधा होती है, क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयले के अतिरिक्त अन्य खनन उद्योगों में मजूरी बोर्ड के पंचाटों की क्रियान्विति

2560. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग के अलावा अन्य खनन उद्योगों ने मजूरी बोर्ड के पंचाटों को क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पंचाट को कब क्रियान्वित किया गया था और पुराने वेतनक्रमों के मुकाबले में अब नये वेतनक्रम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इनको क्रियान्वित कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कच्चा लोहा, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खनन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये गए थे । **एक विवरण संलग्न है,** जिसमें उन खानों की संख्या दी गई है जिन्होंने सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है ।

(ख) ये सिफारिशें 1 जनवरी 1967 से क्रियान्वित होनी थीं । मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए नए वेतनमानों के बारे में सूचना बोर्ड की रिपोर्टों में उपलब्ध है ।

(ग) ये सिफारिशें कानूनन लागू नहीं होतीं और इनकी क्रियान्विति मुख्यतः अनुनय और सलाह द्वारा कराई जानी है । इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयास जारी हैं ।

विवरण

उन खानों की संख्या जिन्होंने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है और उन खानों की संख्या जिन्होंने सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है

क्रमांक	खानों के नाम	खानों की कुल संख्या	उन खानों की संख्या जिन्होंने पूर्ण क्रियान्वित की है	आंशिक रूप से	उन खानों की संख्या जिन्होंने क्रियान्वित नहीं की है
1	2	3	4	5	6
1	कच्चा लोहा	376	69	8	299
2 (क)	चूना पत्थर	283	32	16	235
(ख)	डोलोमाइट	39	16	2	21

समुद्री खाद्य उद्योग

2561. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री खाद्य उद्योगों का विकास करने के लिये सरकार ने योजनाएं बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका मोटे रूप से ब्योरा क्या है, समुद्री खाद्य वस्तुओं की प्रति वर्ष देश में कितनी खपत होती है और कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है और इसके निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). जी हां। चौथी योजना के विचाराधीन कार्यक्रम में प्रबन्ध किया जा रहा है कि इस योजना के अन्त तक वर्ष भर में 9 लाख मीटरी टन समुद्री मछली के उत्पादन को बढ़ा कर लगभग 15 लाख मीटरी टन कर दिया जायगा। इसके अतिरिक्त उत्पादन की प्राप्ति के लिये 8,000 मशीनी नावें और 300 मध्य तथा बड़े आकार के जहाजों को काम में लाया जायेगा। इस समय मछली उत्पादन के लगभग 90 प्रतिशत भाग की खपत देश में ही होती है और चौथी योजना के अन्त में भी इसी प्रतिशतता को बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेगा। अनुमान है कि प्रस्तावित कार्यक्रम के आधार पर मछली के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई जो इस समय 18 करोड़ रुपये के करीब है चौथी योजना के अन्त तक बढ़कर 48 करोड़ रुपये हो जायेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह

2562. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह करना इस देश में सभी समुदायों के लिए अवैध है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह किन समुदायों के लिए और किन विनिर्दिष्ट कारणों के लिए वैध समझा जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिषिद्ध नातेदारी में विवाह की इस विधि को बदलने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) भारत में विवाह की एक समान विधि नहीं है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन, जो समर्थकारी स्वरूप का है और जिसके अधीन कोई दो व्यक्ति विवाह कर सकते हैं, उस अधिनियम में यथापरिभाषित प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर विवाह उन मामलों में अनुष्ठापित किया जा सकता

है जिनमें कम से कम एक पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ि उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात करती हो। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन, उस अधिनियम में यथापरिभाषित प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर न आने वाले किन्हीं दो हिन्दुओं के बीच विवाह उन मामलों में अनुष्ठापित किया जा सकता है जहां उन दोनों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात कराती हो। पारसी विवाह और विच्छेद अधिनियम, 1936 के अधीन, जो पारसियों को लागू होता है, वे व्यक्ति जो उस अधिनियम में यथा उपवर्णित रक्त सम्बन्ध या बंधुता की प्रतिषिद्ध डिग्रियों के भीतर आते हैं, विधिमान्य विवाह नहीं कर सकते। अन्य सभी मामलों में, विवाह के प्रयोजन के लिए प्रतिषिद्ध नातेदारी, पक्षकारों की स्वीय विधियों (उदाहरणार्थ मुसलमानों के मामले में मुस्लिम विधि) या पक्षकारों को लागू रूढ़िजन्य विधि द्वारा शासित होती है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में पुनर्वास कार्य

2563. **श्री मेघचन्द्र :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने जिरीबम सब-डिवीजन, मनीपुर में पाकिस्तान से आये 214 पुराने शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास कार्य को स्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने इन शरणार्थियों को खेती तथा रहने के लिये भूमि दी है ; और

(घ) यदि हां, तो दिये गये अनुदानों का ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

Shops in Old Lajpat Rai Market, Delhi

2564. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of all the remaining 84 shops has been completed in the old Lajpat Rai Market, Delhi;

(b) whether it is also a fact that delay is being made in allotting the shops to the allottees;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the possession of some of the shops is not being given to the allottees even after making their allotment; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) 66 shops have been completed. The construction of two shops has been given up because of a change in the plan and 16 are under construction.

(b) to (e). 66 shops have been completed only in October, 1968; 35 out of these 66 shops have already been allotted by draw of lots. The Delhi Municipal Corporation are taking action to allot the remaining 31 shops. 15 out of the 16 shops still under construction have also been allotted by draw of lots; their possession will be handed over as soon as they are ready. The remaining one out of the shops under construction will be allotted by the Delhi Municipal Corporation.

बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों को उपदान का लाभ

2565. **श्री जनार्दनन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली, के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच मई, 1965 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अनुसार कर्मचारियों की छटनी सेवा निवृत्ति के समय उपदान सम्बन्धी लाभ आदि का भुगतान किया जाना था ।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समझौते की प्रति न दिल्ली प्रशासन को भेजी गई और न किन्हीं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को और न ही इसके कर्मचारियों को भेजी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) समझौता अधिकारी, दिल्ली के समक्ष ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था लेकिन कम्पनी से यह मालूम हुआ है कि उसके बम्बई के कर्मचारियों को ग्रेचुटी देने संबंधी करार दिल्ली के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग में करार की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) बम्बई के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने के संबंध में हुये करार के बारे में दिल्ली प्रशासन को कोई ज्ञान नहीं है । कानून के अधीन भी संबंधित पक्षों द्वारा समझौते की प्रति सरकारी प्राधिकारियों को भेजना आवश्यक नहीं है ।

बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

2566. **श्री जनार्दनन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि भारत में विदेशी मलकियत वाली कई कम्पनियां बन्द की जा रही हैं ;

(ख) विदेशी कम्पनियों में सामूहिक रूप से छंटनी होने पर कर्मचारियों को सरकार ने नियमों के अन्तर्गत कौन से लाभ सुनिश्चित किये हैं ;

(ग) क्या बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के कर्मचारियों को ये सभी लाभ दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आवश्यक उपबंध विद्यमान हैं ।

(ग) छंटनी किये गये कर्मचारियों को नोटिस के बदले में छंटनी भत्ता तथा एक माह का वेतन दिया गया है । उपदान के बारे में एक विवाद दिल्ली प्रशासन के समक्ष समझौते के लिये विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Hoarding of Sugar Stocks in Bombay

2567. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news-item published in certain newspapers that some traders of Bombay have accumulated large stocks of sugar in collusion with the mill-owners with a view to increase the prices of sugar ;

(b) if so, the steps taken by Government to check the hoarding of sugar and consequent increase in its price ;

(c) the whole-sale and retail prices of sugar as on the 1st October, 1968 ;

(d) the whole-sale and retail prices of sugar as on the 13th November, 1968 ; and

(e) the steps being taken by Government to supply sugar at cheaper rates ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The Maharashtra Government is looking into the matter.

(c) and (d) . The whole-sale and retail prices of sugar in the free market in Bombay on 1st October, 1968 and 13th November 1968 are as under :—

	1st October, 1968	**13th November, 1968**
Whole-sale prices (per quintal)	Between Rs. 330/-to Rs. 350/-.	Between Rs. 330/-to Rs. 335/-.
Retail prices (per kilogram)	Between Rs. 3.30 to Rs. 3.70	Between Rs. 3.30 to Rs. 3.50.

(e) The price of sugar is expected to come down when due to increased production in the current season, it will be possible to release larger quantities for consumption.

मनीपुर में सहकारी खेती

2569. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने सहकारी खती करने तथा सहकारी खेती समितियों को भूमि के आवंटन को प्रोत्साहन न देने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो सहकारी खेती समितियों के नाम क्या हैं तथा मनीपुर में खेती के प्रयोजन के लिये किन प्रस्तावित समितियों को भूमि मिलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूची सभा-पटल पर रखी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2377/68]

मनीपुर में पंचायतों के प्रधान

2570. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों में व्यापक रूप से असंतोष फैला हुआ है और उन सभी ने एक साथ त्यागपत्र देने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो पंचायतों के प्रधानों की शिकायतें क्या हैं; और प्रस्तावित त्यागपत्र देने के कारण क्या हैं ;और

(ग) सरकार ने पंचायतों से संगत अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्य कराने तथा मनीपुर में पंचायती राज सुनिश्चित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). मनीपुर राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष ने मनीपुर प्रशासन को मनीपुर की ग्राम पंचायतों का एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें केन्द्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने की मांग की गई थी ; प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यदि मांग के अनुसार विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया तो ग्राम पंचायतें संयुक्त रूप से त्याग-पत्र दे देंगी ।

(ग) जनवरी, 1960 में केन्द्र शासित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 लागू किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की स्थापना करने की व्यवस्था है और अधिनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक नियम बनाए गए थे । तथापि, इस अधिनियम के अन्तर्गत पहाड़ी इलाके नहीं आते हैं । केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन के अनुसार पंचायतों को प्रभावी ढ़ंग से काम करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है । खण्ड की पंचायतों के सभी प्रधान खण्ड समिति के सदस्य हैं और इस तरह वे खण्ड कार्यक्रमों को तैयार तथा कार्यान्वित करने में भाग लेते हैं । गामीण जन-शक्ति तथा व्यवहारिक पोषाहार जैसे कार्यक्रम ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं । पंचायतों को फर्नीचर, लेखन-सामग्री, पंचायतघरों, न्याय पंचायतघरों आदि के लिए सहायक-अनुदान दिए जाते हैं । पंचायतों द्वारा लाभकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता सुलभ करने की एक योजना भी बनाई गई है ।

पंचायती राज की दो स्तरीय प्रणाली ग्राम-स्तर पर पंचायतें और खण्ड स्तर पर पंचायत समितियां लागू करने के लिए विधेयक का मसौदा विचाराधीन है ; चूंकि मनीपुर एक जिले वाला क्षेत्र है, अत: विधेयक में जिला परिषद की व्यवस्था नहीं है ।

त्रिपुरा में आसामी प्रणाली के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि

2571. **श्री किरितविक्रम देव बर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय त्रिपुरा तथा समूचे भारत में कुल खेती योग्य भूमि में से कितनी भूमि में आसामी प्रणाली द्वारा खेती कराई जाती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सन् 1961 में कुल जोत योग्य हाउस होल्ड में लीज्ड-इन हाउसहोल्ड का अनुपात 36:42 था । इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 23.56 थी ।

Central Mechanised Farms Suratgarh and Jetsar

2572. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total acreage of land under Central Agricultural Mechanised Farms, Suratgarh and Jetsar ;

(b) the area on which fruits and vegetables are grown, respectively and the area of land lying unclutivated ; and

(c) whether Government propose to lease out uncultivated land to local agriculturists and if so, when and if not why ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Suratgarh Farm—30331 acres
Jetsar Farm—22162 acres

(b) An area of 245 acres is under an orchard at Suratgarh. No fruits are being grown at Jetsar. There is no area under vegetables either at Jetsar or at Suratgarh.

The statement gives the areas brought under cultivation during kharif and rabi of the last 3 years at the two farms. **[Placed in Library. See No. LT-2378/68]**

(c) Government is quite capable of cultivating all the culturable area if adequate irrigation facilities are available. There is no question of leasing any part of the land to the local agriculturists.

Central Mechanised Farm, Suratgarh

2573. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Food, Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land belonging to the Central Agricultural Mechanised Farm, Suratgarh, which has been given on lease to cowherds for cattle-grazing ;

(b) the rent per acre, per 25 Bighas or per Murabba charged from them ; and

(c) the total income therefrom and the manner in which it is utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) : An area of 5,518.50 acres was given on rent for grazing purposes during 1968.

(b) The rent varied from Rs. 3.33 to Rs. 10.00 per acre.

(c) The total income during 1968 would be Rs. 27,530/-. This income is treated as Government revenue just like any other income of the farm.

Grants for Pumping Sets in Agra District, U. P.

2574. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the grant given for pumping sets in Agra district, U. P. during 1967-68 and the principle governing such payments ;

(b) the number of cases in which grant was not paid to applicants under the said principle and the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in regard to those whom grants have not been paid and if it is proposed to give grant to them when they are likely to get it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will on receipt be placed on the Table of the Sabha.

कोलार (मैसूर) में डाक तथा तार विभाग के कार्यालयों के लिये भवन का निर्माण

2575. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार में, जो कि मैसूर राज्य में डिवीजन मुख्यालय है, डाक तथा तार विभाग के कार्यालयों के लिये एक भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके लिये भूमि का अर्जन करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह बन कर कब तैयार हो जायगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). भूमि अधिग्रहण के लिए कार्रवाई की जा रही है और अधिग्रहण के बाद डाकघर की इमारत के निर्माण के लिए कार्यवाई की जाएगी ।

शिमोगा (मैसूर) में डाक तथा तार घरों के लिये स्थान

2576. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमोगा, मैसूर राज्य में डाक तथा तार घर के लिये एक भवन खरीदा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके खरीदे जाने के बावजूद भी प्रतिमास किराया क्यों दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या भवन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसका कब निर्माण किया जायगा ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रधान डाकघर के लिए एक विभागीय इमारत के निर्माण का प्रस्ताव है जिस पर कार्रवाई की जा रही है ।

Lockout in Factories

2577. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number and names of factories, State-wise, which resorted to lock-outs gave notices for resorting to lock-outs on account of threats of gheraos, strikes and work-to-rule during the period from 1st January 1967 to 31st October, 1968 ; and

(b) the number of employees rendered unemployed or likely to be rendered unemployed as a result of the aforesaid decision of the factories ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). The information has been called for from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

New Recruitment after Strike in P & T

2578. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had to appoint some new employees in the Posts and Telegraphs Department as a result of the strike of the Central Government employees on the 19th September, 1968 and also due to their resorting to work-to-rule later on ; and

(b) if so, steps taken by Government to safeguard the future of these new employees ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) (a) Yes, in place of those who have been discharged or suspended from service.

(b) Instructions have been issued for the absorption of such of these new employees on a regular basis as fulfil the **ad hoc** relaxed conditions of eligibility for recruitment in Class III & Class IV posts.

भविष्य निधि की बकाया राशि

2579. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री वाल्मीकी चौधरी :
श्री अदिचन :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
डा० रानेन सेन :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1968 तक भविष्य निधि की बकाया राशि 8.17

करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी थी जबकि 31 मार्च, 1967 को वह 5.96 करोड़ रुपये थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय ट्रस्टीबोर्ड ने सरकार से प्रस्ताव रखे हैं कि चूककर्ताओं को और अधिक कड़े दण्ड देने की व्यवस्था की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने बकाये के प्रश्न की जांच करने के लिये एक उप-समिति स्थापित की है । उप-समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हैदराबाद में रावलपिण्डी के समाचार प्रसारित करने वाले गुप्त ट्रांसमीटरों का होना

श्री ए० श्रीधरन (बडागरा) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

रावलपिण्डी को समाचार प्रसारित करने वाले गुप्त ट्रांसमीटरों का हैदराबाद में होना ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने हमें सूचना दी है कि उन्हें ऐसे किसी गुप्त ट्रांसमीटर की जानकारी नहीं है जो हैदराबाद में रावलपिण्डी को समाचार प्रसारित करता हो । यह मामला आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में उठाया गया था और हमें बताया गया है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आगे जांच कर रही है ।

श्री ए० श्रीधरन : यह एक बहुत गम्भीर मामला है और गृह-मंत्री के उत्तर से आभास मिलता है कि उन्होंने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है । हमारा देश इस समय ऐसे चौराहे पर है जहां हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिये विदेशी राष्ट्र प्रयत्न कर रहे हैं । यह ट्रांसमीटर भी उसी योजना का एक अंग है । विद्रोही लोग देश से बाहर जाने लगे हैं और हथियार लेकर वापस आ रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के एक कांग्रेसी सदस्य श्री श्रीवेंकट नारायण ने राज्य विधान सभा में यह आरोप लगाया है कि जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी कहा है कि सरकार के सभी कार्यालयों विशेषकर सूचना और लोक सम्पर्क विभाग में पाकिस्तानी कार्यकर्त्ता सक्रिय हैं । कुछ समय पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रसोई घर से एक पाकिस्तान कार्यकर्त्ता पकड़ा गया था । विदेशी राष्ट्रों को हमारे साथ बुरा व्यवहार करने के लिये उकसाया जाता है । हमारे जो मंत्री बाहर जाते हैं वे दुर्बलता की तस्वीर पेश करते हैं । कुछ समय पहले माननीय विधि मंत्री अमरीका गये थे और उन्होंने वहां पर एक राज्य सरकार की निन्दा की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य को कहीं पर तो रोकना होगा ।

श्री ए० श्रीधरन : ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी के आश्रम में एक ट्रांसमीटर होने के बारे में यहां पर एक प्रश्न उठाया गया था । उस समय गृह-मंत्री ने उत्तर दिया था कि वहां पर ऐसा कोई ट्रांसमीटर नहीं था । अब आन्ध्र में एक गुप्त ट्रांसमीटर होने के बारे में समाचार मिला है । गृह-मंत्री ने अपने उत्तर में विधान सभा में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश किया है । आन्ध्र प्रदेश के मंत्री ने कहा है कि एक छोटा-सा ट्रांसमीटर दूरस्थ स्थानों को जानकारी नहीं भेज सकता । आज विज्ञान का युग है । भारत में अन्यत्र कोई शक्तिशाली ट्रांसमीटर होगा और यह छोटा ट्रांसमीटर उसे जानकारी भेज सकता है । जहां से विदेशों को सूचना भेजी जा सकती है ।

मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी कार्यकर्त्ता हमारी सेवाओं में प्रवेश कर रहे हैं । इस देश की सुरक्षा तथा अखण्डता को छिन्न-भिन्न करने के लिये विदेशी ताकतों ने एक पूर्ण योजना बना रखी है । यह एक गम्भीर मामला है । क्या गृह-मंत्री इस मामले की गम्भीरता को समझकर संसद् सदस्यों तथा विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करेंगे जो देश में तोड़-फोड़ के कार्यों तथा विदेशी एजेण्टों की गतिविधियों के बारे में जांच करेगी ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : उनके प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है । इस मामले में समिति नियुक्त करने से काम नहीं बनेगा । यदि वे तोड़-फोड़ के कार्यों के बारे में चिन्तित हैं तो मैं भी उनके साथ हूं । मैं मानता हूं कि तोड़-फोड़ के कार्य किये जा रहे हैं और हमें अधिक सतर्क रहना चाहिये । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम इस बारे में बड़ी सावधानी से काम ले रहे हैं । परन्तु इस विशेष मामले में मैं सावधान करना चाहूंगा कि कभी-कभी ऐसी अफवाहें साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिये फैलाई जाती हैं । कई मामलों में हमारा यह अनुभव रहा है ।

हैदराबाद नगर में गुप्त ट्रांसमीटरों के होने के बारे में मेरी जानकारी यह है कि हमारे द्वारा की गई जांच से यह बात सिद्ध नहीं होती । हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा की गई जांच से भी यह बात सिद्ध नहीं हुई है । इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : There have been so many occasions when the Pakistan Radio made broadcasts in regard to the happenings in India prior to us. It is a matter of great concern and we are not satisfied by the answer that Government have no such information. Transmitters are a link in these espionage activities. Does the Hon. Minister want to suppress this information on the plea of rousing communal feelings ? These charges have been made by responsible persons and appeared in newspapers. Have Government made enquiries into them and after making enquiries they have come to this conclusion that there is no such transmitter functioning there ? If such things are happening what steps Government have taken to stop them ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें पूरा यकीन है कि ऐसे ट्रांसमीटर नहीं हैं । जो भी आरोप लगाये गये या अफवाहें फैलाई गयीं उनकी जांच की गई और वे ठीक नहीं पाई गयीं । मैं इस तरह की गलत धारणा नहीं देना चाहता कि कहीं भी ऐसे किसी ट्रांसमीटर के होने की कोई सम्भावना नहीं है । मेरी जानकारी यह है कि कुछ मामलों में ये अफवाहें सच नहीं है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): The Andhra Pradesh Minister stated in the Assembly that both parts of Pakistan are 1400 miles away from Hyderabad and therefore only a powerful transmitter can relay messages there. Japan has made such transmitters which can be kept in pockets and are powerful enough to relay messages to distant places. When we are receiving such complaints every now and then, has Government made any arrangement to intercept such messages in between ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं राज्य सरकार के माननीय मंत्री के तर्क पर निर्भर नहीं करता कि 1400 मील की दूरी से समाचार प्रसारित नहीं किया जा सकता। आज टेक्नालोजी का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। यदि ट्रांसमीटर कम शक्तिशाली हो तो शक्तिशाली रिसीवर संदेश प्राप्त कर सकता है। मैं किसी अन्य जानकारी पर निर्भर कर रहा हूं जो मैं बताना नहीं चाहता। बीच में संदेशों को रोका जा सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): Whenever any communal riots or disturbances take place in India news about them are first relayed by Pakistan Radio. It is not necessary that only a powerful transmitter will be required to transmit messages beyond 1400 miles. When Russian Troops entered Czechoslovakia so many transmitters functioned from there which could be heared in Delhi also although Russia wanted to stop them. So a small transmitter can also relay messages.

I want to know from the Hon. Minister how many times the Fereign Monitoring Service of the All India Radio found that the broadcast first emanated from the Pakistan Radio ?

I also want to know whether there is any co-ordination between the Foreign Monitoring Service of the AIR and the Intelligence Department ? What are the arrangements for passing on such information by the Foreign Monitoring Service to the Intelligence Department for a probe ?

A Congress Member of Andhra Pradesh Assembly said in the Assembly that this was not only a question of a transmitter functioning somewhere but foreign agents have entered into our services in great numbers. Stringent measures by the Government are not enough to curb such activities. A feeling should be created in the minds of the people to keep an eye on such things and report them to Government. What steps have Government taken to generate such a feeling in the people ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : अनुश्रवण तो साधारणतया चलता ही रहता है। परन्तु मैं आम वक्तव्य नहीं दे सकता हूं कि आया अनुश्रवण द्वारा ऐसे किसी ट्रांसमीटर का पता लगा है अथवा नहीं। परन्तु एक-दो बातों की जो विशेषकर हमारे ध्यान में लाई गई हैं; जांच की गई और पता लगा कि वे सच नहीं थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि देश में कोई जासूसी नहीं हो रही है या कोई गुप्त ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है। वातावरण केवल बातों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। प्रत्येक देश-भक्त व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह जासूसी को रोकने में मदद ही नहीं अपितु जरा-सा भी सन्देह होने पर उसका भण्डाफोड़ करने की कोशिश करेगा। इस काम में तो हमें प्रत्येक नागरिक के सहयोग की आवश्यकता है।

Shri George Fernandes (Bombay-South): The Hon. Minister has said that such rumours are sometimes spread to rouse communal feelings but I can say that there is no question of any religion or community involved in it.

The Home Minister has stated here that Government have no information regarding the existence of any secret transmitter in Hyderabad. But "The Deccan Chronicle" of 26th reporting the proceedings of the State Assembly says:

"The Government's efforts to trace and seize any secret transmitter operating in the city and transmitting messages to Pakistan were being intensified".

There is difference between the newspapers report and the statement made by the Home Minister.

The statement made in the State Assembly goes on to say:

"Preliminary report by the Police indicates that a very powerful transmitter will be required to send messages either to western or eastern regions of Pakistan which are 1400 miles from Hyderabad."

I do not want to say how far this goes in favour or against the operation of such transmitters. But I can say that some such transmitters are certainly operating there.

There are many amateur transmitter stations in our country which are called ham stations. I want to know the criteria that is followed in granting licences for such ham stations in the country. Do Government have any information about the antecedents or nationality of the persons operating these stations and the purpose for which they are being used? From these ham stations messages are sent to foreign countries. Have Government made any arrangements for monitoring such messages and do they know as to what messages are sent from these stations?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने यह नहीं कहा है कि जांच पूरी हो गई है। राज्य सरकार जांच कर रही है।

जहां तक हमें ट्रांसमीटरों के लिये लाइसेंस देने का प्रश्न है, इसका उत्तर सूचना मंत्री दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहूंगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) दूसरा संशोधन नियम

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक कर्मकार (सलाहकार समिति) दूसरा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3928 में प्रकाशित हुये थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2349/68**]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदें नियम और पश्चिमी बंगाल जिला परिषद् नियमों में संशोधन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदें अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र समितियां तथा जिला परिषदें रिकार्डों का निरीक्षण तथा प्रतियां दिया जाना नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या 495-बी/तेंतीस-II-4 (10)-65 में प्रकाशित हुये थे ।

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें अधिनियम, 1863 की धारा 112 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल अधिसूचना संख्या 6496 ए जेड पी की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल जिला परिषदें (निर्वाचन, गठन तथा प्रशासन) नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2350/68]**

सरकारी बचत पत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गम) तीसरा संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2056 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) डाकघर बचत पत्र (छठा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2057 में प्रकाशित हुये थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2351/68]**

चौथे सामान्य निर्वाचन का प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : मैं भारत में चौथे सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी प्रतिवेदन, 1967, खण्ड—एक (सामान्य) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2352/68]**

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में
RE: PROPOSED L. I. C. STRIKE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने कल निवेदन किया था कि श्रम मंत्री जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य दें ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Yesterday, Dr. Ram Subhag Singh had promised.

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा निवेदन है कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो वचन दिया गया है उसका पालन होना चाहिये ।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्री बनर्जी और श्री फरनेन्डीज ने कहा है कि मैंने आश्वासन दिया था । इसमें आश्वासन देने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने केवल यह कहा था कि यहां पर जो कुछ कहा गया है मैंने उसे सुन लिया है । मैंने श्रम मंत्री को उसकी जानकारी दे दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : विभिन्न दलों के नेताओं ने यह निवेदन किया है कि श्रम मंत्री एक वक्तव्य दें । माननीय मंत्री ने इसे सुन लिया है । आम संसदीय परम्परा के अनुसार श्रम मंत्री को आज नहीं तो बाद में एक वक्तव्य देना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि वे इसी समय वक्तव्य दें ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने अपनी 26 नवम्बर, 1968 की बैठक में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है जिसके द्वारा विदेश विवाह विधेयक 1963 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के 67वें सत्र के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 3 और 4 पर कोई संशोधन नहीं दिये गये हैं । अतः मैं उनको मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 3 and 4 were added to the Bill

खण्ड 5 (निरसन तथा बचत)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं इस अध्यादेश को अधिनियम बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य जानना चाहता हूं । मेरी राय में इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों के मामलों को चलाये रखना है जो 19 सितम्बर को हड़ताल पर गये थे जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हैं ।

1960 में सरकार का यह रवैया नहीं था । परन्तु इस बार उन्होंने बदला लेने का रवैया अपनाया है । माननीय मंत्री ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का रवैया कर्मचारियों से बदला लेने का है । इसीलिये मैंने यह संशोधन दिया है । उन्हें इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जो भी मामले न्यायालयों के समक्ष हैं उनमें न्यायिक कार्यवाही स्वाभाविक रूप में चलेगी । इस संशोधन को स्वीकार करने से तो इस विधान का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

मेरे माननीय मित्र ने 1960 का उदाहरण दिया है । उस समय स्थिति यह नहीं थी । इसलिये इस विधेयक को स्थायी कानून बनाने का आधार वैध है ।

उन्होने इस विधेयक का इस आधार पर भी विरोध किया है कि वर्तमान रेलवे अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गये नियम ही अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये काफी हैं । परन्तु मैं इससे सहमत नही हूं । इस विधेयक में जिन अपराधों से निपटने के बारे में उपबन्ध रखे गये हैं वे वर्तमान रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । इसलिये गाड़ियों को नियमित रूप से चालू रखने के लिये यह संशोधन विधेयक जरूरी हो गया है ।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य "14 सितम्बर" की बजाय "20 सितम्बर" शब्द रखना चाहते हैं । मेरे विचार से उन्हें इस खण्ड के बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है । वे केवल यह छोटी सी रियायत चाहते हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जो भी अपराध किये गये हैं न्यायालयों द्वारा उन पर कार्यवाही की जानी है । इसलिये न्यायालय ही इसका निर्णय कर सकते हैं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यदि कोई अपराध किया जाता है तो उस पर उस समय विद्यमान कानूनों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है । हमारी आपत्ति केवल यही है कि इन अपराधों को प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत नहीं लाया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यादेश जो जारी कर दिया गया था ।

श्री नाथ पाई : अध्यादेश तो आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिये एक अस्थायी उपाय होता है । परन्तु ऐसे उपाय को स्थायी रूप देना बड़ा खतरनाक है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इन तथाकथित अपराधों के विरुद्ध इस अस्थायी उपाय का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जल्दी में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 41; विपक्ष में 115

Ayes 41; Noes 115

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The Hon. Minister has miserably failed to justify the necessity of bringing this amending Bill.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

By this Bill Government has imposed a blanket ban on strikes by Government employees. The union Law Minister mentioned about collective defence against the offending state

of Kerala. I am asking cannot Government err ? When it errs cannot the Government employees take recourse to strike ? Is it not a sort of a collective defence for them ? In every democratic country people have a right to strike. They should not be deprived of their fundamental right to strike. After its enactment this measure will be anti-people and prove a slur on their fundamental rights.

If Government would have said that they wanted to punish those indulging in violence and acts of sabotage ; then we would have supported them. I admit that it is very difficult to run the Government, but it does not mean that instead of facing difficulties we should smother democracy.

When in difficulty Government is free to declare an emergency and has power to issue ordinances. In such a situation, what justification is there to have a regular law for preventing strikes ? Since we have faith in democracy, we should have a balanced judgment.

The Government is now feeling itself weaker because its power comes from the people.

It is losing support from the people. This is why they want to take shelter under this legislation. But this legislation will not be able to save them.

I also do not like that the Government employees should resort to strike very frequently. Strike should be launched when there are genuine difficulties. Government had been encouraging trade unions for the last 20 years. But now they want to strangulate them. Is there any justification for this step ? I do not say that action should not be taken against the employees who indulged in violence on the 19th September. But those who voiced their grievances peacefully should not be deprived of their right to strike.

Instead of taking shelter under such a law, Government should go into the root of this problem and find a lasting solution to it.

The existing laws are adequate enough for taking action against persons creating obstruction in the way of smooth functioning of the railways. Government need not acquire more power for this.

Government has become accustomed to acquire more and more powers. But it is a tragedy that they use them where they are not needed and do not use them where they are needed. Four months ago, Shri Shukla said that Government had no power to take action against those persons who display pictures of Mao and shout slogans of "Ayub Zindabad". Government have not come forward with any Bill so far to cover those persons. Instead Government have come with this anti-labour, anti-people and black Bill, and against those very people who form a part of it. Those who have faith in democracy should stronghy oppose this Bill.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि सरकार इस संशोधन को कि यह विधेयक सांकेतिक हड़ताल या वैध हड़ताल पर लागू नहीं होगा मान लेती तो हम समझ सकते थे कि सरकार का इरादा नेक है । परन्तु वह संशोधन मतविभाजन के बाद अस्वीकार कर दिया गया ।

मुझे आश्चर्य है कि सरकार जरा-जरा सी बातों के लिये अधिकाधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। इसमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया है कि वह लोगों से भयभीत है। उन्हें पता है कि वे संविधान में दिये गये मूल अधिकारों को आसानी से नहीं छोड़ सकते। इसलिये वे इस तरह के विधान लाकर लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। यदि सरकार ऐसा करती रही तो लोगों को मजबूर होकर हिंसात्मक कदम उठाना पड़ेगा।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस विधेयक द्वारा केवल रेल कर्मचारियों के अधिकारों को ही कम नहीं किया जा रहा है अपितु यह अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होगा। यह विधेयक बदले की भावना से लाया गया है। अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। इस विधेयक से रेलवे सम्पत्ति का अधिक विनाश होगा।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Seven Minutes Past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी के समाचार के बारे में
RE. REPORTED ARREST OF SUGARCANE GROWERS

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्विवेदी अपना भाषण जारी रखें।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The cane growers want reasonable prices of their produce but they are being beaten and put into jails with the help of the police. The mill-owners should be prevented from committing excesses on the cane growers and prevailed upon to pay them reasonable prices for their cane.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद जब मंत्री महोदय यहां थे तब उन्हें मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये था। अब इसे नहीं उठाया जा सकता। कल भी जब जोर दिया गया तो मैंने कहा था कि संसद-कार्य मंत्री इसे नोट कर लें।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं इसकी सूचना मंत्री महोदय को दे दूंगा।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, my submission is that Dr. Ram Subhag Singh should consider this in regard to Bihar, Uttar Pradesh and Punjab etc. also and not only in regard to Haryana.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह ने सभी प्रभावित राज्यों को आश्वासन दे दिया है।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य हड़ताल को गैर-कानूनी करार देना है । यदि यह उद्देश्य नहीं है तो क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि विधेयक के पास होने के बाद रेल दुर्घटनाएं बिल्कुल बन्द हो जायेंगी ।

दुर्घटनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट पढ़ने से पता लगता है कि दुर्घटनायें इधर-उधर की बाधाओं में नहीं होती हैं बल्कि प्रशासनिक अकुशलता के कारण होती हैं परन्तु मंत्री महोदय ने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया है जहां किसी प्रशासनिक उच्चाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो । मैं समझता हूं कि वह इस सम्बन्ध में निस्सहाय हैं ।

सरकार ने कर्मचारियों के प्रति कड़ा रवैया अपनाया है । यही कारण है कि उन्होंने सोचा कि यदि एक बार कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जायेगा और हड़ताल को गैर-कानूनी करार दे दिया जायेगा तो हर एक चीज ठीक हो जायेगी परन्तु मैं समझता हूं कि हड़ताल को गैर-कानूनी करार देने का यह उचित तरीका नहीं है । ऐसी बातों को देखते हुए निष्पक्ष लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया है कि हम अपने देश को एक पुलिस राज्य के रूप में बदल रहे हैं ।

मैं बात श्रम नीति के बारे में भी पूछना चाहता हूं । हमारी श्रम नीति अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नीति के समान होनी चाहिए । श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अधिनियम से हमारी सम्पूर्ण नीति बदल नहीं जायेगी ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय के साथ यह बातचीत की गई थी कि इस विधेयक से श्रमिकों के अधिकारों का कहां तक उल्लंघन होगा ? इन सब बातों को देखते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri George Fernandes (Bombay South): Rule 109 says as follows:

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

Similarly at page 571 of May's Parliamentary Practice it has been said that if the question 'that the Bill be now read the third time' is negatived, such a vote is not necessarily fatal to the further progress of the bill. The more usual method of objection is therefore to move an amendment, putting off the third reading for three months....

Hence I have said in my motion that the bill, on which third reading is going on, may be postponed for a period of three months. It is therefore my humble submission that keeping in view May's Parliamentary practice and Rule 109, my motion may be put for discussion in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने इस मामले को फिर से उठाया है परन्तु मैं समझता

हूं कि मैं इस स्तर पर इस प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं "मेस पार्लियामेंटरी प्रैक्ट्रिस" पर भी इस अवसर पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। हम इस बारे में अन्तिम स्तर पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): माननीय मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते हुए श्री पीटर अल्वारेस द्वारा दिये गये वक्तव्य का उल्लेख किया था। उन्होंने उनके वक्तव्य के एक भाग का उल्लेख करते हुए यह साबित करने का प्रयत्न किया था कि श्री अल्वारेस तथा अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ जिसके वह प्रधान हैं चाहता है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये जिससे सरकार समाप्त हो जाय। परन्तु दुख की बात तो यह है कि वह स्वयं यहां पर उपस्थित नहीं हैं तथा अपने वक्तव्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरे यह बात विषय के उचित संदर्भ में नहीं कही गई है।

यह सही है कि अनिश्चत काल तक हड़ताल करने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु उसे कार्य सूची में कभी नहीं रखा गया था। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने 48 घंटे हड़ताल करने का निश्चय किया था परन्तु उसे घटाकर 24 घंटे कर दिया गया था। तब वे चाहते थे कि अनिश्चित काल तक हड़ताल की जाय क्योंकि उनकी उचित मांगों को भी मंजूर नहीं किया गया था।

अब प्रश्न यह है कि सरकार सभी प्रकार की हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहती है तथा यही कारण है कि उसने यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है।

माननीय मंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि डाक व तार कर्मचारियों ने सरकार को समप्त करने का इरादा किया था। मैं इस बात से हैरान हूं कि उन्होंने देश को गुमराह करने के लिये इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया।

इस सभा में यह अश्वासन दिया गया है कि सरकार का इरादा हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का नहीं है परन्तु जब समझौता करने की बात आती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है और अध्यादेश जारी कर दिया जाता है।

आज हम विभिन्न मामले उठा रहे हैं। जीवन बीमा निगम के लगभग 40 हजार कर्मचारी 5 दिसम्बर से हड़ताल कर रहे हैं। हमने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें परन्तु वह ऐसा नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे कि वे लोग सरकार बदलना चाहते हैं। यह बहुत दुख की बात है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अध्यापक भी 2 दिसम्बर से हड़ताल करना चाहते थे परन्तु हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतः यह बड़े दुख की बात है कि समझौते करने की बजाय हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। यह बड़े दुख की बात है कि सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघ अधिकारों को, जो उन्होंने लगभग 100 वर्ष की जदोजहद के बाद प्राप्त किये हैं, छीना जा रहा है। इसलिये मैं यह

निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार न किया गया तथा इस प्रकार से दबाया गया तो किसी भी प्रकार का दबाव उन्हें हड़ताल करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। माननीय मंत्री को यह बात अवश्य समझ लेनी चाहिये कि यदि उनकी इन जायज मांगों को स्वीकार न किया गया तो वे विधेयकों और अध्यादेशों को चुनौती देने के लिये गोली तक की भी परवाह नहीं करेंगे। यदि पठानकोट में गोलियां खाने के बावजूद तथा चौथी मंजिल से किसी कर्मचारी को गिराने के बावजूद आन्दोलन जारी रह सकता है तो यह सदा जारी रह सकता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा रेलवे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिये तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

अन्त में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तब तक सांस नहीं लेंगे चाहे उन्हें जेलों में भेजा जाये अथवा गोली से उड़ा दिया जाय जब तक सरकार अपनी श्रम-विरोधी नीति को नहीं बदलती है।

Shri Sita Ram Kesri (Katihar): Mr. Deputy Speaker, Sir, the Indian Railways (Amendment) Bill is before the House for third reading. Many a speeches have been made at the first and second reading stage, I do not deny this fact that the ordinance issued before the introduction of this Bill is contrary to the spirit of democratic conventions but the opposition parties had created such circumstances which had enforced the Government to take such steps. As far as the question to protect the democracy is concerned it is the responsibility of Government as well as opposition. On 19th September it was the opposition which exerted the workers and such a situation was created. Efforts were made for railway accident but Providence saved the situation. Not only that even the Railway officers and workers were beaten on that day. Under these circumstances the Government has been forced to bring this Bill.

Keeping in view the position as on 19th September I support the ordinance as well as this Bill.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह लोकतन्त्र के सभी सिद्धान्तों के विपरीत है। जब यह सरकार सदा समाजवाद और लोकतन्त्र की बात करती है तो यह बड़ी अजीब बात है कि वह वर्तमान अध्यादेश के स्थान पर एक स्थायी अधिनियम बना रही है।

उस समस्या को हल करने की बजाय जिससे हड़तालें होती हैं हमारी सरकार प्रतीक्षा करती रहती है। हड़ताल 19 तारीख को होनी थी परन्तु अध्यादेश 14 तारीख को जारी कर दिया गया था। वह प्रतिनिधियों को मिलकर उनके साथ बातचीत करने का प्रयास नहीं करती। उसका यह रवैया आजकल बढ़ता ही जाता है। वह संघों की मान्यता वापिस ले रही है। अतः इस तरह से कर्मचारियों की समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है।

मूल अधिनियम 1890 में बनाया गया था परन्तु 1890 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के

जमाने में भी इस प्रकार का कठोर उपाय नहीं किया गया था। जहां तक कि 1942 में जब रेलवे सम्पत्ति को बहुत नुक्सान पहुंचाया गया तो भी ऐसा अधिनियम नहीं बनाया गया था। परन्तु हमारी सरकार इन अध्यादेशों पर प्रतिबन्ध लगाने की बजाये गांधी शताब्दी के वर्ष में एक इस प्रकार का कठोर कानून बना रही है।

इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक पर आगे चर्चा करने की बजाय उसे इस अवस्था में ही वापिस ले ले।

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं जिसके लिये इस विधेयक को लाना पड़ा है। इसके लिये विरोधी दलों के सदस्यों ने कहा है कि इससे तो श्रमिकों के अधिकारों का हनन होगा। मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि श्रमिकों के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए परन्तु रेलवे देश की जीवन-रेखा है इसलिये किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को देश के कल्याण के लिये कभी अपने मूल अधिकारों को न्योछावर भी करना पड़ जाये तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खराबी है।

मैं 1954 में रूस गया था और मैंने देखा है कि उस समाजवादी देश में भी संघों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वहां के संघों के नेताओं ने मुझे बताया था कि यह देखना उनका कर्त्तव्य है कि कार्यकुशलता बढ़े।

श्री द्विवेदी ने पूछा था कि क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि विधेयक के पारित होने के बाद रेलवे सम्पत्ति को नष्ट नहीं किया जायेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या, चोरी आदि के सम्बन्ध में पहले ही कानून बने हुए हैं परन्तु क्या हत्यायें और चोरियां पूर्ण रूप से बन्द हो गई हैं। कानून का मतलब अपराध को कम से कम करना होता है।

श्री मोडी ने कहा था कि इन्जन ड्राइवरों और गार्डों आदि को हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यदि टिकट निरीक्षकों आदि को अनुमति दी गई तो क्या यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी जायेगी। इसलिये यदि सेवाओं में कोई श्रेणी बनानी है तो यह फालतू कर्मचारियों के सम्बन्ध में बनाई जानी चाहिए। तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उनकी हड़ताल के कारण रेलवे को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार इस विधेयक को लाई है तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, in 1967 I had asked a question whether Government have ratified convention 87 and 98 and in reply to this question Shri Hathi had said that convention 87 has not been ratified because certain provisions of the Indian Trade Union Act and the rules Governing associations of Government servants do not fully conform to the requirements of the convention as it stands and the question of ratification of convention

98 is under consideration and final decision will be taken after the matter is examined by the tripartite committee at the next session which is likely to be held at the time of the 25th session of I. L. C.

श्री विक्रम चन्द महाजन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री फरनेन्डीज बार-बार एक ही बात को दुहरा रहे हैं जोकि नियम 306 के विपरीत है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय को अधिकार है कि अपनी बात की पुष्टि के लिये वह तर्क पेश करें।

Shri George Fernandes: Mr. Deputy Speaker, I have brought in this House today I. L. O.'s publication entitled "International Labour Code." The meeting was held in New Delhi and Shri Nehru inaugurated that. One of the resolutions passed in that conference asked for freedom of association and asked for improvement of labour standards and should be accepted by all Asian Countries. But under the Bill under consideration the right of association and collective bargaining is being taken away.

This Bill is in its last stage and Government wants to pass it due to its majority. They refuse to listen to the views of those who are conversant with the problems of workers. These things have been mentioned by Shri Shiv Das Banerjee in his article published in the Statesman. He has stated Indian thinking in such matters has been influenced by Britain but in that country industrial relations are guided more by conventions than by statutes. In U. K. inspite of the possibility of disciplinary action, there have been strikes by civil servants. Even in the Federal Republic of Germany the right of free association and strikes is guaranteed for all categories of Government employees and others with the exception of the permanent civil servants, who are equivalent to superior services in India. In France too they are free to exercise those rights. Same is the case in Ceylon. If Government tried to pass the Essential Services Maintenance Bill, which they are bringing next week here, we would oppose that not only here but outside too.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani): Mr. Deputy Speaker, this Railway Bill is a conspiracy and a plot against the railway employees and is against democracy in India. The Search light newspaper of 27th November has mentioned the case of a railway driver who was forced to work even after he had put in 18 hours duty. With the passage of this Bill the employees will, if they resort to strike, be punished to two years's imprisonment and a fine of Rs. 500/-. As long as there is inequality in the country, the right to strike would be there. As Tilak said: "Freedom is my birth right", similarly the right to strike is the birth right of workers. Even Gandhiji stated if there is injustice you should become no-co-operative and this is strike. Gandhiji during 1942 advocated strike. I again repeat that this Bill is a conspiracy. I oppose it fully. I even want the Minister to resign.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : महोदय इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं जिनका इससे सम्बन्ध नहीं था। भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत, रेलवे कर्मचारियों पर पहले ही कुछ पाबन्दियां हैं तथा मैंने उसमें केवल दो और अपराधों को शामिल किया है। इसलिये इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने आई० एल० ओ० के प्रस्तावों का भी उल्लेख किया परन्तु इस विधेयक द्वारा संस्था बनाने अथवा मिलकर सौदा करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने कहा है कि क्या इस विधेयक के पास हो जाने के पश्चात कोई रेल दुर्घटना नहीं होगी। मेरा उत्तर यह है कि हमारा कर्तव्य है कि रेलवे यात्रा सुरक्षित बनाई जाये, परन्तु किसी भी दुर्घटना के न होने के बारे में पूरी गारण्टी कोई भी नहीं दे सकता।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि यह विधेयक पास हो जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह संसद् के इतिहास में काला दिन है। हम इसमें भागीदार बनना नहीं चाहते। इससे देश में फासिज्म आ जायेगा। यह छोटे तानाशाह हैं।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : पुलिस राज मुर्दाबाद, फासिस्ट राज मुर्दाबाद।

श्री स० मो० बनर्जी, श्री जार्ज फरनेन्डीज तथा कुछ अन्य सदस्य, सदन छोड़कर बाहर चले गये

Shri S. M. Banerjee, Shri George Fernandes and some other Members then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" जो इसके पक्ष में हैं वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हैं वे "नहीं" कहें।

'हां' के पक्ष में अधिक सदस्य हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या आपने इस विधेयक को सदन के मत के लिये शोर होने के समय रखा। यह तरीका ठीक नहीं है। इसके विरोध में, मैं सदन से बाहर जाता हूं।

इसके पश्चात श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी सदन से बाहर चले गये

Shri Surendranath Dwivedy then left the House.

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि शिकायत की गई है, इसलिये मैं इसे सदन के मतदान के लिये फिर से रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का पुनर्विलोकन करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव

RESOLUTION RE: PARLIAMENTARY COMMITTEE TO REVIEW RATE OF DIVIDEND PAYABLE BY RAILWAY UNDERTAKING TO GENERAL REVENUES

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय, जो रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करे और उनके बारे में सिफारिशें करे।"

मैं आगे यह और प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने और उनके बारे में सिफारिशें करने सम्बन्धी संसदीय समिति के साथ राज्य सभा के 6 सदस्यों को सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि अलग अभिसमय समिति के कार्य के पुनर्विलोकन का सदन द्वारा अनुमोदन किया जाये।

सदस्यों को पता है कि सामान्य राजस्व से रेलवे राजस्व को केन्द्रीय विधान द्वारा 1924 में पृथक किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भी इसे 1949, 1954, 1960 तथा 1965 में संसदीय समितियों द्वारा इसका पुनर्विलोकन किया गया। वैसे तो प्रत्येक अभिसमय पांच वर्ष के लिये होता है परन्तु 1959 में उस समय के अभिसमय की अवधि एक वर्ष बढ़ा दी थी और उसे तीसरी पँचवर्षीय योजना की अवधि से मिला दिया गया। ऐसे ही इस अभिसमय की अवधि भी चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि से मिला दी जायेगी।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ता आदि में वृद्धि के कारण वित्तीय स्थिति की तस्वीर में भी जो कि लाभ की दीख पड़ती थी, घाटा आ गया है।

इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि दोनों सदनों के सदस्यों की एक अभिसमय समिति इस पर पुनर्विलोकन करे। वह अन्य सम्बन्धित मामलों की भी जांच करेगी। मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित संकल्प पेश किये गये :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय, जो रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करे और उनके बारे में सिफारिशें करे।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करने और उनमें बारे के सिफारिश करने सम्बन्धी संसदीय समिति के साथ राज्यसभा के 6 सदस्यों को सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

श्री रा० की० अमीन (ढंढुका): माननीय मंत्री ने एक ऐसा संकल्प पेश किया है जिसमें रेलवे वित्त और सामान्य वित्त की वर्तमान व्यवस्था का पुनरावलोकन का करने प्रस्ताव किया गया है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि ऐसा पुनरावलोकन होना चाहिए। परन्तु मैं मंत्री द्वारा दिये गये कारणों से सहमत नहीं हूं। मैं इसके लिए अन्य कारण मानता हूं। उदाहरण के लिए मेरा विचार है कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें रेलवे को एक सरकारी विभाग न मानकर उसे एक स्वायत्त संस्था के रूप मे मानना चाहिये। यदि हमने ऐसा किया तो हम रेलवे को व्यापारिक आधार पर चलाने में समर्थ होंगे। यदि हम उसके लाभ की मात्रा का पता लगा लेंगे तो उसमें और अधिक पूंजी लगाने का आधार भी निर्धारित कर सकेंगे। वर्तमान स्थिति में तो यह ठीक से पता नहीं लगाया जा सकता कि रेलवे में वस्तुतः कितना घाटा हो रहा है।

चूंकि रेलवे को 150 करोड़ रुपये सामान्य राजस्व को देना पड़ता है जिसके कारण रेलवे को घाटा हो रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिये कर के रूप में रेलवे का भाड़ा बढ़ाया जा रहा है। परन्तु क्या ऐसा करना उचित है ? वास्तव में रेलवे एक ऐसी संस्था है। जिसमें सर्वथा लाभ ही होता है और इस आधार पर उसमें अधिक पूंजी लगायी जा सकती है। परन्तु जो व्यवस्था आजकल रेलवे में अपनायी गयी है उसके आधार पर तो आप उसे अलाभकर कहेंगे और उसमें पूंजी लगाने की गुंजाइश को ही समाप्त कर देंगे। यह वर्तमान व्यवस्था का दोष है। अतः मेरा रेलवे मंत्री से यह अनुरोध है कि रेलवे का पुनरावलोकन करते समय रेलवे को स्वायत्त संस्था में परिवर्तित करने के प्रश्न भी विचार किया जाये। मंत्री महोदय की यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती कि वे रेलवे लाइनों को किस आधार पर अलाभकर बतलाते हैं ? रेलवे में विनियोजित पूंजी के लाभ की प्रतिशतता को जाने बिना कैसे वे रेलवे को या उसकी किसी लाइन को अलाभकर बता सकते हैं ?

पुनरावलोकन समिति को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में माल ढोने का काम न केवल रेलवे द्वारा बल्कि सड़क परिवहन द्वारा भी किया जाता है। देश में सड़कों

पर कितनी पूंजी लगायी जा रही है ? उसे कितनी छूट दी जा रही है ? यह जान लेने पर ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सड़क यातायात की तुलना में रेलवे पर जितनी पूंजी लगायी गयी है, वह उचित है अथवा नहीं । साथ ही यह भी देखना होगा कि सड़क परिवहन से सामान्य राजस्व को कितना लाभांश मिलता है । अतः यह अच्छा होगा, यदि यह पुनरावलोकन समिति रेलवे वित्त और सामान्य वित्त के बीच एक ठीक व्यवस्था बनाये जिसके आधार पर संसाधनों का नियतन ठीक-ठीक हो जायेगा, और यह मालूम हो जायेगा कि इस समय अधिक पूंजी रेलवे में लगी हुई है अथवा सड़क परिवहन पर । मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों बातों पर ध्यान दिया जाये ।

श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए

Shri Thirumal Rao in the Chair

श्री क० नारायन राव (बोब्बिली) : श्रीमान्, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अब सम्पूर्ण रेलवे प्रशासन का, मुख्य रूप से बजट सम्बन्धी व्यवस्थाओं का, पुनरावलोकन किया जाना चाहिए । हमारे यहां एक सामान्य बजट होता है और दूसरा रेलवे बजट होता है । दुहरी बजट व्यवस्था और रेलवे से लाभांश का सामान्य राजस्व को दिया जाना उचित नहीं है । 1934 में जब रेलवे बजट की व्यवस्था को पृथक किया गया था, उस समय रेलवे की स्थिति डावांडोल थी । दूसरे उस समय रेलवे को शुद्ध वाणिज्यिक संस्था माना जाता था । इसीलए तब यह सोचा गया था कि रेलवे खर्च को सामान्य बजट से पूरा न किया जाये । उसी आधार पर यह व्यवस्था आज तक चली आ रही है । यदि रेलवे बजट को भी सामान्य बजट में ही सम्मलित कर लिया जाये तो कर के रूप में रेलवे के भाड़े को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव न की जायेगी । सन् 1935 में रेलवे के प्रशासन के लिए एक नया प्राधिकरण बनाया गया था । एक समिति 1849 में बनायी गयी थी और 1965 में एक दूसरी समिति नियुक्त की गयी थी । परन्तु उन दोनों समितियों में 1924 के सूत्र को ही आधार बनाया गया । संविधान के निर्माण के पश्चात् रेलवे की स्वायत्तता की बात तो बिल्कुल ही भुला दी गयी । हां, एक पृथक् मंत्रालय और रेलवे बोर्ड की स्थापना आवश्य की गयी । अब रेलवे की आय को पृथक् नहीं रखा जाता बल्कि वह भारत की संचित निधि में सम्मिलित की जाती है । इस आधार पर रेलवे की बजट व्यवस्था पृथक् बनाये रखने का कोई औचित्य दिखायी नहीं देता । यदि आप रेलवे को एक वाणिज्यिक संस्था बनाना चाहते हैं तो आपको 1935 की स्थिति को स्वीकार करना होगा और उसके लिए एक स्वायत्त निकाय बनाना होगा ।

सन् 1957 में यात्री कर लगाया गया था और उस कर के रूप में जितनी राशि वसूल की जाती थी, उसे राज्य सरकारों को दिया जाता था । 1965 में यह व्यवस्था बदल दी गयी । नयी व्यवस्था के अनुसार 1964 से पूर्व लगी कुल पूंजी का एक प्रतिशत तथा इस कर के रूप में वसूल कुल पूंजी केन्द्रीय सरकार को मिलेगी । इस सब राशि में से केवल

16 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों में फाटक आदि बनाने के लिये वितरित की जायेगी। यह बेकार में ही जटिल व्यवस्था बना दी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राज्यों को पहले वाले आधार पर ही राशि दी जाये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : पहली समितियों की भांति इस रेलवे कन्वैन्शन समिति का कार्य सरल नहीं होगा क्योंकि इस वर्ष रेलवे ने घाटा दिखाया है जबकि पहले वह लाभ दिखाती थी।

मुझे पता है कि एक सुझाव यह आयेगा कि सामान्य राजस्व में जो लाभांश रेलवे विभाग देता है उसमें कमी कर दी जाए। यह खतरनाक बात होगी। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह घाटा कितने समय तक जारी रहेगा। रेलवे में भ्रष्टाचार के कारण जनता का बहुत धन तबाह हो रहा है। गत वर्ष रेलवे ने 6 करोड़ टन कोयला खरीदा। 1962 से यह कोयला टैंडर द्वारा नहीं खरीद रहे हैं। सरकार के अन्य विभागों में तो टेन्डर द्वारा खरीदा जाता है। कुछ कोयला खान मालिक हैं जो सरकार को कोयला देते हैं। उनके नाम हैं के० के० बोरा ऐण्ड कम्पनी; चंचानी बोरा कम्पनी तथा जालान एंड कम्पनी। श्री हुकुम चन्द कछवाय ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह कोयला टैंडर के आधार पर खरीदा गया था अथवा नहीं। उत्तर दिया गया कि यह टैंडर के आधार पर खरीदा गया था। परन्तु यह वास्तव में टैंडर के आधार पर नहीं खरीदा गया था। बहुत से कोयला वालों ने 1964 में इनसे कम कोयला के दाम पर कोयला देने को कहा परन्तु मंत्री महोदय ने इन्हीं कोयला कम्पनी वालों को बुलाया और कहा कि वे स्वयं कुछ मूल्य कम कर दें और उन्होंने ऐसा ही किया। रेलवे को कोयला 23 रु० प्रति टन के हिसाब से दे रहे हैं जबकि दामोदर घाटी निगम ने वही कोयला 13 रु० प्रति टन के हिसाब से खरीदा क्योंकि उन्होंने टैंडर के आधार पर कोयला खरीदा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था कि क्या कारण है कि कुछ गैर सरकारी कम्पनियों के मालिकों के विरुद्ध विलम्ब शुल्क की इतनी राशि बकाया है। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि भिलाई स्टील प्रोजेक्ट को 1,53,978 रु० औरिमेंट पेपर मिल्स ब्राजराजनगर को 2,87,167 रु० तथा जमुल सीमेंट वर्क्स को 81, 600 रु० बकाया राशि देनी है। यह राशि वसूल न करने के कारण अधिकारियों की सुस्ती बताई जाती है।

रेलवे में कदाचार के भी मामले हैं। एक व्यक्ति श्री डी० के० झुनझुनवाला जोकि उड़ीसा टाइल्स, उड़ीसा गिलास वर्क्स तथा बहुत से अन्य कारखानों के मालिक हैं पर विलम्ब शुल्क की राशि थी जिसे क्षमा कर दिया गया। यह राशि 19 लाख रु० थी।

मैं चाहता हूं कि रेलवे कन्वैन्शन समिति इन बातों की गहराई में जाये तथा रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में जो राशि दी जाती है, उसमें कमी नहीं करनी चाहिये।

एक पहले की रेलवे कन्वैन्शन समिति ने यात्रियों की सुविधा पर 4 करोड़ रु० की राशि व्यय करने को कहा था। मैं चाहता हूं कि यह समिति भी जांच करे कि वह 4 करोड़ रु० की

राशि व्यय की गई अथवा नहीं । रेलवे के डिब्बों में पानी तथा बिजली नहीं है । वह राशि इस कार्य के लिये व्यय करनी चाहिये ।

16.5 करोड़ रु० की राशि इस कार्य के लिये निर्धारित की थी कि राज्य सरकारों को दी जाये ताकि वे रेलवे के फाटक बनाएं जिन पर चौकीदार हों तथा भूमिगत सड़कें निर्माण करें और रेलवे के पुल आदि निर्माण करें । यह पता लगाना चाहिये कि वह राशि वास्तव में राज्य सरकारों को दी गई थी अथवा नहीं ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं इस रेलवे कन्वैन्शन समिति की नियुक्ति का स्वागत करता हूं ताकि यह वित्तीय स्थिति पर पुनर्विचार कर सके तथा आम राजस्व में रेलवे द्वारा लाभांश की राशि निर्धारित कर सके ।

मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री आगे घाटे का बजट पेश न करेंगे ।

गत वर्ष किरायों तथा भाड़े में वृद्धि की थी । परन्तु हमारे लोग करों की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं और मैं आशा करता हूं कि उसमें और वृद्धि नहीं होगी ।

एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बिना टिकट यात्रा के कारण 11 करोड़ रु० का घाटा है । दिल्ली में विद्यार्थियों तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा एक प्रयोग किया था तथा बिना टिकट यात्रा करने वालों को पकड़ा था ।

इसी प्रकार काफी राशि उन लोगों को मुआवजा देने में व्यय की जाती है जिनका सामान चोरी होता है । यहां भी व्यय में कमी की जा सकती है ।

रेलवे विभाग को वकीलों पर भी बहुत राशि व्यय करनी होती है जिसमें कमी की जा सकती है ।

चीन के आक्रमण के समय रेलवे के लाभांश में वृद्धि की गई और इस $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ा कर $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया गया । जो राशि मार्च, 1964 से पहले से लगाई गई है तथा जो मार्च, 1964 से बाद लगाई गई है उनकी दरों में जो अन्तर है वह समाप्त होना चाहिये ।

हमें आम राजस्व में जो रेलवे द्वारा दिया जाता है उसमें कमी नहीं होनी चाहिये ।

यात्रियों की सुविधा के लिये जो 4 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था वह व्यय किया गया अथवा नहीं । रेलवे के कर्मचारियों के वेतनों में भी वृद्धि होनी चाहिये ।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : सभापति महोदय, मैं इस समिति की नियुक्ति से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं । मंत्री महोदय की इच्छा आम राजस्व में रेलवे द्वारा दी जाने वाली राशि में कमी करना दिखाई देती है । ऐसी समिति की नियुक्ति के लिये कुछ वित्तीय तथा बजट के सिद्धान्त होते हैं । इसलिये मेरे लिये यह आपत्तिजनक है । चाहे यह संसदीय समिति ही सही परन्तु सरकार

अपनी कठिनाई इसके सामने रखेगी । मेरा सुझाव यह है कि रेलवे द्वारा दिये जाने वाले लाभांश में कोई कमी नहीं होनी चाहिये ।

भारतीय रेलवे संसार की सबसे बड़ी रेलवे में एक है । यहां के लोग अधिकतर रेलों में यात्रा करते हैं । तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो गईं लेकिन रेलवे में अब भी घाटा है । जब तक रेलवे को दक्षता से नहीं चलाया जाता इनमें घाटा ही रहेगा । इससे तो राष्ट्रीयकरण के विचार को धक्का लगेगा तथा वह बदनाम हो जायेगा ।

इसलिये इस समिति की नियुक्ति से मैं प्रसन्न नहीं हूं । रेलवे बजट से तो अभूतपूर्व घाटा दिखाई देता है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : जब मंत्री यह प्रस्ताव लाये हैं तो वह यह बात स्पष्ट करें कि क्या यह इस रेलवे द्वारा आम राजस्व में जो लाभांश दिया जाता है, उसमें कमी अथवा वृद्धि का विचार रखते हैं । वह इस समिति से क्या चाहते हैं ।

बिना टिकट यात्रा से रेलवे को बहुत हानि हो रही है । हम गत 10 अथवा 15 वर्षों से बिना टिकट यात्रा के कारण होने वाली हानि तथा बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के उपायों के बारे में सुनते आ रहे हैं, परन्तु हमें पता चलता है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और अब भी बिना टिकट यात्रा के कारण करोड़ों रुपये की हानि हो रही है । क्या मंत्री महोदय अपने इस संगठन को कड़ा करेंगे ताकि रेलवे के राजस्व में हानि न हो ? यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी सुधार होना चाहिये । जहां तक रेलवे की कार्यकुशलता का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है कि रेलवे की कार्यकुशलता कम होती जा रही है । इन सब बातों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि हम समिति से सामान्य लाभांश कम करने की सिफारिश कर सकते हैं । यदि प्रश्न सामान्य लाभांश को बढ़ाने का होता, तो मंत्री महोदय समिति के गठन की बात नहीं करते । हमें पता है कि यह सरकार किस प्रकार काम कर रही है । इस सम्बन्ध में उनके प्रस्ताव का अर्थ है कि उनकी बचत कम होगी तथा सामान्य राजस्व को उनका अंशदान कम होगा । माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि उनके आय व्ययक में घाटा है, तो मुझे ताजुब है कि वह इस बात से कैसे सहमत हो गये कि सामान्य राजस्व में रेलवे का अंशदान कम हो । रेलवे मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह चाहते क्या हैं ? यद्यपि यात्री किराये और माल भाड़े में बार-बार वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप रेलवे के शुद्ध राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है । रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले अंशदान में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अब वह समय आना चाहिए जबकि रेलवे सामान्य राजस्व में 8 या 10 प्रतिशत अंशदान दे । यदि रेलवे अपने किराये में वृद्धि करती है तो उसे यात्रियों को अधिक सुविधाएं देनी चाहिये । समिति के निदेश पदों में मंत्री महोदय को कहना चाहिए कि समिति इस बात पर विचार करे कि सामान्य राजस्व में रेलवे के अंशदान को बढ़ाया जा सकता है और उसे किस हद तक बढ़ाया जा सकता है । समिति को किसी भी हालत में उस लाभांश को घटाने के बारे में विचार नहीं करना चाहिये ।

Shri George Fernandes (Bombay South): Sir, as my Hon. friend Shri Kothari has said it has not been made clear in the Resolution as to what will be the terms of reference of the committee, which is proposed to be constituted by Government. It is not sufficient to say that the committee will review the rate of dividend payable by Railways to the General Revenues. The review may be of many types and as such I want that the Government should make it clear as to exactly what will be the terms of reference of the committee. At the same time I want that while bringing such Resolutions, Government should attach financial statements with them. Though I agree that the Report of the Railway Board is presented at the time of Budget, but when such a Resolution is being moved to constitute a committee to review the returns of Railways to the General Revenue, I fail to understand how the committee will be able to do that without knowing the financial position of the Railways. At present we are considering the Report of the Railway Board pertaining to the year 1966-67 though the year 1967-68 has already elaped and we are in the middle of the year 1968-69. So how the committee will be able to review the question of returns of Railways to the General Revenues, unless it is a apprised of the fact as to what has been the financial position of the Railways during this one and a half year. So it is basically essential that a financial statement should be attached to this Resolution. I wish the Hon. Minister should furnish a financial statement as soon as this Resolution is accepted by the House.

When the proposed committee is going to review the rates and revenues etc., this basic question as to how the Railways should be run should also be examined by the committee. We have an experience of many years of running the trains departmentally. So keeping in view the performance of the railways it should be assessed whether it will be advisable to continue to run the trains departmentally or it will be better to bring the Railways under an autonomous corporation having the Government, the labour and the employees as its representatives, as this demand is being made from many quarters.

It is evident from the figures given in the latest Report of the Railways that whereas the number of passengers travelling by air-conditioned coaches has increased by 5.78% in the year 1966-67 as compared to the year 1965-66, railway earnings have increased only by 3.52% on this account. On the other hand whereas the increase in the III class passengers during the same period has only been 4.83%, Railway earnings have increased by 5.51%. It shows that the railway earnings have increased more from the III class passengers and not from those who travel by airconditioned coaches. The reason for this may be that heavy expenditure is incurred on the facilities given to the persons travelling by airconditioned class. So my submission is this that now time has come when Socialism should be brought in India at least in Railways and there should be no class distinction in Railways. If that is done it will be a great step in removing social unequality. The Railway Minister should see to it.

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्न यह उठाया गया है कि इस संकल्प को प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है तथा इसके क्या कारण हैं, क्योंकि रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशें तो पांच वर्ष तक लागू रहेंगी, जोकि एक तथ्य है। मैंने अपने पहले भाषण में बताया था कि गत समिति वर्ष 1965 में गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों को योजना के कार्यक्रम के प्रारूप में शामिल किया गया था। हमारा उद्देश्य यह है कि समिति की सिफारिशें योजना की कालावधि तक चलनी

चाहिये । अब यदि हम इस समिति का गठन नहीं करते हैं तो पिछली समिति की सिफारिशें वर्ष 1971 के बाद वैध नहीं समझी जायेंगी । योजना वर्ष 1969 में शुरू होगी तथा 3 अथवा 4 वर्ष तक अर्थात वर्ष 1974 तक चलेगी तथा तब तक हमें दूसरी समिति की सिफारिशों के बिना ही काम चलाना होगा । इसलिये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही उचित समझा गया है कि समिति का इसी समय गठन किया जाना ठीक है । रेलवे का भी एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होता है । योजना में रेलवे के लिये धन नियत किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में रेलवे के संसाधनों का भी अनुमान लगाना होता है । यदि मैं यह सब स्वयं करता हूं, तो यह उचित नहीं है । इसलिये यह सोचा गया है कि एक संसदीय समिति का गठन इसी समय किया जाना चाहिये ताकि वह इन सभी बातों पर विचार कर सके और रेलवे मंत्रालय को सलाह दे सके कि ब्याज देय पूंजी के संबंध में कितना अंशदान नियत किया जाना चाहिये, मूल्यह्रास निधि में कितना अंशदान दिया जाना चाहिये और यात्री-कर की बजाय और अन्य मामलों में कितना अंशदान निर्धारित किया जाना चाहिये । इसलिये मुझे विश्वास है कि यह सभा मेरे इस प्रस्ताव से सहमत होगी कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या समिति की सिफारिशें मंजूरी के लिये सभा में पेश की जायेंगी ?

श्री चे० मु० पुनाचा : अवश्य ।

श्री जि० मो० बिस्वास : क्या ऐसी कोई संभावना है कि इस बार सामान्य राजस्व में रेलवे के अंशदान को कम किया जायगा ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस बारे में पूर्व अनुमान नहीं कर सकता । समिति को अपनी सिफारिशें करने में पूर्ण स्वतंत्रता होगी । इस समिति को जिन विषयों पर चाहे विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा रेलवे बोर्ड से विस्तृत सामग्री मांगने का अधिकार होगा । मैं स्पष्टीकरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि यह अभिसमय समिति एक प्रकार से वित्त आयोग के समान होगी । यह सलाह देगी कि केन्द्र और रेलवे के बीच आय का बंटवारा करने में क्या सिद्धांत अपनाया जाये । पिछला वित्त आयोग वर्ष 1965 में नियुक्त किया गया था और अब 1968 में एक दूसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया है । अतः इस सिद्धान्त के अनुसार इस समिति का गठन किया जा रहा है । यह समिति सभी सम्बन्धित और महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी और अपनी सिफारिशें पेश करेगी और फिर वे सिफारिशें सभा की स्वीकृति के लिये पेश की जायेंगी ।

श्री जि० मो० बिस्वास : मैंने एक बहुत संगत प्रश्न उठाया था । पिछली बार समिति ने यात्री सुविधाओं पर 4 करोड़ रुपये खर्च करने तथा फाटकों के दरवाजे, भूमिगत पुलों आदि के लिए विभिन्न राज्यों को 16.5 करोड़ रुपये की राशि नियत करने की सिफारिश की थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यात्री सुविधाओं के लिये 4 करोड़ रुपये दिये गये हैं और विभिन्न राज्यों को 16.5 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वित्त आयोग का विषय है तथा वित्त आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है और तदनुसार राज्य सरकार को धनराशि नियत की जाती है। इस वर्ष 16 करोड़ रुपये से अधिक धन नियत किया गया था और गत वर्ष भी 16 करोड़ रुपये से अधिक राशि नियत की गई थी। जहां तक यात्री सुविधाओं का सम्बन्ध है, मुझे वास्तविक आंकड़े तो याद नहीं हैं, परन्तु मैं समझता हूं 4 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं और प्रति वर्ष यह राशि नियत की जाती है। इसके लिये माननीय सदस्य कृपया बजट पत्र देखेंगे, तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा।

सभापति महोदय : मैं अब इन प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। पहला प्रस्ताव कार्य सूची में क्रमांक संख्या 9 पर दर्ज है। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अध्यक्ष महोदय द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जो, रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरावलोकन करे और उनके बारे में सिफारिशें करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : दूसरा प्रस्ताव कार्य सूची में क्रमांक संख्या 10 पर दर्ज है। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर का तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित विषयक अन्य संगत मामलों का पुनरालोकन करने और उनके बारे में सिफारिशें करने सम्बन्धी संसदीय समिति के साथ राज्य सभा के 6 सदस्यों को सहयोजित करने के लिये सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक
STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने तथा तत्सम्बन्धी तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

[श्री रा० दो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

अनाज के उत्पादन के मामले में शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में कृषि ऋण प्रदान करने का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है।

आज देश में कृषि ऋण प्रदान करने के सम्बन्ध में सहकारी ऋण व्यवस्था ही एक प्रमुख व्यवस्था है। गत 16-17 वर्षों में सहकारी ऋण अभिकणों ने यद्यपि कृषि ऋण में अपने अंशदान की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जोकि वर्ष 1950-51 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1961-62 में 28.5 प्रतिशत हो गई है, तथापि यह प्रगति देश के विभिन्न भागों में असमान ढंग से हुई है । कुछ राज्यों में सहकारी आन्दोलन अभी भी कमजोर है और इससे कृषक को ऋण की समुचित सुविधा नहीं मिल पाती है । वर्ष 1964 में रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था और वह दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सहकारिता की दृष्टि से आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान तथा मनीपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र विशेष रूप से कमजोर हैं । उस कार्यकारी दल ने सिफारिश की थी कि कृषकों को ऋण देने की वर्तमान व्यवस्था को और बढ़ाने के लिये सम्बन्धित क्षेत्रों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना की जानी चाहिए और सरकार ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली थी । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता अनुभव होती है कि उपरोक्त पांच राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों में से पश्चिम बंगाल को छोड़ कर बाकी सब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार के कृषि ऋण निगमों की स्थापना के लिये सिद्धान्त रूप में सहमत हो गये हैं । यह विधेयक इस लिये लाया गया है, ताकि राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र अपने यहां कृषि ऋण निगमों की स्थापना कर सकें ।

यद्यपि विधेयक के खण्डों के बारे में दी गई टिप्पणियों से माननीय सदस्यों को इस विधेयक के उपबन्धों को समझने में सहायता मिलेगी तथापि इस अवसर पर मैं इस विधेयक की मूल बातों का उल्लेख करना चाहता हूं । राज्य के कुछ क्षेत्रों में प्रत्येक निगम सहकारी ऋण समितियों के स्थान पर काम करेगा तथा इसलिये इन निगमों का कार्यक्षेत्र मुख्यतया वही होगा, जो सहकारी ऋण समितियों का है । इस विधेयक के द्वारा इन निगमों को कृषकों, कृषि विपणन, परिष्करण समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, सहकारी कृषि समितियों अथवा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन ऋण देने का अधिकार दिया जा रहा है । विधेयक में कृषि ऋण निगम को अन्य प्रकार के बैंकिंग कारोबार, जो सामान्यतया एक सहकारी बैंक द्वारा किये जाते हैं, करने का अधिकार भी दिया जा रहा है । इस निगम को जनता से धन जमा करने की शक्ति भी दी जा रही है तथा इसे कृषि पुनर्वित्त निगम से पुनर्वित्त लेने के अधिकार भी दिये जा रहे हैं ।

रिजर्व बैंक ने जो कार्यकारी दल नियुक्त किया था उसने यह अनुमान लगाया था कि कृषि ऋण निगम एक अन्तरकालीन व्यवस्था होगी । यद्यिपि यह एक नया अभिकरण होगा तथापि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि यह हमेशा के लिये सहकारी समितियों का स्थान लेगा । राज्य सहकारी बैंक गैर कृषि ऋणों के बारे में राज्य भर में और कृषि ऋणों के बारे में उन क्षेत्रों में जहां कृषि ऋण सहकारी समितियां उपलब्ध हैं, अपना कारोबार करता रहेगा । यह निगम अपने कार्यालयों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करेगा, जहां सहकारी ऋण अभिकरण कमजोर हैं तथा उनके सुदृढ़ हो जाने के बाद अपना कारोबार उन सहकारी ऋण समिति को सौंप कर वहां से हट जायगा ।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विधेयक में सहकारी बैंकों और कृषि ऋण निगमों के बीच क्षेत्रों का बंटवारा स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। इसका निर्णय निगम, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार को करना होगा। प्रत्येक निगम की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक होगी, जो उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर होगी। निगम की पूंजी में 30 प्रतिशत अंशदान केन्द्रीय सरकार का, 20 प्रतिशत राज्य सरकार का, 20 प्रतिशत रिजर्व बैंक का तथा शेष 30 प्रतिशत खाद्य निगम, स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों तथा अन्य व्यापारिक बैंकों का होगा।

प्रत्येक निगम का प्रबन्ध एक निदेशक मंडल द्वारा किया जायेगा, जिसके सात सदस्य होंगे। प्रधान तथा प्रबन्धक निदेशक का नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा, दो निदेशकों का नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा, दो का रिजर्व बैंक द्वारा तथा दो का अंश धारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। यद्यपि प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी, तथापि नियुक्ति के समय राज्य सरकार और रिजर्व बैंक की सलाह ली जायेगी।

यद्यपि यह निगम एक वित्तीय संस्था के रूप में काम करेगा तथापि इसे उसी प्रकार के कानूनी उपबन्धों की जरूरत होगी जिस प्रकार के उपबन्ध सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने वालों के सम्बन्ध में किये गये हैं। हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों को स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है और आशा है कि विधेयक के अधियमन बन जाने के बाद राज्य सरकारें निगम को समुचित ढंग से चलाने के लिये आवश्यक कानूनी उपबन्धों की व्यवस्था करेंगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि यह विधेयक कृषि ऋण अभिकरणों को सुदृढ़ बनाने की दशा में एक रचनात्मक कदम है। हमने कृषि ऋण के सम्बन्ध में बहु-अभिकरण दृष्टिकोण अपनाया है और इस क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों ने भी आना शुरू कर दिया है और कुछ समय बाद वे प्रत्येक रूप से धन की और अधिक व्यवस्था करेंगे। फिर भी सहकारी समितियां ऋण देने के सम्बन्ध में मुख्य अभिकरण के रूप में जारी रहेंगी। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य यह है कि कुछ मामलों में सहकारी ऋण के क्षेत्र में कुछ कमियों को उस समय तक के लिये दूर कर दिया जाये, जब तक कि सहकारी अभिकरण आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषांगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कुछ संशोधन प्राप्त हुए हैं। क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : जी हां, मैं अपना संशोधन संख्या 149 और 150 प्रस्तुत करता हूं :

श्री रा की० अमीन (मेहसाना) : महोदय एक प्रकार से यह विधेयक बिल्कुल निर्दोष प्रतीत होता है, परन्तु यदि इसका गहन अध्ययन किया जाये तो प्रतीत होता है कि इसमें कई शरारत पूर्ण बातें हैं। कोई भी आदमी सरकार के इस मत से सिद्धान्तः असहमत नहीं हो सकता कि कृषकों को अधिक से अधिक ऋण देने की बहुत जरूरत है। परन्तु विधेयक में जिस ढंग से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उससे समस्या का हल नहीं हो सकता। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और छोटे छोटे निगमों की स्थापना से उसका हल होना असम्भव है। किसानों को ऋण देने की व्यवस्था के बारे में कोई एकीकृत नीति अपनाये बिना जहां तहां छोटे-छोटे निगम बनाने से सरकार के किसानों को ऋण की सुविधा देने के प्रयास सफल नहीं हो सकते और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता।

ग्राम्य ऋण सर्वेक्षण के दौरान इस बात का पता चला था कि सहकारी समितियां कृषिकों को केवल 3 प्रतिशत ऋण दे सकी हैं। अब मंत्री महोदय ने जो आंकड़े बताये हैं कि सहकारी समितियों द्वारा कृषिकों की 25 प्रतिशत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, मैं समझता हूं इसमें गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का हिसाब नहीं लगाया गया है। कृषक आज भी साहूकारों के ऋण पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में उन त्रुटियों को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, जो सहकारी समितियों में विद्यमान है। सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार और घूसखोरी फैली हुई है। सहकारी समितियों का उपयोग दलगत स्वार्थ सिद्धि के लिये किया जा रहा है। अतः जब तक इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जायेगा, तब तक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मुझे ऐसी कोई आशा दिखाई नहीं देती कि इस विधेयक के द्वारा सहकारी समितियों के स्थान पर जो नया अभिकरण बनाया जा रहा है वह अच्छा काम करेगा।

मैं इस विधेयक की खामियों के बारे में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पहला उदाहरण यह है कि इस विधेयक में उपबन्ध किया गया कि सभी राज्यों में निगम की न्यूनतम पूंजी 1 करोड़ रुपये तथा अधिकतम पूंजी 5 करोड़ रुपये होगी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है तथा अण्डमान, निकोबार और दिल्ली जैसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो कि बहुत छोटे हैं। फिर भी निगम की पूंजी इसी सीमा के भीतर होगी और उत्तर प्रदेश के लिए भी पूंजी की सीमा 5 करोड़ से अधिक नहीं की जायेगी। हमारे देश में कुछ ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्र हैं, जिनकी जन-संख्या देश की जनसंख्या के एक प्रतिशत के बराबर भी नहीं है और कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं तथा उनमें एक राज्य तो इतना बड़ा है, जिसकी जनसंख्या देश की 15 से 25 प्रतिशत जनसंख्या के बराबर है। परन्तु इस विधेयक में हमारे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के द्वारा राज्यों पर केन्द्र का नियन्त्रण थोपा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर निदेश मण्डल की रचना को देखिये। निगम के निदेश मण्डल की रचना ऐसी होगी कि निदेशक मण्डल के छः अथवा सात सदस्यों में से तीन अथवा चार की

नियुक्ति सीधे केन्द्र द्वारा की जायेगी । अध्यक्ष की नियुक्ति भी केन्द्र द्वारा की जायेगी और उसका मत निर्णायक मत होगा । प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जायेगी । रिजर्व बैंक को भी केन्द्रीय सरकार ही माना जा सकता है । ऋण परिषद् बनाये जाने के बाद अब रिजर्व बैंक का गवर्नर वित्त मंत्री के अधीन है तथा रिजर्व बैंक पर केन्द्र के नियम लागू हैं । इसलिये रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सदस्य भी केन्द्रीय सरकार का ही समझा जाना चाहिये । स्टेट बैंक भी केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है तथा उसके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य को भी केन्द्र का ही समझा जाना चाहिए । यह व्यवस्था उचित नहीं है । चूंकि 10 से 20 प्रतिशत तक पूंजी किसानों द्वारा दी जायेगी, इसलिये उन्हें भी निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिये । अतः इस विधेयक में निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया है, वह तो केवल दिखावा है । वास्तव में स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं द्वारा सदस्यों का नाम निर्देशन किया जायेगा । इसके विपरीत राज्य सहकारी ऋण सीमति में फिर भी चुनाव की एक झलक है । उसमें लोगों या कृषकों के कुछ प्रतिनिधि होते हैं । उनके बोर्डों में कुछ स्वतन्त्र भी प्रतिनिधि होते हैं इसलिये वहां पर स्वतन्त्र आवाज उठाये जाने की कुछ सम्भावना है । परन्तु उस पर निगम को थोप कर उस स्वतन्त्र मत की अभिव्यक्ति की थोड़ी सम्भावना को भी खत्म किया जा रहा है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस विधेयक का यह उद्देश्य कि किसानों को अधिक से अधिक ऋण दिया जाना चाहिये बहुत सराहनीय है, परन्तु इस विधेयक में ऋण देने की जिस प्रकार व्यवस्था की जा रही है, उससे तो केवल केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है, वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । मुख्य समस्या यह है कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो जरूरत मंद किसानों को ठीक समय पर ऋण की वांछनीय राशि दे सके । परन्तु प्रस्तावित निगमों से यह उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है । निगमों की संरचना नौकरशाही के ढंग पर की गई है । इसलिये यदि किसी किसान को अगस्त में ऋण की जरूरत होगी तो उसके लिये ऋण अक्तूबर में मंजूर किया जायेगा और शायद दिसम्बर में दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त निगमों में नौकरशाही दृष्टिकोण आना जरूरी है, इसलिये ऐसे लोगों को ऋण मिलेगा जिन्हें ऋण की जरूरत नहीं है और जिन्हें ऋण नहीं मिलना चाहिये तथा ऐसे लोगों को ऋण नहीं मिल सकेगा जिन्हें वास्तव में ऋण की जरूरत है और जिन्हें मिलना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वाणिज्यिक बैंक भी किसानों को ऋण देंगे । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह बता सकेंगे कि इन वाणिज्यिक बैंकों से किस प्रकार के किसानों ऋण मिलता है ? क्या वे उचित मानदण्ड के आधार पर ऋण दे रहे हैं ? यह उचित समय है कि किसानों की जरूरतों की जांच करने के लिये मानदण्ड बदल दिये जायें ।

इस विधेयक में भाण्डागार सम्बन्धी नीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । किसान की विभिन्न जरूरतों को पूरी करने के लिये भाण्डागार निगम, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी समितियों तथा इस निगम की नीतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं

कि इस विधेयक से किसानों को ऋण देने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसका उद्देश्य तो केवल केन्द्रीय नियंत्रण को बढ़ाना है।

श्री अनन्त राव पाटिल (अहमदनगर) : स्वतंत्र दल के माननीय सदस्य ने इस विधेयक का जो विरोध किया है, उससे मुझे न तो आश्चर्य ही हुआ है और न ही उसका दुख हुआ है, क्योंकि यह सर्व विदित है कि स्वतंत्र दल सहकारिता के विरुद्ध है। कृषि सहकारी ऋण निगमों की स्थापना सम्बन्धी विधेयक की बहुत दिनों से सख्त जरूरत थी तथा मंत्री महोदय हमारी बधाई के पात्र हैं क्योंकि वह सभा के सामने एक ऐसा विधेयक लाये हैं, जिसकी बहुत दिनों से जरूरत थी।

हमारे देश में किसानों के लिये ऋण की व्यवस्था समान नहीं है। देश के कुछ भागों में सहकारी आन्दोलन में काफी प्रगति हुई है तथा वहां किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की संतोषजनक ढंग से पूर्ति की जाती है। परन्तु आसाम, बंगाल और बिहार जैसे राज्य तथा मनीपुर और त्रिपुरा जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन संतोषजनक प्रगति नहीं कर सका है। इसलिये उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत विधेयक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है, परन्तु विधेयक के कुछ उपबन्ध असंतोषजनक हैं और उन पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

विधेयक में कुछ राज्यों में निगम की स्थापना अनिवार्य की गई है, जबकि अन्य राज्य यदि निगम की स्थापना करना चाहते हैं, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के तौर पर मैसूर, महाराष्ट्र तथा गुजरात में सहकारी आन्दोलन ने सराहनीय प्रगति की है तथा वहां किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध है। परन्तु जैसा कि आप जानते हैं सहकारी समितियों अथवा बैंकों से उन ही किसानों को ऋण मिलता है, जिनके पास अपनी जमीन है तथा भूमिहीन खेतिहरों को सहकारी समितियां अथवा बैंक ऋण नहीं देते हैं। जैसा कि प्रो० अमीन ने कहा है कि वाणिज्यिक बैंकों ने भी किसानों को ऋण देना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वाणिज्यिक बैंक भी उन ही किसानों को ऋण देते हैं, जिनके पास अपनी जमीन है। अतः इन क्षेत्रों में भी सहकारी बैंकों अथवा समितियों के स्थान पर ऋण निगम की स्थापना जरूरी है, क्योंकि यदि कोई भूमिहीन काश्तकार ऋण लेना चाहे तो वह फसल पर ऋण ले सकता है। निगम फसल की कटाई के समय फसल को अपने अधिकार में ले सकता है तथा बुआई के लिये ऋण दिया जा सकता है। अतः अन्य राज्यों में भी इस प्रयोजन के लिये इस निगम की स्थापना जरूरी है।

मुझे इस विधेयक की दो अथवा तीन बातों के बारे में आपत्ति है। विधेयक में कहा गया है कि निगम का मार्ग दर्शन केन्द्रीय सरकार करेगी और केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। मैं नहीं समझ सका कि इसका उद्देश्य क्या है ? निगम का मार्ग दर्शन केवल केन्द्रीय सरकार ही क्यों करे और केन्द्रीय सरकार का निर्णय ही अन्तिम क्यों हो ?

अब मैं निगम के कृत्यों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। खण्ड 19 में निगम के कृत्यों

का उल्लेख किया गया है। इस खण्ड में निगम को किसी भी प्रकार का अभिकरण अथवा कारोबार चलाने जिसमें माल की निकासी और प्रेषण, रसीदें देना और माल छुड़ाना शामिल हैं, और निर्दिष्ट प्रतिभूति के साथ या अन्यथा वा क्षतिपूर्ति, प्रतिभूति अथवा प्रत्याभूति की संविदाएं करने जैसे कुछ कृत्यों का जो उल्लेख है, मैं समझता हूं ये कुछ कृत्य असंगत हैं। ये कृत्य निगम के नहीं होने चाहिए।

विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद रिजर्व बैंक रिपोर्ट पेश करेगा। किसी भी योजना का मूल्यांकन दो अथवा तीन वर्ष के बाद किया जाना चाहिए, ताकि उसकी कमियों को दूर किया जा सके। इसलिये निगम के तथा कृषकों के हित में यह होगा कि रिजर्व बैंक प्रत्येक तीन वर्ष के बाद रिपोर्ट दे। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in general I support this State Agriculture credit corporation Bill, but I am sorry to note that this Bill is being made applicable to certain States like Bihar and West Bengal and certain Union territories only. My submission is that this Bill should be made applicable to all States. It has been said that in certain States like U. P. the co-operatives have progressed well and the farmers are getting loans from the Co-operative Societies. But it is not a fact. I want to make it clear that firstly the farmers do not get any loan and if they succeed in getting loans they have to incur heavy expenditure on getting loans . Moreover the loans are given after the lapse of much time, because the procedure for granting loans is very lengthy. The farmers have to give bribe for getting loans. The position is that in case any body wants to have a loan of Rs. 5000/- he has to give Rs. 400/- or Rs. 500/- as bribe. So my first submission is that this Bill should not be made applicable to Assam, Bihar, West Bengal, Orissa and Rajasthan and to certain Union territories only but it should be made applicable to the entire country.

Secondly it has been said that the proposed Corporation will provide short and medium term credit for the periods not exceeding 5 years. But according to the present law credit is given for a term of 10 years. So my suggestion is that this period should be extended to 10 years because in case the crops of a farmer fail for one or two years, he will not be able to repay the loans.

It has been said that the corporation will start working with a capital of Rs. 1 crore. This amount, I think, is not sufficient and it should be increased. Huge amounts are given to the industrialists, which are being misappropriated by them, you all know about Dr. Dharm Teja and Amin Chand Piaray Lal etc.

Today the farmer in U. P. is exploited by the moneylenders who charge exorbitant rate of interest from him. The Government should advance loans to farmer instead of advancing big amounts to industrialists otherwise the situation may take an ugly turn.

So far as the constitution of the Board of Directors of this corporation is concerned, it should consist of only public-men and not of the nominated members or the representatives of banks and other organisations so that it could work and run smoothly.

There are many objectionable clauses in the Bill for they are likely to harm the interests

of the farmer and defeat its objects. But I would not go into details at this stage, however I would like to add that the purpose of the Bill would not be achieved if this body is placed at the mercy of bureaucracy who never interpret rules in favour of the public particularly the farmer.

Lastly, I would like to request the Hon. Minister to make the Bill applicable to the whole of India, extend its life to a period of ten years, discontinue the practice of advancing loans to industrialists and make efforts to see that every facility required for the development of agriculture is provided to the farmer to increase his produce.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Agricultural credit corporation Bill deserves support from all sections of the House because it has been brought for the benefit and welfare of the farmers.

I donot understand the reason for not bringing the state of Uttar Pradesh within the purview of this Bill. Probably, in the opinion of the Hon. Minister, the co-operative Banks are working satisfactorily there, and as such it has not been made applicable to that State. But that is not the position there.

The amount allocated for the purpose is inadequate which should be increased in order to achieve the objects of the Bill. In this context, I would like to bring it to the notice of the House that the central and the State Governments have already provided so many facilities to farmers in respect of agricultural credits, but the loans so received by the farmers were not utilised properly and for the purposes for which they were advanced. It is, therefore, necessary to make some provisions in the Bill to ensure proper utilisation of the loans which will be made available to the farmers under this Bill through the proposed corporation so that the purpose of the Bill is not defeated and the aim to achieve self-sufficiency in food production is fulfilled.

I have one more suggestion to make. The farmers should be given long-term loans at a cheap rate of interest which should not exceed 3 per cent per annum and a time limit of at least 15 years should be prescribed for their recovery so that the farmers could repay these loans in easy instalments.

With these words, I support the Bill.

Shri George Fernandes (Bombay-South) It has been stated in the statement of Objects and Reasons that the question of supply of adequate agricultural credit has assumed vital importance in the context of our aim to achieve self-sufficiency in food production as early as possible. This is, no doubt, a commendable step being taken by the Government to remove financial difficulties of the farmer. But capital alone cannot solve all the problems a farmer has to face in his occupation. He requires improved seeds, manure, fertilisers and irrigational facilities. The Bill would, therefore, not yield any desired results in this direction until his pressing needs are met.

It is unfortunate that the farmer in our country has no hand in fixing prices for his produce. It is strange that prices of agricultural commodities are fixed by agencies which exploit him. In this context, I would like to say that officials of the Food corporation of India committed irregularities and malpractices in the procurement of foodgrains in Rajasthan in connivance with the traders and made crores of rupees. We tabled questions and raised the matter on the floor of the House but the Government did not give any satisfactory and convincing reply and they have done nothing in the matter so far.

The Government have mentioned in the Bill that they would invest Rs. 7 cores in the proposed corporation during the next 7 years. In addition to this, the anticipated investment by the Reserve Bank of India, State Bank of India and other Financial Corporations would not exceed Rs. 16 or 17 crores during the same period and thus the total capital for the purpose works out to the tune of about Rs. 25 crores which is too adequate to meet the requirements of the farmers in the country. It is rather a mockery with agricultural sector. We cannot achieve any desired results in this direction unless a substantial amount of capital is made available for investment in this sector, for the purpose.

The Bill empowers the Central Government to exercise full control over these credit corporations which will be set up in each state under this Bill. The Government should abandon the idea of setting up this corporation if the present measure is contemplated attempt to make co-operative sector a part of the public sector ; and instead, they should come forward with a comprehensive scheme to solve the problems of the farmer.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The Bill which has been brought for the welfare of the farmer deserves and has received support from all sections of the House. It gives incentive to the farmer for increasing his produce. Efforts should also be made to see that other facilities such as supply of electricity, water, fertilizers, agricultural implements etc. required for agricultural purposes are provided to him at cheap rates. The Government deserves congratulations for paying due attention towards this most neglected and exploited section of the society which constitutes 85 per cent of the total population of the country. The farmers plight is miserable and he who sacrifices most and produces for others has to purchase everything at exorbitant rates while the commodities he produces are purchased at cheap rates. How can he meet his requirements in these circumstances unless he is given incentives by Government ?

The proposed corporation should be set up on the lines of Industrial Finance Corporation and the farmer should not be asked to pay a higher rate of interest than the one charged from an industrialist. Besides, the time-limit for repayment of loans should be extended to at least 15 years and recovery should be made in easy instalments. Provision should also be made that his landed property would not be put to auction when natural calamities fall on him and he is not in a position to pay his instalments and land revenues.

In this context, I have one more suggestion to make. The Government should make a provision in the Bill for creation of an Agricultural Finance Corporation on the lines of Life Insurance corporation and introduce Crops Insurance Scheme which is one of the pressing needs of agricultural industry today. If it is done, it would, on the one hand, protect the farmer from being exploited in the market by the traders and on the other it would prove to be a profitable business for the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पच्चीसवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 29 नवम्बर, 1968/8 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 29, 1968/Agrahayana 8, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 11-3-68—600.